हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

27 दिसम्बर, 1978

(द्वितीय बैठक)

खण्ड 3, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 27 दिसम्बर, 1978

पृश्ठ संख्या

द र्क दीर्घा से नारे लगाने वाले व्यक्तियों को सदन के अवमान के लिए जेल भेजने सम्बन्धी प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(3)1
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव	(3)16
वैयक्तिक स्पश्टीकरण	(3)17
कार्य सलाहकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन	(3)18
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(3)19
वर्श 1978–79 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी कि त)	(3)20
(1) राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा	(3)20
(2) अनुपूरक अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(3)20
दि हरियाणा अर्बन (कन्ट्रोल आफ रेंट एंड इविक ान) सैकिन्ड अमैंडमैंट बिल, 1978	(3)56
दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टी ानर्ज (हरियाणा	(3)59

अमैंडमैंट एंड वैलीडे ान) बिल, 1978	
वैयक्तिक स्पश्टीकरण	(3)61
दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टी ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडे ान) बिल, 1978 (पुनरारम्भ)	(3)63
दि पंजाब ऐक्साइज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1978	(3)67
दि मैडीकल कालिज रोहतक बिल, 1978	(3)67

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 27 दिसम्बर, 1978

(द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

द र्ाक दीर्घा से नारे लगाने वाले व्यक्तियों को सदन के अवमान के लिए जेल भेजने सम्बन्धी प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, कुछ और आदमी वहां पर पकड़े गये हैं, उनका मो ान मै। मूव करना चाहता हूं।

Sir, I beg to move:-

This House resolves that persons calling themselves Sham Passi S/o Sh. Janki Dass Passi resident of Mohalla Barian Jagraon, District Ludhiana and Mohan Lal Garg S/o Sh. B.D. Garg resident of Ward No. 10, Thanesar, District Kurukshetra, who raised slogans from the Visitors' gallery on

the floor of the House today and whom the Watch and Ward Staff took into custody immediately have committed a grave offence and are guilty of contempt of the House.

This House further resolves that they be sentenced to simple imprisonment till the prorogation of the House and sent to the Central Jail, Ambala.

स्पीकर साहब, मेरी रिकवैस्ट है कि ऐसी तनी मो ान आए हैं, अगर इनको इकट्ठा ही ले लिया जाए तो ठीक रहेगा।

Mr. Speaker: I have no objection.

Motion moved:-

This House resolves that persons calling themselves Sham Passi S/o Sh. Janki Dass Passi resident of Mohalla Barian Jagraon, District Ludhiana and Mohan Lal Garg S/o Sh. B.D. Garg resident of Ward No. 10, Thanesar, District Kurukshetra, who raised slogans from the Visitors' gallery on the floor of the House today and whom the Watch and Ward Staff took into custody immediately have committed a grave offence and are guilty of contempt of the House.

This House further resolves that they be sentenced to simple imprisonment till the prorogation of the House and sent to the Central Jail, Ambala.

श्रीमति सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, सदन की पहली बैठक में आज जो घटना घटी, वह एक साधारण घटना नहीं थी, अपने आप में वह एक बहुत गम्भीर मसला है, वह घटना इतनी टैक्नीकल तो नहीं है .....

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि मैं पहले खड़ा हुआ था पर आने पहले लेडीज का ज्यादा ध्यान रखा है (हंसी)

Mr. Speaker: Sushma Ji, you please carry on.

श्रीमति सुशमा स्वराजः तो स्पीकर साहब, मैं कह रही थी कि वह घटना इसलिये टैक्नीकल तो नहीं है कि कुछ युवक द र्क गैलरी में आये और उन्होंने वहां पर नारे लगाये और उसके बाद सदन की गरिमा भंग होने की दलील देकर के सदन ने एक प्रस्ताव पास कर दिया, जिसके माध्यम से उन्हें सत्रावसान तक के लिए जेल भेजने का निर्णय किया। इस घटना का एक राजनैतिक पहलू हो सकता है पर राजनैतिक पहलू से बढ़कर एक नैतिक पहलू भी है। हमें उन बच्चों को सजा देने से पहले यह देखना होगा कि वे यहां पर क्यों आये, किस मकसद से आये, उनके पीछे इस सारी चीज की पृश्ठभूमि क्या है ? आया ये युवक किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखते हैं ? कोई उनकी राजनीतिक पृश्ठभूमि है ? आया किसी वि ोश संगठन ने उन्हें किसी खास इरादे से यहां भेजा था, या किसी खास आदमी का इमेज बिगाड़ने के लिए यहां पर भेजा गया था ? अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा गम्भीर मसला है कि क्या ये युवक इस दे ा में फैले हुए युवा आक्रो ा को अभिव्यक्ति दे रहे हैं ? अभी तो युवा आक्रो ा में एक अभिव्यक्ति हैं। दे ा में फैले हुए युवाजनों में एक नये वातावरण की करवट है। अगर आज का नौजवान करवट

ले रहा है तो यह आज की सरकारों को चेतावनी है। स्पीकर साहब, हम को यह भी देखना होगा कि अगर यह युवा आक्रो ा नहीं, महज एक हल्लागुल्ला था, महज गुण्डागर्दी के इरादों से उनको यहां पर लाया गया था तो इस पहलू को हमें और तरह से निपटना होगा और अगर यह युवा आक्रो ा की अभिव्यक्ति थी तो इस पहलू पर हमें और भी ज्यादा गौर करना होगा, विचार करके इस पर बात करनी होगी इसलिए मै। इस प्रस्ताव के क्षरा सरकार को सुझाव देना चाहती हूं कि इस घटना पर कोई भी निर्णय लेने से पहले इस सदन की एक कमेटी बना दीजिये जोकि इस केस की पृश्ठभूमि की जांच करे और इस केस के पीछे की चीज को समने लाकर दिखाये कि इन युवकों ने यहां पर आकर किस इरादे से सदन की गरिमा को भंग करते हुये नारे लगाये। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी एक कमेटी आप बना देंगे तो इस केस की सारी पृश्ठ भूमि आपके सामने आ जाएगी और इस केस के ऊपर सही निर्णय लिया जा सकेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहती हूं कि अगर सदन इस पर सहमति प्रकट करे तो इसके लिए अव य ही एक सदन की कमेटी मुकर्रर कर दीजिये जो इस सारे केस की पृश्ठभूमि की जांच करवाये। धन्यवाद।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, कंटेम्पट आफ हाउस के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर बहस हो रही है। यह मसला बड़ा गंभर है कि कुछ तालिबेइल्मों ने नारे लगाये और इसके बारे में राव बीरेन्द्र सिंह और बहन सुशमा जी ने सुझाव दिये कि सबसे

पहले तो हमें यह देखना है कि ये लोग किन–किन मैम्बरीों की इजाजत से दाखिल हुए, किन–किन मैम्बरों के इनकी पासिज पर दस्तखत थे। मैं तो यह समझता हूं कि जहां तक मैम्बरान का ताल्लुक है, वे हरेक ही दस्तखत कर देता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन दूसरी बात यह है कि आया इसमें किसी सदस्य का या किसी पार्टी का उनको तैयार करके यहां पर भेजने में हाथ है या नहीं, इस मामले में स्पीकर साहब, आपको जरूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। वैसे तो चौधसरी बीरेन्द्र सिंह जी की सी.आई.डी. काफी मजबूत है जो मैम्बरान के घरों पर, होस्टलों में, वजीरों के मकानों पर जाकर जांच पड़ताल करते रहते हैं लेकिन उनको यह मालूम नहीं कि उनकी सी.आई.डी. को क्या इस मामले में सूई सूंघ गई कि उनको पता ही नहीं लग सका कि लड़के चण्डीगढ में आकर विद्रोह करने वाले है। स्पीकर साहब, मैं अर्ज करूंगा जैसा कि बहन सुशमा जी ने कहा कि इस मामले मी जांच पड़ताल के लिए एक समिति सदन की बनाई जाए जो इस सारे मामले की जांच पड़ताल करे कि यह लड़के यहां पर आये और कहां पर ठहरे, किन–किन से मुलाकात की, ताकि इस हाउस के अन्दर आइन्दा के एि कोई ऐसी बात न हो। एक और बात के बारे में, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि राव साहब न कहा कि आप उन लड़कों को हाउस में बुलाकर जरूर पूछिये। बे ाक यह हाउस लेजिस्लेटिव फंक ान्ज अदा करता है लेकिन यह जो मामला है यह लैजिस्लेटिव फंक ान्ज का मसला नहीं है बल्कि यह हाउस एक एग्जेक्टिव अदालत के तौर पर, न्यायपालिका

के तौर पर अख्तियारात अदा करता है जो कंटेम्पट के लिए सजा दे। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि दे ा का कोई भी ऐसा फोरम नहीं, कोई ऐसा नियम नहीं, कोई ऐसी न्यायपालिका नहीं जो बगैर मुलजिमों को सुने सजा दे सकती हो। स्पीकर साहब, अभी लोकसभा में यह भी प्र न था, वहां पर भी दो अफसरों को और फारमर प्राईम मिनिस्टर को कंटेम्ट आफ दी हाउस के सिलसिले मे अभियुक्त मानाा गया था लेकिन उन दोनों अफसरों को मौका दिया गया और हाउस में बुलाया गया कि वे जो कुछ कहना चाहते हैं, कहें। दे ा का ऐसा कोई भी कानून नहीं जो नूचुरल जस्टिस को देखते हुए मुलजिम को बगैरी सुने सजा दे सकें। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने सैक्रटेरिएट के द्वारा और दूसरे लोग जो इस में एडवाइस दे सकते हों, उनके द्वारा एग्जामिन करवाएं। हमें कोई भी ऐसी कंवेन् ान या ट्रेडी ान नहीं डालनी चाहिए जोकि कानून या विधि के विरूद्ध हो। हम आज अगर गुस्से में या जो ा में आकर कोई कार्यवाही करेंगे और वह विविध अनुसार न हो तो वह इस सदन के माननीय सदस्यगजों पर एक तरह का रिफल्क ान है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसी कोई जल्दी नहीं है आप इन्हें अपनी कस्टडी में रखें और कोई दूसरे अख्तियारात बरतें लेकिन उन मुलजिमों को सुनने के बाद फैसला दें तो भाायद मुनासिब होगा। दूसरी बात मै। यह कहना चाहता हूं कि उन लड़कों को जहां तक सजा देने का सवाल है, उसके लिए पार्लियामैन्टरी मिनिस्टर महोदय से जो सुझाव आया है उसमें कोई सख्ती वाली बात नहीं है लेकिन इसके

साथ–साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि कल तक की तहकीकात से आपको तसल्ली हो जाएगी कि कुछ और आदमियों का इसमें हाथ है या इन लड़कों को गुमराह करके यहां पर नारे लगवाये गये हैं। उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है, कोई पत्थर नहीं फैंके हैं, कोई बम्ब वगैरह नहीं फैका है, न ही उनके पास कोई हथियार थे, उन्होंने तो केवल नारे लगाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लेजिस्लेटिव असैमबली एक फोरम है उसमें हम इस बात की मर्यादा को माने हैं कि हरके आदमी को यह अधिकार है कि वह अपने जजबात और अपनी भावनाओं को विधि के अनुसार प्रकट कर सकता है ओर वह अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए रास्ता भी अखितयार कर सकता है। इसलिए अगर कैद की कड़ी सजा दी जाए तो यह मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि भाायद चौधरी संत कंवर भी इस पर बोलेंगे। ये खुद भी स्टुडैंट रहे है और इनका स्टुडैंट लाईफ में पता नही कितने ही ऐजीटे ान हुए। स्टेट में, चण्डीगढ़ में ऐजीटे ान हुए और कई युवकों ने तो बड़े सराहनीय काम किये हे, गोलिया तक खाई। विधान सभा में उन्होने आज इ तहार डाल, नारे लगाए। इस जुर्म में उनको चेतावनी देकर, रिप्रिमांड करके छोड़ देते तो अच्छा था। लड़के गुमराह हो सकते है क्योंकि लड़कों में असंतोश है और उनके जजबात को, उनकी भावना को देखना चाहिए, इसकों क्रिमिनल तौर पर नही लेना चाहिए। स्पीकर साहब, इसके साथ ही साथ आप गौर फरमाएं कि हिसार में हमारी एग्रीकल्चर चूनिवसिटी है, अच्छी यूनिवसिटी है, अच्छी संस्था है। जो एफि ाएंट आदमी

था, जिनकों एग्रीकल्चर का अच्छा तजर्बा था, अच्छी जानकारी थी, उनको वाइस चांसलर बनाया। लेकिन कुछ लोग जानबूझ कर उनके खिलाफ एजीटे ान चलाकर यूनिवर्सिटी को खराब करना चाहते है। इसलिए यह जरूरी है कि इस वाक्यात की पृश्टभूमि पर आप गौर फरमाएं कि कौन से आफिसर है जो लड़कों को बहाकर यूनिवर्सिटी के माहौल को खराब करना चाहते है। ऐसे आफिसर इस प्रांत में काम करने वाले आफिसरों के रास्ते में और स्टेट के रास्ते में रूकावट बनना चाहते है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति जरूर गठित करें, सारे मामले की तहकीकात करें कि वे कौन लोग है जो इन यूनिवर्सिटी के निजाम को, इसके माहौल को खराब करे इसका धक्का पहुंचाना चाहते है और लोगों को खराब करते है।

चौधरी संत कंवन (हसनगढ़): स्पीकर साहब, इस सदन में कुछ नौजवानों ने जो हंगामा किया, नारे बाजी की, इससे सदन की प्रतिश्ठा को आंच पहुंची है और इसके बारें में श्री राम लाल वधवा ने प्रस्ताव पे ा किया है, इससे पास होने से पहले हमें इसके पहलुओं पर सोचना चाहिए। इसके दो–तीन पहलू है। अगर एक नौजवान नारे लगाता है जैसे कि हाउस में लगाये है, अगर उन नारों में ऐ नौजवान यह कहे कि उन्हे रोजी–रोटी चाहिए तो उनको मुआफ किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर नारे लगाये गये, पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, इसके बाद उनकों चेतावनी दी तो चौथी बार नारे लगाए, यह

तरीका ठीक नही। इसके इलावा एक भाई ने किसी वि ोश संगठन का नाम लिया। भाायद उस संगठन वि ोश को बदनाम करने की उनकी इच्छा थी, इसलिए नाम लिया और नारे लगाए। सदन के अन्दर भी कुछ सदस्यों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप–प्रत्यारोप लगाए और एक वि ोश पार्टी का नाम लिया गया। आप इन बातों को देखें। स्पीकर साहब मेरी आपसे गुजारि ा है कि इन बातों की तह तक जाएं। कुछ सदस्यों ने कहा कि ये लोग किसी संगठन वि ोश को डायरैक ान लेकर यहां पर नारे लगाने के लिए आए थे और कुछ लोगों ने कहा कि इनकों खासतौर पर सदन की मर्यादा भंग करने के लिए भेजा था। इस बातों की तह तक पहुंचने के लिए एक कमेटी गठित की जानी चाहिए और उस कमेटी में उस पार्टी के, उस घटक के मैम्बर नही आने चाहिए। जिन्होने आरोप–प्रत्यारोप लगाए है, तभी यह कमेटी इस मामले की एग्जामिन करके ठीक फैसला दे सकती है। चौधरी रिजक राम ने सारी बातें सही कही है। इन्होने मेरा नाम लेकर मेरी स्टुडैंट लाईप के बारें में जो कुछ कहा, ठीक है, लेकिन हम बजुर्गो से सलाह जरूर लेते थे और इन्होने सलाह देने में अपना सहयोग दिया और सलाह देने में सबसे अच्छे व्यक्ति चौधरी रिजक राम जी हुआ करते थे। इन्होने हम मामले में मेरी मदद की, लेकिन हमें गलत सलाह कभी नही दी, यह हम मानते है। स्पीकर साहब, मेरी आपसे गुजारि ा है, जैसा कि चौधरी रिजक राम ने सलाह दी कि उन लड़कों को हाउस के सामने बुलाकर उनसे पूछ लिया जाए। उनसे हाउस में भी पूछ सकते है और इनके बाद एक

कमेटी गठित की जाए जो मामले की छानबीन करके कल तक अपनी रिपोर्ट पे ा कर दे। इन हालात में कल तक इस प्रस्ताव को पोस्टपोन कर दिया जाए, इसका फैसला आज नही कल होना चाहिए।

कामरेड भांकर लाल (सिरसा): स्पीकर साहब, इस सदन के अन्दर नारेबाजी की जो घटना घटी, उस पर सजा मुलजिम का बयान सुने बिना नही हो सकती, जमहूरियत में बयान सुनने के बाद ही हो सकती है। इन लड़कों को सजा चाहे कुछ भी मिले, लेकिन इनकों सुनना जरूरी है, चाहे हमारे सदन की अदालत हो, चाहे कोई जज साहब हो, उनको सुनकर ही फैसला दें ताकि दे ा के प्रजातन्त्र की मर्यादा कायम रहे। अगर इनकों बिना सुने वैसे ही फैसला कर देते है तो जो हमारी अदालतें है, न्यायिक व्यवस्था है, उनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी। स्पीकर साहब, एक बात मै और कह देना चाहता हूं कि दे ा में, हरियाणा विधान सभा में, लोक सभा में और राज्य सभा में ऐसे नारे आये साल होते है, इस किस्म की घटनाएं होती रहती है। नारे लगाने वाले ऐसे लोगों को सुनकर जो भी मामूली सजा दी जा सकती है, वह देते हैं किसी को एक दिन की सजा होती है, किसी को हाउस अडजर्न होने तक होती है। स्पीकर साहब, जमहूरियत ढांचे में काफी चीजें इस किस्म की होती होती है जिनकों हम सदन के बाहर रह कर नही सुना सकते और इसी लिए काफी लोग दिमागी तौर पर बीमार बन जाते है क्योंकि वे समझते है कि तुम्हारी बात किसनी ने नही सुनी।

किसी बाहर वाले ने सुनी नही इसलिए वे समझते है कि तुम्हारी बात किसी न नही सुनी। किसी बाहर वाले ने सुनी नही इसलिए वे समझते है कि एक ही जगह है जहां पर बैठे हुए लोगों को तुम अपनी बात सुना सकते हो और फिर वे पूछेंगे कि तुम क्यों ऐसे नारे लगाते हो, यहां किस लिए आए तो ऐसा भी होता है और इस बात का पता जरूर लगाया जाए कि आया यह लड़कों की विचारधारा से संबधित है। यह पता आपकों लगाना ही चाहिए। कोई यह तो है नही ये नक्सलाइटस हो, कोई बम्ब गिराने वाले हो, इन्होने यहां पर नारे लगाये है और नारे भी जिन्दाबाद और मुर्दाबाद के। कुछ दिन पहले तक हम सब भी तो यही करते थे, ये सब लोग जो यहां बैठे है यही करते रहे है। इसी बात को इन्होने दोहराया है। इसलिए मेरी सदन से प्रार्थना है कि इनकों कम से कम सजा दी जाये क्योंकि आप जानते है कि गेंद को यदि हम ज्यादा नही उछालेगे, ठोकर नही मारेगे तो गेंए ऊंची नही जायेगी और यदि ठोकर ज्यादा मारेंगे तो वह ज्यादा ऊंची जायेगी। यह बड़ी सीधी सी बात है।

श्री भाम ोर सिंह (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, आज विजिटर्ज गैलरी में जो वाक्या हुआ, उसकी हमारी पार्टी के नेता राव बीरेन्द्र सिंह जी ने मुजम्मत की है लेकिन मैं यह बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि जनता पार्टी के यहां बैठे हुए सदस्य, सारी बात को पता होनते हुए भी पता नही क्यों इस बात की पर्दापो ाी करना चाहते है। बात दरअसल यह है कि उन्होने

विद्यार्थी परिशद जिन्दाबाद के नारे लगाये। इससे स्पश्ट है कि उनकी ऐफिलिए ान क्या है, कौन से धड़े से और किस पार्टी से वे ताल्लुक रखते है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय चार या पांच आदमी जो यहां पकडत्रे गये है उनमें से आदित्यचन्द्र झा जो है उन्होने पिछली दफा कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एम०बी०वी०पी० के टिकट पर स्टुडैंड यूनियन के सैक्रटरी का चुनाव लड़ा था। वे सबसे पहले पकड़े गये है और वे ही उनके लीडर है। अध्यक्ष महोदय, ए०बी०वी०पी० जनसंघ का एक घटक है और विद्यार्थियों में इसकी एक ब्राच है। उसके ही ये आदमी है।

श्री अध्यक्षः इय इन्फर्मे ान आपकों कहां से मिली?

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, अगर आप कमेटी बनायेगे तो मै यह बात साबित कर दूंगा और अगर साबित नही करूंगा तो मै इस्तीफा दे दूंगा। अगर साबित कर दूंगा तो डाक्टर मंगल सैन इस्तीफा दे दें। मै इनसे यह भार्त लगाने के लिए तैयार हूं। इन्फर्मे ान कहां से मिली है, मै यह सोर्स भी बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, इनका मुद्दा क्या है मै यह भी बताना चाहता हूं। कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वाईस चांसलर की पोस्ट जनता पार्टी की सरकार ने जनसंघ को तस्तरी में रख कर दे दी थी। (विघ्न)

Mr. Speaker: I would request the Hon. Member to stick to the relevant point.

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय मै ब्लिकुल रैलैवैन्ट बात कर रहा हूं। आज वे खास मुद्दे से यहां आये है। हरियाणा

ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एजुके ान का बहुत बढ़िया इंस्टिच्यू ान है। इसके ऊपर भी आज जनसंघ अपनी आंख लगाये हुए है। वे चाहते है कि वाईस चांसलर की पोस्ट को हथिया कर यूनिवर्सिटी में पैनिट्रेट किया जाये ताकि वहां भी ये अपने आदमी लगवा सके। इसलिए ए०बी०वी०पी० ने वाईस चांसलर के खिलाफ ऐजिटे ान भाुरू की है। इसलिए आज ये लोग यहां लाये गये और यह सारा ड्रामा स्टेज किया गया।

श्री अध्यक्षः तो इससे क्या मै यह अन्दाजा लगाऊं कि आप इस रैजौल्यू ान को स्पोर्ट कर रहे है?

श्री भाम ोर सिंहः मै उस हद तक स्पोर्ट कर रहा हूं जिस हद तक राव बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा है और जिस हद तक कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की है। कि कमेटी बनाई जाये ताकि असल बात जो है उसकों रौशनी में लाया जा सके। हमारे पालियामैंट अफैयर्ज मिनिस्टर चाहते है कि इन्हें आज ही सजा दे दी जाये ताकि सारे मामले पर मिट्टी पड़ जाए। इससे ज्यादा नुक्सानदेह बात कोई नही हो सकती। अगर असलियत में जाये बगैर हम सजा देंगे तो हानिकारक बात होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हाउस की मर्यादा को बनाये रखने के लिए कमेटी मुकर्रर की जाये। (विघ्न) यह तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है।

चौधरी राम लाल वधवाः मै तो सजा तजवीज कर रहा हूं जबकि आप उनकी स्पोर्ट कररहे है। इसका मतलब कि आपने इन्हें समझा–बुझा कर भेजा है।

विकास एवं पंचायत मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, आज यहां जो घटना घटी यह वाकई ही बहुत बुरी बात हुई, सब इस बात से सहमत है लेकिन कुछ माननीय सदस्यो ने बोलते हुए हमारी जनता पार्टी के एक घटक पर इस घअना का इल्जाम लगाया। परन्तु मै उन भाईयों को बता देना चाहता हूं कि आज किसी घटक की बात नही है, हम सारे जनता पार्टी है। (विघ्न) इसके अलावा स्पीकर साहब, मै यह चाहता हूं कि जिस किसी ने जुर्म किया है उसकों सजा मिलनी चाहिये। इस तरह से बात को तोड़ मरोडत्र कर पे ा करने से मै समझता हूं बात नही बनेगी। इसलिए जो प्रस्ताव हाउस के सामने आया है इसकों हमें सर्वसम्मति से पास करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मै तो यह बात भी कहना चाहता कि इनकी सजा कम हो बल्कि जिस घटक पर खास तौर पर इल्जाम लगाया जा रहा हे, यानि भूतपूर्व जनसंघ पर, उसके मैम्बर तो कहते है कि इन्हे ज्यादा सजा मिलनी चाहिये। (विघ्न)

Ch. Ram Lal Wadhwa: Now we are all in the Janta Party. There is no Jan Sangh Party.

चौधरी भजन लालः मै भी यही कर रहा हूं कि सभी जनता पार्टी में है। (विघ्न) स्पीकर साहब, मै तो सदन से यह

प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रस्ताव में जो सजा रखी गई है यह मेरी राय में बहुत कम है। इस तरह का वातावरण अगर हाउस का बन जाए तो जब दो दिन का सै ान होगा या एक दिन का सै ान होगा तो उसमें तो नारे ही लगते रहेंगे काम बिल्कुल नही होगा। कल या एक दिन कासै ान होगातो उसमें तो नारे ही लगते रहेंगे काम बिल्कुल नही होगा। कल को मेरे खिलाफ भी नारे लग सकते है और किसी और के खिलाफ भी नारे लग सकते है (विघ्न) मै तो नारों से नही डरता लेकिन मै हाउस के सामने यह बात कहना चाहता हूं कि कल को जब एक दिन का हाउस हो तो इस तरह से नारे ही नही लगाएगा बल्कि जूते भी फैंक सकता है या कोई और चीज भी फैंक सकता हैं इसलिये मै चाहता हूं कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिये। इस तरह की सजा अगर आज रूल्ज में नही है तो इसके लिये एक कमेटी बनाई जाए तो सारी बातों को सोच विचार करके अपनी सिफारि ा दे। विचारानुसार तो ऐसे जुर्म के लिये कम से कम 6 महीने की सजा रूल्ज में प्रोवाइड होनी चाहिये। (इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्षः चौधरी जगजीत सिंह पोहलू।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): स्पीकर साहब, आपने चूंकि मुझे बोलने के लिए टाइम दिया इसलिए मै आपका बहुत बहुत भाुक्रिया अदा करता हूं।

श्री अध्यक्षः मै माननीय सदस्यों से रिक्वैस्ट करूंगा कि जो प्वायंट्स पहले आ चुके है उनकों बार–बार दोहरनाने से सदन का वक्त जाया होता है।

चौधरी भजन लालाः अध्यक्ष महोदय, एक बात कहने को रह गई थी, वह अगर आपकी इजाजत हो तो कह देता हूं।

श्री अध्यक्षः कहिये।

चौधरी भजन लालः चौधरी रिजक राम जी ने, जो बहुत पुराने मैम्बर है और वकील भी है, एक बात कही कि सदन में मुलजिम पे ा होने चाहिये। मेरा ख्याल है कि आज तक हाउस में इस तरह से मुलजिम पे ा होने की बात नही हुई हैं प्रिविलेज कमेटी के सामने तो मुलजिम आते है। लेकिन हाउस के सामने नही। हाउस का मैम्बर तो हाउस के सामने बुलाया जा सकता है लेकिनल बाहर का आदमी हाउस में आकर अपनी सफाई दे ऐसी बात आज तक नही हुई हैं

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मै हाउस के नोटिस में आपके द्वारा एक दो प्वायंट्स लाना चाहता हूं क्योंकि कुछेक बातें यहां बार–बार कही जा रही है। हाउस के जो प्रिविलेजिज है, उनके बारें में जो कंवैन ंज है उनमें यह लिखा हुआ है कि If contempt is committed in the immediate presence of the House, the contemner may not be heard. जब हाउस के अन्दर कोई वाक्या हो और सब मैम्वर्ज उसको देख रहे

हो तो दोशियों को हाउस में लाकर सुनने की आव यकता नही होती। (विघ्न)

श्री सुरेन्द्र सिंहः वर्ड 'मे' प्रयोग किया गया है।

Ch. Ram Lal Wadhwa: 'May' can be read as 'shall'.

Sh. Surrender Singh: How 'many' can be read as 'shall'

चौधरी राम लाल वधवाः दूसरी बात स्पीकर साहब, मै यह कहना चाहता हूं कि इस समय जनता पार्टी में कोई ग्रुप नही है। कुछ सदस्य ख्वामख्वाह यह सवाल पैदा करने की कोि ा ा कर रहे कि यह ग्रप्स हैं वे हमें लड़ाने की कोि ा ा कर रहे है। (विघ्न)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, आपने मुझे टाईम दिया था लेकिन बीच में ये लोग बोलने लग पड़ें। (विघ्न) स्पीकर साहब, मै आपके जरिए सारे हाउस से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह मामला सिर्फ हरियाणा की असैम्बली का नही है बल्कि आज सारे दे ा में हालात खराब है। आपने देखा कि उत्तर प्रदे ा में अलीगढ़ में क्या हुआ। आज इस असैम्बली में जो घटना घटी वह छोटी घटना नही हैं इसमें कोई दो राय नही है कि हाउस की बड़ी भारी बेइज्जती हुई लेकिन स्पीकर साहब आपेस प्रार्थना करना चहता हूं कि उन लड़कों को बुला कर यहां पर सुना जाये। मै उनसे जा कर मिला था। उन्होने कहा था.....

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है। पहले आप उनकों खत्म कर लेने दीजिए क्योंकि वधवा साहब पहले बोल रहे थे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब आपकी परमि ान मिल गई थी इसलिये बोल रहा था।

श्री अध्यक्षः वे अपना प्वायंट कलीयर कर रहे है। उसके बाद आप बोल लेना।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब वे किस ग्रुप के है, किस पार्टी के है, इस बारें में मुखतलिफ तजवीजें आ रही है।

चौधरी गंगा रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मै आपकी मार्फत एक बात कहना चाहता हूं। इस हाउस का सारे दिन में आधा टाईम तो चौधरी राम लाल वधवा ने ले लिया। इसलिए मै आपे जरिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि हर मैम्बर को कम से कम दो–तीन मिनट बोलने के लिए मिलने चाहिये। दूसरी बात यह है कि वधवा साहब बार–बार हाउस में कह रहे है कि इनकों सजा मिलनी चाहिये। वे सजा का नाम लेकर जो असली मकसद है, जो गहराई है, जो जड़ है उस तक वे जाना नही चाहते है। इसलिए हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्षः यहा कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है। आप सभी मेरे ख्यालात से सहमत होगे कि जितना भी मै मैम्बर्ज को बोलने का मौका दे सकता हूं, देने की कोि ा ा करता हूं।

आपोजी ान के मैम्बरों को ट्रेजरी बैचिज के मैम्बरों से ज्यादा टाईम देने की कोि ा ा करकता हूं। मै माननीय सदस्य की इसबात से बिल्कुल सहमत नही हूं कि दो सदस्य ही पूरा टाईम ले रहे है। औरों को नही मिल रहा है।

Ch. Ram Lal Wadhwa: I am Parliamentary Affairs Minister. It is my duty to do the Parliamentary work.

श्री अध्यक्षः पोहलू साहब आप सिी बात की रिपिट न करें। जो कुछ हो गया वह तो हो गया लेकिन आप आगे नई बात करें।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, मै आपके जरिए इस हाउस से प्रार्थना करता हूं कि उन पांचों लड़कों को यहां पर बुलाया जाये। वे लड़के सारी बातें डिटेल में बताने के लिये तैयार हैं आदित्य चन्द्र झा आर०एस०एस० का मैम्बर है। यह कोई मामूली मसला नही है। हरियाणा में सारी यूनिवर्सिटी में गड़बड़ करवाई हुई है। कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गड़बड़ करवा रखी है। वहां पर इन्होने अपना कब्जा कर लिया है। हमारे रोहतक यूनिवर्सिटी के वाईसचान्सलर चौधरी हरद्वारी लाल बड़े काबिल आदमी है, उनके खिलाफ भी गड़बड़ इन लोगों ने करवाई है। हिसार एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी हिसार में लाम्बा साहब का भी यही हाल बना रखा है। आप वहां जा कर देखे कि उनका काम करना मुि कल कर दिया हैं उन्होने कौन सा भारी जुल्म कर दिया है जो इतने खिलाफहै अगर देहात के पांच गरीब बच्चों को उन्होने

एडमि ान दे दिया है तो कौनसी आफत आ गई है। ये लोग वैस्टिड इन्ट्रैस्ट की बात करते है। बार–बार वहां पर गड़बड़ करवाते है। हिसार यूनिवर्सिटी के लाम्बा साहब को मै अच्छी तरह से जानता हूं, वे बड़े काबिल आदमी है। उनकों हटाने बड़ी भारी गड़बड़ की है। गड़बड़ करने वालों के पीछे बड़ा भारी हाथ है।

श्री अध्यक्षः यह पर लाम्बा साहब की कोई बात नही आनी चाहिये।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब यहां हिसार यूनिवर्सिटी के लड़कों ने भी गड़बड़ की है। उन्होने यहां पर नारे लगाये है कि विद्यार्थी परिशद जिन्दाबाद। इसके पीछे बड़ा भारी हाथ है। स्पीकर साहब इनकों बे ाक सजा दो, मुझे कोई एतराज नही है। मेरा एतराज यह है कि उनको सजा देने से पहले सुना जाये। मै तो यह कहूंगा कि चोर को क्यों मारते हो चोर की मां को मारो। इन गरीब बच्चों को क्यों नुक्सान पहुंचाते हो, इनके पीछे जिन का हाथ है उनको भी सजा दो। इन गरीब बच्चों को इतनी सजा ठीक नही है, उनकों वारनिंग देकर छोड़ दिया जाये। मै आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि ऐसी गड़बड़ नही है। हम आपके साथ है। इस बात की आप इन्क्वायरी करवाये। हरियाणा का काम आप ठीक तरह से चलाओं, हम आपके साथ हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इन गरीब बच्चो को माफ कर दिया जाये।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब ऐसा है कि पोहलू साहब की जनता पार्टी में भाामिल होने की दरखास्त को ना–मन्जूर कर दिया गया है, इसलिये वह अपना दु:ख निकाल रहा है। (ाोर)

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये और भाोर करते रहे।)

श्री अध्यक्ष: मेरी इजाजत के बगैर जो कुछ बोला जाये वह रिकार्ड न किया जाये।

* * * * *

श्री अध्यक्ष: मै माननीय सदस्यों से रिक्वैस्ट करूंगा कि ऐसे इल्फाज इस्तेमाल करने से कोई हाउस की भाोभा ज्यादा नही बढ़ती है।

श्री देवेन्द्र भार्मा (कुरूक्षेत्र): स्पीकर साहब जो कुछ सुबह से हो रहा है वह भाोभाजनक नही है। स्पीकर साहब, मै आज भी यूनिवर्सिटी का स्टुडैन्ट हूं इसलिए मै अपना पहला फर्ज समझता हूं कि उन स्टुडैन्ट्स को यहां सुना जाये। कुछ लोग अपने नजरिये से सोचते है लेकिन मै कुछ अपने नजरिये से सोचता हूं कि उनकों यहां सुना जाये। जब स्टुडैन्ट्स कही क्राांति के मूड में होते है तो मौजूदा सरकार के लिये यह जरूरी हो जाता है कि उनको बहुत लम्बे अर्से तक इग्नोर न करती रहे। स्पीकर साहब मै पहले क्या था। मै एम०ए० फाइनल का स्टुडैन्ट

था। उन्होने मुझे पहले युनिवर्सिटी से एक्सपैल किया, मेरी पिटाई की गइ। आरसन के केस में यह किया, वह किय, हमें यहां तक धकेल दिया गया। इसलिए स्पीकर साहब उनकों इतनी सजा देंगे तेा मै समझता हूं कि यह सारी सरकार के हम में बात नही जायेगी, खिलाफ जायेगी। मेरे कहने कायह मकसद नही है कि से यहां आ कर कोई गड़बड़ करे या उनकों छोड़ दिया जाये। मेरा तो यही मकसद है कि इनके पीछे किसी का हाथ है इन स्टुडैन्ट्स में मैरे क्लास–फैलों है। इनमें से एक ला फाइलन में पढ़ता है और दूसरा ला सैकिन्ड ईयर मे पढ़ता हैं मै दोनों को अच्छी तरह से जानता हूं इनमें से दो को पास मैन दिये है। सुबह मै कमरें से निकला हूं तो उन्होने मेरे दस्तखत करा लिये, मैने गल्ती से कर दिये इसलिये मै आपे जरिए हाउस से गुजरि ा करूंगा उनकों हाउस के सामन`पे ा किया जाये या न किया जाये, इस बात से तो मै सहमन हीूं लेकिन मै यह जरूर कहूंगा कि आप एक कमेटी बनाये और वह कमेटी उनसे वैरीफाई करें कि किन का हाथ है कमेटी जो भी चार्जिज ढसटेबलि ा करें उनकों पब्लिकली एक्सपोज किया जाये। मै समझता हूं कि स्टुडैन्ट्स का इसमें इतना कसूर नही है, इनके पीछे किसी का हाथ है और किस हाथ ह यह तय होना चाहिये। स्पीकर साहब सभी मैम्बर्ज यह चाहते है कि उनको सजा न दी जाये इसलिए हाउस की एक कमेटी बनाई जाये।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल (छछरौली): स्पीकर साहब, सभी मैम्बर चाहते है कि उनको सजा न दी जाए। जब सब मैम्बर ये चाहते है कि हाउस की एक कमेटी बनायी जाये तो कमेटी जरूरी बननी चाहिये। स्पीकरसाहब, यह बात भी तय हो गइ है कि उनको सजा न दी जाये क्योंकि तकरीबनसभी मैम्बर्ज का यह विचारहै। कमेटी बनने से यह पता चल जायेगा कि किन लीडर्ज का इसके पीछे हाथ है और स्टुडैन्ट्स के क्या ग्रिवैसीज है?

श्री अध्यक्ष: मै आनरेबल मैम्बर्ज की इन्फर्मे ान के लिये कौल ए एण्ड भाकरधर की कितास से जो कि अथॉरिटी वर्क है, यह पढ़ देता हूं–

"If contempt is committed inthe immediate presence of the House, the contemner may not be heard. He is taken into custoday immediately by for interrogation. The contemner may apologize and the House may be please to accept it and let him off. If the contemner has to be punished, it can be done by the House only."

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब मेरी गुजारि ा है..... .....(ाोर)

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मेरी गुजारि ा है कि कमेअी जो भी हाउस को रिपोर्ट देगी उससे सही पोजी ान का पता लग जायेगा।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अभी माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र भार्मा ने हाउस के सामने यह बात मानी है कि वे उन विद्यार्थियों को जिन्होने नारे लगाये है परसनली जानते है। उन्होने यह बात भी मानी कि उनका कोई कसूर नही है बल्कि उनके पीछे किसी का हाथ है अब यह मामला यहां तक ही नही रूक सकता कि सजा देने से मामला हल हो जायेगा। यह मामला तो तब तय होगा जब हाउस में बैठे हुए सदस्यों में से यह पता लगाया जाये कि इसके पीछे किन काहाथ है। उनको प्रिविलेज कमेटी के सामने पे ा किया जाये। हाउस की कंटैम्पट उन स्टुडैन्टस ने नही की बल्कि उन मैम्बर्ज ने की है जिनका इसे पीछे हाथ है और यह गड़बड़ कराई है। मै चाहता हूं कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मो ान लाई जाये।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, यहां परह जो कुछ कहां जा रहा है यह भाोभाजनक नही है। आपकों पता है कुछ दिनों पहले एक हवाई जहांज अपहृत किया गया, उसे पीछे किन लोगों का हाथ था, इसके बारें में ये नही सोच रहे हैं पार्लियामैंट में यह मैअर डिस्कस हुआ (ाोर) मै तो समझता हूं जिन स्टुडेन्ट्स ने यहां पर गड़बड़ की है उनकों सजा मिलनी चाहियें

श्री देवेन्द्र भार्माः स्पीकरसाहब, मेरी हाउस से बा–अदब तरीके से गुजारि ा है कि उनको सजा न दी जाये। जैसे हमारे प्रधान चन्द्र ोखर जी ने इन्दिरा गांधी के बारें में कहा था कि सजा देने से पहले उनकों सुना जाये। मेरी यह बात सब को बुरी

तो लगेगी परन्तु आप उस पर गौर करें। अगर उनको ंसजा ही देनी है तो उनको थोड़ी सी बारनिंग दी जाये लेकिन यह जरूर पता लगाया जाये कि इसके पीछे किन का हाथ है और उनकों यहां एक्सपोज किया जाये। अगर सजा दी गयई तो इससेयह हेगा कि इन्दिरा गाधी जी हमारी दस साल तक प्रधान मंत्री रही उनकों सिर्फ प्रोरोगे ान तक सजा दी गई है। इन लड़कों ने तो इतना बड़ा अपनाध भी नही किया हैं इस बारें में एक कमेटी जरूर बनायी जाये और कमेटी की रिपोर्ट पब्लिकली एक्सपोज की जाये।

श्रीमती सुशमा स्वराजः मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। स्पीकरसाहब, मेरी सीअ बदल दी जाये क्योंकि मै यहा पर बो नही सकती। चौधरी उदय सिंह दलाल जी को मेरे आगे बिठा रखा है। जब यह खड़े हो ाजते है तो मै आपको ंनजर ही नही आती।

Ch. Khurshid Ahmed: This is a very legitimate request of the Hon'ble lady member. Either the barrier be removed or her deat may be shifted.

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, असल मै तो मै खड़ा होता ही नही हूं और अगर मै खड़ा होता हूं तो बहिन जी यह कहती है कि मेरी ओट हो गयी। आप इनकी बात मान लीजिये।

श्री अध्यक्षः आप दोनो ही जगह बदल लो।

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य): अध्यक्ष महोदय, जिस विशय के बारें में आज यहां पर प्रस्ताव आया है, इसके बारें में मेरे साथियों ने अपने–अपने विचार रखे है। इस प्रस्ताव के दो इ ाू है, उनके सम्बन्ध में अलग–अलग से अपने विचार रखने की बात है। जहां तक सदन की मर्यादा का सवाल है, क्योंकि यह मामला सारे सदन के सामने हुआ है, इसलिये इस में कोई भाक नही है कि सदन की मान–मर्यादा भंग हुई हैं कन्टैम्पट चाहे किसी कोर्ट की हो, चाहे किसी हाउस की हो, कन्टैम्पट तो कन्टैम्पट ही हैं उसे लिये काई कार्यवाही करने के बारैं में सदन के किसी भी मैम्बर को ि ाकायत नही होनी चाहिय। मुझे आ ाा है, सभी साथी सदस्य इस बात से सहमत होगे। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मुझे आ ाा है सभी सदस्य मेरी राय से सहमत होगे कि उनकौ सजा तो जरूर दी जानी चाहिए लेकिन इसे पीछे हाथ किसका है किसने यह सारा काम करवाया, इसके लिए एक अलग कमेटी बना दी जाये।

श्री जय नारायण वर्मा (बरवाला): अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है, इस सपरि विभिन्न प्रकारके विचार गुण–दोश के आधार पर रखे गये है। मै भी इसमामले में दो एक बाते सदने के सामन कहना चाहता हूं। एक तरहफ तो सदन की गरिमा को भंग करना और सदन की मान–मर्यादा को भंग करने का अपराध है और दूसरी तरफ इसके पीछे कौन है, यह देखने वाली बात है।

इसमें तो काई भाक की बात है ही नही कि जब उन्होने सदन की गरिमा को, सदन के मान को भंग किया है तो उनकों सजा मिलनी चाहिय। सजा किस को मिल रही है, यह वही व्यक्ति है जिन्होने इस हाउस की मान–मर्यादा को भंग किया है किसी ए०बी०सी० व्यक्तिको नही मिल रही है। सजा उनको ंमिल रही है जो द र्क गैलरी मे ंआये और वहां से जो एक परम्परा रही है, उसकों भंग करने के लिये उनको सजा मिल रही है। उसमें किसी व्यक्ति वि ोश को तो सवाल ही नही हैं दूसरी बात जो माननीय सदस्यों ने कही है कि इसमें किसी संगठन वि ोश का, किसी व्यक्ति वि ो ा का हाथ है, राजनैतिक ाडयन्त्र हो सकताहे, वह मामला अलग से हो सकताहै उसे लिएसदस्यों की तरफ से सुझाव भी आये है। तीसरी बात जो मै कहनाचाहता हूं। वह यह कि जो स्लोगन्ज यहां पर बोले गये, उन स्लोगन्ज को कई सदस्यों ने सुना होगा। उनके स्लोगन थे, 'इन हाथें को काम दो', 'ि ाक्षा पद्धति को बदलो।' इसलिए पहली बात तो सजा देने वाली ाऔर दूसीर बात राजनैतिक ाड़यन्त्र की और तीसरी जो इन्होने स्लोगन्ज लगाये है यह जो आज हम लोग सत्ता में हे, उन लोगों के लिए इनडायरैक्ट चेतावनी है, सीधी चेतावनी बे ाक इसे समझो। श्री जय प्रका ा नारायण ने एमरजैन्सी से पहले गुजरात में इसी ताकत के बाल पर सरकार पलट दी थी.....

श्री अध्यक्षः जय नारायण जी, जो सम्बन्धित बात है, वह करो।

श्री जय नारायण वर्मा: अन्त में मै यही कहूंगा कि जो बातें यहां पर कही गयी है, उन सब की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। धन्यवाद।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, सदन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि बहुत से मैम्बरों ने अपने–अपने विचार हाउस के सामने रखे है। एक बड़ा ही सिम्पल सा क्वै चन है कई मैम्बर साहेबान ने इस बात को दूसरी तरह से इधर–उधर करके मोड़ने की कोि ा ा की हैं सदन के सामने केवल यह सवाल है कि सदन की मर्यादा को भंग किया गया है और सदन के अन्दर कुछ बाहर के लोगों ने आकर नारे लगाये जो सदन की तौहीन है। यह सारा वाक्या सारे हाउस ने देखा है। उनको सजा देने के मामले में मैम्बर साहेबान यह कहते है कि ज्यादा सजा नही देनी चाहिय दूसरी तरफ यह भी कहते है है कि इसके पीछे किसका हाथ है और हो सकता है, यह पता लगना चाहिए। एक बात स्पश्ट है कि सब उनों कन्डैम करते है। जो सदन की मर्यादा है, अगर कोई उसकों भंग करता है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसे लिए मैने यह प्रस्ताव हाउस के सामन`पे ा किया है मेरी अपनी राय यह हथी कि उनको सजा ज्यादा मिलनी चाहिये लकिन जिस वक्त हमने यह प्रिविलेज की कन्वै ान देखी तो उसमें यह लिखा हुआ है कि हम प्रोरीगे ान से ज्याद तक की सजा नही दे सकते। इसलिये यह प्रोरीगे ान तक की सजा उनको देने का मो ान मैने हाउस के सामने पे ा किया हैं हाउस भी कल या

परसो खत्म हो जायेगा थोडे दिनों के बाद यह प्रोरोग भी हो जायेगा। इससे ज्यादा यह सदनर उनकी सजा नही दे सकता। कुछठ सदस्यों ने यह भी कहा कि उन्होने क्यों किया और कैसे किया, इसकी भी जांचख होनी चाहियएं मै उन्हें यह बताना चाहता हूं कि अगर एक चोर चेारी करता है ओर वह कहता है कि मैन तो भूख के कारण चोरी की थी तो कोर्ट उसकी माफ नही करेगी, उसको केवल इसी कारण से छोड़ नही दिया जाता। मेरे विरोधी दल के साथियों ने बार–बार जो सजा ने देने की बात कही है उससे मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है भाायद उन्हे भाह दी हो। (ाोर व व्यवधान) आपने भी नो लेकर कहा है, तो मुझे भी इतना कहने का हक है।

श्री भाम ोर सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, सारे हाउस की सैन्स है। आपने दोनो ंतरफ के लोगों को सुना है। कि कमेटी बनायी जाये और इस बात की तह से जाया जोय कि किसका हाथ इसके पीछ हैं अभी पालियामैंट्र मिनिस्टर साहब ने इस बात को चैलेन्ज किया है कि कौन से ऐसे तत्व है जिनका हाथ इन सब के पीछे है। आप यह बात मैम्बर्ज से पूछ लें कि यह कमेटी बनायी जाये या नही ताकि चोर का पता लग सके।

Mr. Speaker: I have to go with the consenus of the House. I will not go against the consensus of the House.

चौधरी राम लाल वधवाः अन्त में मेरी प्रार्थना यह है कि जो मो ान मैने दियाहै, उसे ऊपर सारे हाउस की राय ले ली जाये और उसकों हाउस से पास कराया जाये और उनकों सजा जरूर मिलनी चहिये (व्यवधान)

Mr. Speaker: Question is-

This House resolves that ersons calling themselves aditya Chander Jha S/o Sh. Harish Chander Jha, resident of Sitamarthi Court, Bihar, Rajbir Singh S/o Sh. Daya Nand, Village Samaspur Distt. Meerut. Shyam Kumar S/o Sh. Rameshwar Dass, H. No. 50-B Prem Nagar, Rohtak, Sham Passi S/o Sh. Shri Janki Dass Passi resident of Mohalla Barian, Jagraon, Distt. Ludhiana, Mohan Lal Garg S/o Sh. B.D. Garg, resident of Ward No. 10. Thanesar,District Kurukshetra, Who raised slogans from the Visitors gallery on the floor of the House today and whom the Watch and Ward staff took into custody immediately have committed a grave offence and are fuilty of contempt of the House.

This House further resolves that they be sentenced to simple imprisonment till the prorogation of the House and set the Central Jail, Ambala.

The motion was carried

श्री अध्यक्षः मैने हाउस में पहले क्लीयर कर दिया था कि कि इस काम के लिये आधा घंटे का टाईम दिया गया है लेकिन आधा घंटे की बजाए मैने इस काम लिये पचास मिनट दिए है। उसके बाद भी अगर माननीय सदस्य यह समझे कि टाईम नही

दे रहां हूं तो मै समझता हूं कि यह ठीक नही है और मुझे इसका बहुत दुःख हैं मैने आधा घंटे की बजाए पंचास मिनट का मैक्सिमय टाईम दियाहै। यह स्पश्ट है कि हाउस के 90 मैम्मबर्ज है और अगर 90 मैम्बर्ज दस–दस मिनट लगाया चाहे तो मुझे कोई फर्क नही पड़ता। अगर आप हाउस को आगे बढ़ाना चाहते है तो बड़ी खु ाी से बढ़ाए। लेकिन मैने आधे घंटे की बाताए 50 मिनट इस काम पर लगाए है इसलिये किसी सदस्य यको यह कहना भाोभा नही देता मुझे टाईम नही दिया गया।

श्रीमती सुशमा स्वराजः सवाल प्वायंट आफ आर्डर का था। आपने एक रूल कोट किया था (व्यवधान)

Mr. Speaker: When I was reading a thing, you were getting up and saying that there is a point of order. आपने एक प्वायंट आफ आर्डर रेंज किया था That was a most frivolour point of order कि मै छोटे कद की हूं और मरे सामने जो आदमी बैठे है लम्बे कद के है इसलिये मेरी सीट यहां से बदल दी जाए।

श्रीमती सुशमा स्वराजः मेरा यह प्वायंअ आफ आर्डर नही था (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिहः आन ए प्वायंअआफ आर्डर। मेरा प्वायंअ आफ आर्डर यह है कि सरकार की तरफ से एक रैजोलू ान आया। उस रैजोलू ान के आने केबाद हमने कुछ अमैन्डमैट्स दी जो अपने नोट की थी और हमने खासतौर से वे

अमैन्डमैन्ट्स नोट करवाई थी। आपने रेजोलू ान पर सदस्यों की वोटिंग कराई है। मेरा कहना यह है कि आपको उन अमैडमैट्स पर भी वोटिग करानी चाहिये थी (व्यवधान)

राजस्व मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): अमैडमैट्स कितने टाईम पहले आनी चाहिये.....

श्री अध्यक्षः किसी रैजोलू ान पर गर कोई मैडमैंट आए तो वह लिखित रूप में पहुंचनी चाहिये थी। दो घण्टे के लिये सदन ऐडजर्न रहा और मै यह इंतजार कर रहा था कि कोई अमैडमैट आएगी लेकिन लिखित रूप में कोई अमैडमैंट नही आई।

राव बीरेन्द्र सिहः अमैडमैंट मैने पे ा की थी। मैने आपको नोट कराई थी। मैने आपसे दरखास्त की थी यह हमारी तरफ से अमैडमैंट हैं उस आपने यह नही कहा था कि लिखित रूप में आनी चाहिये। अगर यही तरी है कि अमैडमैट की रवाह न की जाए तो यह ठीक बात नही है (व्यवधान)

ठाकुर बीर सिंहः आपको रूल्ज पढ़ने चाहिये थे कि अमैडमैट कितनी देर पहले देनी चाहिये।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): रूल्ज आफ बजनैस में लिखा हुआ है कितनी देर पहले अमैडमैट देनी चाहिये।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, सारे हाउस की कॉसेन्सल यह है कि सारी पार्टीज की एक कमेटी बना दी जाए (व्यवधान)

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

Mr. Speaker: I have received notice of a Call Attention Motion from Sh. Har Swarup Bura concerning the pitiable and bad condition of the buses of Haryana Roadways and misappropiration of bus fare. The motionis admitted.

The hon. Member may please read his motion.

चौधरी हरस्वरूप बूरा: मै सदन का ध्यान आव यक लोक महत्व के एक मामले की ओर दिलाना चाहता हूं अर्थात हरियाणा रोडवेज की बसों की हालत इतनी दयनीय तथा खराब है कि उसको हाउस के सामने लाना आति आव यक हैं हालत ही खराब नही है, धान्धली भी बड़ी भारी हैं सवारियों से खासकर छोटे सफरवाली सवारियों से पैसे तो एंठ लिये जाते है परन्तु टिकट नही दिया जाता है कन्डैक्टर को हने की हिम्मत नही पड़ती, दो मिनट में बेइज्जती कर देता है।

बसें इतनी खराब है कि आ चर्य होता है कि इनकों रूट पर चलने की मन्जूरी किस न दे दी। इस कड़कती सर्दी में भी खिड़कियां नही हैं बौडी टूटी हुई है। भी ाों का तो नाम ही नही है। पत्तियां उखड़ी हुई है। ईजन अंगीठी बनी हुई है धुंआ ही धुआ। सवारिया एक बस में 100—125 होती है खड़ा होने की भी

जगह नही। काफी बसों के तो छत पर बैठ कर लोग जाते है। सामान कहां रखे अन्दर लगह नही या रखने नही देते। छत टूटी हुई है। सीटों की हालत यह है कि बैठो तो गद्दा नही, किसी के ब्रेक नही, किसी में तो बैठते ही अन्दर सवारी चली जाती है।

छत पर सामान चढ़ाने के लिये कन्डक्टर हाथ तक नही लगवाता। कुली कहां है रास्तों में। इसलिए सामान वाले घण्टों इन्तजार करते रहते है। लोग जनता सरकार को बड़ी गालिया देते है। कई मरतबा तो गाड़ी में सवारी बहुत कम है, परन्तु ड्राईवर रोकने का नाम ही नही लेता। बसों की इतनी कमी है कि अधिकारी भी कुछ कर नही सकते सिवाएं पुरानी गाड़ियों को चलाने के। स्पेयर पार्टस का नाम ही नही गाड़ी में।

अगर बसों की कमी है और हालत यह है तो यह कैसा राश्ट्रीयकरण के बाद तो पब्लिक को सहूलियत होनी चाहिये थी, परन्तु है उल्टा। कोई कानून लागू नही। प्राइवेट बसें चलने नही दैते।

लोग बेकार बैठे है। अगर उनकों मिनी बसों के परमिट दे दिये जाये तो बेाकर लोगों के को काम मिल जाए तथा जनता को आराम मिल जाए।

क्योंकि यह मसला अत्यधिक पब्लिक महत्व का है, अतः सरकार को फौरी ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे, यह दोनों बातें पूरी हो सकें।

श्री अध्यक्षः क्या चीफ पालियामैन्टरी सैक्रटरी साहब, इस बारें में कुछ कहना चाहेगे?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुरेन्द्र सिंह औजला): स्पीकर साहब, मै आपकी इजाजत से इसबारें में कल जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्षः कल तक के लिये आपको टाईम दिया जाता है।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण

(चौधरी लाल सिंह द्वारा)

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरा एक जाति मामला है। मै सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं और मेरी रिक्वैस्ट है कि इस बीच कोई टीका टिप्पणी नही होनी चाहिये। मै आपकी मारफत हाउस को बताना चाहता हूं कि जब मै मीसा के अधीन जेल के अन्दर एक सैल मै। बन्द था।

श्री कंवल सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मै यह जानना चाहता हूं कि क्या हरेक सदस्य को अपना हरेक मामला सदन में पे ा करने की इजाजत है?

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मै अर्ज करना चाहता हूं कि उस वक्त जब में जेल की सैल में बन्द था और मेरी लोगों से मुलाकात भी बन्द थी और मेरी डाक भी सैन्सर की जाती थी और जो कोई मुझ चिट्ठी लिखता था उसको भी जेल में बन्द कर

दिया जाता था, उस वक्त के बारें में राव साहब ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि * * * * *

राव बीरेन्द्र सिंहः मैने कोई इल्जाम नही लगाया था।

श्री अध्यक्षः राव साहब कह रहे है कि मैने इल्जाम नही लगाया है।

चौधरी लाल सिंहः * * * * * * * अगर यह बात मुझको पब्लिक में बदनाम करने के लिये कही गई है तो यह कोई अच्छी बात नही है। राव साहब इस बात को क्लीयर कर दें।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, चौधरी लाल सिंह को मेरी बात से दुःख हुआ, इसका मुझे अफसोस है। स्पीकर साहब, पिछले बाईस तेईस वर्श से सरदार प्रतापसिंह कैरों के जमाने में ये मेरे बड़े पक्के स्पोर्टर रहे है। उसके बाद से लगातार हमारी दोस्ती और प्यार भी चला आ रहा है और इसके साथ मजाक भी चलता रहा है। अब अगर मेरी बात ये इनको चिढ़ हो गई है या मैने इनको चिढ़ाया था तो मै यह बताना चाहता हूं कि मेरा यह मकसद नही था कि इनकी नियत पर कोई इल्जाम लगाऊं या कोई मोटिव इम्पप्यूट करूं।

Mr. Speaker: Order please, order.

कार्य सलाहकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I report the time table fixed by teh Business Advisory Committee in regard to various businesses.

The Committee met at 11.30 A.M., on Wednesday, the 27th December, 1978, in the Chamber of the Speaker.

The Committee after some discussion, recommended that the business on the 27th and 28th December, 1978, shall be transacted by teh Vidhan Sabha as under:-

Wednesday, the 27th December, 1978 (at 2.00 P.M.)

1. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.

2. Motion under Rule 30 regarding suspension of private members business on thursdah, the 28th December, 1978 and transaction of Government Business.

3. Discussion and votion on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 1978-79.

4. Legislative Business

1. The Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Second Amendment Bill, 1978.

2. The Punjab Ayruvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1978 One Hour

3. The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1978.

4. The Medical College Rohtak Bill, 1978. Half an Hour.

Thursday, the 28th December, 1978 (9.30 A.M.)

1. Question Hour

2. Papers to be laid on teh Table. – Laying of the Audit Report of the Haryana Financial Corporation for the year ending on 31st March, 1977.

3. Legislative Business

1. The Haryana Appropriation (No. 5) Bill, 1978 2 hours

2. The Haryana Urban Development Authority (Amendment) Billl, 1978. 15 minutes

3. The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 1978. 15 Minutes

4. Discussion on Half Hour Discussion Regarding Starred Question No. 760

5. Discussion and voting on the Official Resolution regarding Ratification of the Constitution (Forty Fifth Amendment) Bill, 1978, as passed by two Houses of Parliament. 2 hours.

Now, I would request the Hon. Minister to move the motion.

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः—

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम प्रतिवेदन में दी गई सिफारि ों स्वीकार करता है।

Mr. Speaker: Motion moved:-

That this House agree with the recommendations contained in the First Report of the Business Advosory Committee.

Mr. Speaker: Question is:-

That this House agree with the recommendations contained in the First Report of the Business Advosory Committee.

The motion was carried.

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः—

कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 30 निलम्बित किये जाये तथा वीरवार 28—12—1978 को सरकार कार्य किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved:-

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 28th December, 1978.

Mr. Speaker: Question is:-

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 28th December, 1978.

The motion was carried.

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, मैं कुद निवेदन करना चाहता हूं। आप जरा इधर भी आंख उठाकर देख लिया करें तो कृपा होगी।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, मैंने जरूर आंख उठाकर देखा है। आप मौके के ऊपर चुस्त रहें। मैंने सबको बोलने का मौका दिया है।

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसे ही औपचारिकता पूरी करनी होती है तो कर लिया करे, सब को यहां

पर बैठाने की क्या जरूरत है? (ाोर) अध्यक्ष महोदय कल जब यहां हाउस में प्राईवेट बिल पर डिस्क ान हो रही थी तो उस वक्त मै बोलने के लिये खड़ाह ुआ था पर मुझे बोलने की आज्ञा नही दी गई।–(ाोर)–

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, वह मो ान पास हो चुकी है, अब यह डिस्क ान अलाऊ नही की जा सकती।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, मेरी आपसे गुजारि ा है कि जो बिल आ रहे है, वे बड़े ही इम्पाटैन्ट बिल है। कम से कम रूल्ज के मुताबिक हरेक बिल पर, हरेक मैम्ब्र को बोलने का मौका मिलना ही चाहिये और डिस्क ान के लिये समय भी काफी रखा जाना चाहिये। कम से कम बिलों पर बोलने के लिये, तैयारी करने के लिये समय अव य मिलना चाहिये। इतनी जल्दी में इतने इम्पाटैंट बिल पास नही होने चाहिये। ऐसी कोई एमरजेन्सी की बात नही है, इन बिलों पर थारों डिस्क ान होनी चाहिये।

वर्श 1978–79 के लिए अनुपूकरक अनुमान (दूसरी किस्त)

(i) राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा

Mr. Speaker: Those hon. Members who wish to discuss the charged items may please do so.

(No Memeber rose to speak)

(ii) अनुपूरक अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: According to the previous practice and order to save the time of the House, all the demands but whil speaking they will have to indicate the demand number on which they want to raise discussion.

Guillotine will be applied after two hours.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,07,12,000 be granted to the Governor to defrary the chrges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 4-Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 30,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 11-Urban Developtment.

That a supplemantary sum not exceeding Rs. 9,99,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand NO. 16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,40,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, मै कुछ सुझाव देना चाहता हूं। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, अभी नही। जब एक आईटम इंट्रोडयूस हो गई है, उसे बाद कोई दूसरी आईटम नही हो सकती। (ाोर)

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, मुझे इसी से सम्बन्धित एक बात कहनी है। आज हमारा सदन केवल 6 बजे तक चलेगा, इसलिए समये बहुत थोड़ा है और दो घंटे के बाद, आप ने कहा है कि गिलोटिन लागू होता। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, अगर बिजनैस पूरा नही होगा और अगर बात है तो इस का समय परसों तक और बढ़ा दिया जाए।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, आपने बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस मे पढ़ दी है। तो फिर स्वामी जी आबजैक ान किस बात का कर रहे है?

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, हाउस तो सुप्रीम है, हाउस तो अभी भी अपने निर्णय पर विचार कर सकता है। 8 करोड़ 27 लाख रूपये की बड़ी मांगों पर हम विचार करने जा रहे है जिसके लिये यह समय बहुत थोड़ा है, बहुत सारे माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहेगे, इसलिए मेरी आपसे व

सारे हाउस से प्रार्थना है कि इस हाउस का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, यह बात तो मै आपकी मानता हूं पर जब बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने पे ा हुई तो आपकों उस वक्त उठकर बोलना चाहिये था। अगर बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट पास नही होती तब तो हम कंसिडर कर सकते थे।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, कल भी मैने आपके चैम्बर में मिलकर आग्रह किया था कि यह तीन दिन का सै ान का समय हमें बहुत थोड़ा रहेगा। बहुत से महत्वपूर्ण मसले हमारे सामने डिस्क ान के लिये है। खासकर के 45 वां सं ाोधन बड़ा महत्वपूर्ण हमारे सामने डिस्क ान के लिये है। इतने थोड़े समय में सभी माननीय सदस्यगण नही बोल पाएंगे और अपने विचार समय की कमी के कारण खोलकर नही रख पाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी वि ाद चर्चा में लोगों का राश्ट्र ि ाक्षण भी होता है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सै ान का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, मै आपके विचारों 100 परसेन्ट सहमत हूं कि सभी मैम्बरों को बोलनक का अव य मौका मिलना चाहिये।

स्वामी अग्निवे I: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा कि दो घण्टे में गिलोटिन लागू हो जायेगा। हम कल 8 करोड़ के लगभग मांगों पर विचार करने जा रहे है इसलिए मै आपसे वे आपके द्वारा सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि एक दिन के लिए 29–12–78 के लिये सदन को और बढ़ाया जाए––(ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हमने अपना प्लैन बना लिया है उसकों हम अब कैसे चेन्ज कर सकते है (ाोर)

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, चूंकि सप्लीमैन्टरी डिमांडज पर चार्जज ऐक्सपेन्डीचर बहुत कम है, तीन चार डिमांडज केवल बोलने वाली है इसलिये मेरी आपसे गुजारि ा है कि सभी आईटमज पर इकठ्ठी ही डिस्क ान हो जाये।

Mr. Speaker: That is what I have said .....(interruptions).....

राव बीरेन्द्र सिह: नही जी, मै समझता कि आप कर रहे है कि जो चार्जड आईटम पर बोलना चाहे वह बोले। इसलिये आप इसे इक्ठ्ठा ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, मै आपसे सहमत हूं मैने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि चार्जड आईटम बहुत छोटी है, 10 मिनट में

ही डिस्क ान खत्म हो जाएगी, उस पर अगर कोई न बोलने चाहे then we straightaway got on to the voted items. (Interruptions)

श्री भाम ोर सिंह (नरवाना): स्पीकर साहब, मै डिमांड नं० 11, जो अर्बन डिवैल्पमेंट के बारें में है, पर बोलना चाहता हूं। इस डिमांड में तीन म्युनिसिपल कमेटियां है। जिनकों दस दस लाख रूपया सड़कों की मुरम्मत के लिये, नालियायें की मुरम्मत के लिए और नई स्कीमों के निर्माण के लिए सरकार ने दिया है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) मै इन डिमांड्ज के बारें में आपत्ति उठाकर यह बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा की बाकी म्युनिसिपल कमेटियों को छोड़कर, उनकों इग्नोर करके इन तीन म्युनिसिपैलिटीज को सिंगल आउट करके सरकार ने 10—10 लाख रूपया देकर हरियाणा की दूसरी म्युनिसिपैलिटीज के साथ बड़ा भारी अन्याय किया है और यह डिस्क्रिमिने ान की बात है।

(चौधरी राम लाल वधवा की तरफ से विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, वधवा साहब को खु ा होने की जरूरत नही है। (व्यवधान) इसी साल करनाल और रोहतक के इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को 25—25 लाख रूपया सरकार ने दियाहै जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट टूटने के बाद अल्टीमेटली म्युनिसिपल कमेटियों को चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि ''अन्धा बांटे सीरनी, अपने अपने को देय''। डिप्टी स्पीकर साहब, इससे ज्यादा डिस्क्रिमिने ान की और बात कोई नही हो सकती, ऐसी कोई मिसाल नही है। पालियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर, जो जनता पार्टी के खास घटक से ताल्लुक

रखते है, उपाध्यक्ष महोदय, मै आपकी मारफत यह बात सबसे कहना चाहता हूं कि रोहतक म्युनिसिपल कमेअी मै, इस घटक के सबसे बड़े लीटर, जो वहां से चुन कर आये है.....(व्यवधान)

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): सिरसा में कौन सा घटक है (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा: सिरसा में तो श्री भांकर लाल जी है, 10 लाख रूपया दिया है.....(व्यवधान)

श्री भाम ोर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, ये औबस्ट्रक ान का जो रोल प्ले कर रहे है, यह ठीक नही, ये बीच में न बोले। (व्यवधान) सिरसा डबवाली तो मुख्य मंत्री जी का अपना हलका है, अपना भाहर है। उनकों खु ा करने के लिए..... .....

डाक्टर मंगल सैन: वे तो गांव में रहते है (व्यवधान)

श्री भाम ोर सिंह: गांव में नही रहते, यह सब को पता है कहां रहते है।

श्री भागी राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, जो डिस्ट्रिक्ट सबसे पीछे है, हर हालत में बैकवर्ड है और रोज ही फलड आ जाते है, उनकों डिवैल्पड डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? और..... .....

श्री उपाध्यक्षः यह प्वायंट आफ आर्डर नही हे, आप बैठ जाइए, बाद में बोल लेना (व्यवधान)

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इस तरह की मदाखलत होगी तो मेरा टाइम जाया हो जाएगा। मै कह रह था कि जब से जनता पार्टी बनी है, चाहे रोड़ज की बात हो, चाहे बिल्डिंग की बात हो, चाहे वाटर सप्लाई स्कीम की बात हो, चाहे डिवैल्पमैंट के लिये रूपया खर्च करने की बात हो, जनता पार्टी के वजीरों ने हर चीज में भेदभाव का रवैया अख्तियार किया है और यह डिमांड नं० 11 से जाहिर होता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जनता पार्टी के मन्त्रियों को यह ख्याल है कि बहुत जल्दी ही चुनाव होने जा रहे है, इसलिए जितना सरकारी खजाने का रूपया अपने अपने हलकों में लगा सकते है उतना लगा लें और भाायद लोगों को खु ा करने से इलैक ान में वोट मिल जाएंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से इनकों एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से बहुत ज्यादा काम करने से, डिवैल्पमेंट के काम अपने अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा करने से अगर सरकार समझती है कि वे दोबारा चुन कर आ जाएंगे तो मै उन्हें बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा अच्छा डिवैल्पमेंट का रिकार्ड किसी दूसरी पार्टी का नही हो सकता, जनता पार्टी का तो कभी नही हो सकता, जनता इनकों आंक चुकी हे, इनके काले कारनामें देख चुकी है। (चौधरी राम लाल वधवा की तरफ से विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, ये पालियामेंटरी

मिनिस्अर, मुझे प्रोवोक करके यह कहलवाना चाहते है कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में बगैर भेदभाव से एक–एक गांव में सड़के बनवाई, बिजली दी और हर सब–डिवीजनल टाउन में एक–एक होस्पिटल बना कर दिया, बगैर किसी डिस्क्रिमिने ान से सारे हरियाणा में डिवैल्पमेंट के काम किए हैं आज इनके राज में म्युनिसिपल कमेटी की हालत इतनी खराब है कि जिसकी मिसाल कही नही मिलती। सारे के सारे टाउन्ज सलम्ज में कन्वर्ट हो गए है। जब से जनता पार्टी आई है सारे भाहरों की सड़के टूट गई है, नालियों का कोई इन्तजाम नही है, वाटर सप्लाई स्कीम्ज का इतना बुरा हाल है कि गरीबों की गलियों, हरिजन लोगों की बसितयों पानी के लिए तड़प रही है उनको पीने के पानी का कोई इन्तजाम नही है। जनता पार्टी की सरकार को सारे हरियाणा को एक नजर से दखना चाहिए और जिन भाहरों में सड़के टूटी है, जिन म्युनिसिपल कमेटियों को चुन लिया और चुना इसलिए है क्योंकि वे समझते है कि वहां के अपने मैम्बर है, अपने लीडर है, उनके हाथ मजबूत करें और वहां से उनकों ज्यादा वोट मिले। करनाल और रोहतक की म्युनिसिपैलिटी को 25 लाख रूपया इसी सरकार ने दिया है जो बहुत अफसोस की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, तकरीबन डेढ़ साल का अर्सा इसकों सत्ता में आए हुए हो गया है। इलैक ान में इन्होने जनता से वायदा भी किया था कि हरियाणा प्रदे ा के लोगों को इस बात काक मौका

दिया जाएगा कि वे आपना नुमांयदा स्वयं चुन सकें, लोकल बाडी का चुनाव कर सकें, लेकिन इस डेढ़ साल के अर्से में न जाने कितनी बार लोकल बाडीज के चुनाव सरकार पोस्टपोन कर चुकी है। इसका कारण यह है कि जनता सरकार के मंत्री भाहरों को इलैक ान में फेस नही कर सकते। इनकों अच्छी तरह से पता है कि अगर वे चुनाव करवाते है है तो इनकी करारी हार होगी। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ पता नही कि म्युनिसिपल कमेटीज के चुनाव करवाएंगे भी या नही, लोगों को इन पर वि वास ही नही है।

डाक्टर मंगल सैनः 25 मार्च को इलैक ान करवा रहे है।

श्री भाम ोर सिंहः पहले भी आप कई तारीखे मुकर्रर कर चुके है, आपका कोई ऐतबार नही है। (व्यवधान) अगली बात मै यह कहना चाहता हूं कि जो इन्होने म्युनिसिपल कमेटीज में एडमिनिस्ट्रैटर मुकर्रर किए है, वे एक खास घट के, एक ही धड़े के लगा रखे है। मेरे अपने भाहर नरवाना की म्युनिसिपल कमेअी में हमारे पालियामेंटरी मिनिस्अर साहब ने बाहर एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हुए हैं मैने चार महीने पहले यह बात लिख कर दी थी, कि नरवाना से डैपुटे ान के रूप में मेरे पास लोग आए थे जिन्होने लिख कर दिया था कि वे भाराब पीते हुए पकड़े गये हे, बस में बगैर टिकट ट्रैवल करते है.....

चौधरी राम लाल वधवाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। इन्होने इनके खिलाफ चार्चिज दिए थे, उसकी इक्न्वायरी हुई और रिपोर्ट आई जिसका नोटिफिके ान भी हो गया है। जनता सरकार सबसे पहली सरकार है जिसने कांग्रेस (आई) के सदस्यों के कहन पर उनको वहां से ट्रांस्फर कर दिया, कोई और सरकार होती तो कभी न करती।

Rao Birender Singh: Can the Minister for Parliamentary Affairs raise a point of order?

Dr. Mangal Sein: Why not? It is correct him.

चौधरी राम लाल वधवाः वे गलत बयानी कर रहे है, उनकों करैक्ट किया है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): क्या ये ऊंची बात कह रहे है, सारे हरियाणा की बात कर रहे है? ये तो नरवाना में जा फंसे.....(व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः मै इनकों बता चुका हूं और हाउस में भी मैने कहा है.....(व्यवधान)

श्री भाम ोर सिंहः चलों ठीक है, मै सारे हरियाणा की बात कर देता हूं।

श्री टीप चन्द भाटियाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मै अपने मुअजिज मैम्बर से पूछना चाहता हूं कि यह इनकी हकूमत है या हमारी हकूमत है? मै इनसे

यह भी पूछना चाहता हूं कि गवर्नमैंट जो ऐडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहेगी वह अपने आप लगाएगी या तुम्हारे से पूछ कर लगाएगी? 30 साल तक तो तुम राज करते रहे हो, अब क्यों परे ाान होते हो? (हंसी)

चौधरी राम लाल वधवाः ये जैसे संजय गांधी से पूछकर सभी काम किया करते थे वैसा ही हमारे से भी चाहते है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः भाटिया साहब, आप बैठिए।

श्री दीप चन्द भाटियाः वे महसूस कर रहे है कि ये सरकार के अन्दर बैठे हुए है, अपोजी ान के अन्दर नही बैठे हुए है। इनकों अभी तक असल में एमरजैसी वाली आदत नही भूली है। ये भूल गए है कि उस समय बेगुनाह लोगों को कितना तंग किया गया था और अपना राज कायम रखने के लिए जेलों में डाला गया था। (ाोर) अब भी इन्होने दफ्तर तोड़े है, जगह–जगह आग लगाई हैं इन लोगों को आप लोगों ने जेलों में तो डाला लेकिन उसी वक्त निकाल दिया। (ाोर) मै तो यह चाहता हूं कि इन लोगों के साथ वैसा ही सलूक किया जाए जैसा इन्होने एमरजैसी में हम लोगों के साथ किया था। (ाोर)

श्री भाम ोर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इनकों हमारा भाुक्रगुजार होना चाहिए। हमारी वजह से हो तो ये हाउस में बैठे है वरना हाउस में बैठना इनकों कहां नसीब था? (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय, मैने अभी आपके द्वारा हाउस को यह बताया कि हरियाणा में म्युनिसपैलेटीज की द ा कितनी बुरी है, सैनेटरी कन्डी ंज की हालत किनी बुरी है। उसको देखते हुए इनकों हरियाणा की सभी कमेटीज को प्रायरिटी के बेसिज पर रूपया देना चाहिए। इन्होने खासतौर पर उन कमेटीज को चुना जिनसे ये समझते थे कि इनके हाथ मजबूत होगे, जोकि बुरी बात हैं इसके अलावा ये चुनाव भी नही कराने जा रहे है क्योंकि म्युनिसपैलेटीज के ऊपर से अपना कब्जा ऐडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा रखना चाहते है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, श्री बीरेन्द सिंह जी ने अभी कहा कि मै सारे हरियाणाक की बात करूं मै सीरियसली सारे हरियाणा की बात करना चाहता हूं जनता पार्टी की सरकार की बजाय अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार हेाती तो चाझैधरी राम लाल वधवा जी के आज मंत्री रहने का सवाल ही पेदा नही होता। (विघ्न)

डाक्टर मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोद, जरा इनको समझाइये। इर–रैलेवैअ बात करना इनकों भाोभा नही देता।

श्री उपाध्यक्षः आप म्युनिसिपल कमेटीज की डिमांड पर बोले।

श्री भाम ोर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, जो लेकन बौडीज के मंत्री है उनके खिलाफ आज करनाल के सी०जे०एम० की कोर्ट में 193 आई०पी०सी० के तहत कम्पलेन्ट दर्ज है।

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, चूंकि इन्होने हाउस में मामला उठाया है इसलिये मै इन्हें बता देता हूं कि किल दिनांक 26–12–78 को सी०जे०एम० साहब ने फैसला सुना दिया है और उस केस को डिसमिस कर दिया है।

राब बीरेन्द्र सिंहः यह हुई न मिनिस्टरी की भाान।

श्री भाम ोर सिंहः अगर सी०जे०एम० साहब ने कल फैसला दे दिया है तो भी कल ये पहले तो ये मंत्री रहे। आठ महीने के मुलजित होते हुए भी यह यहां विराजमान रहे।

Ch. Ram Lal Wadhwa: This was merely a complaint by some person (Interruptions) Any person can file any complaint against any one.

श्री भाम ोर सिंहः वह किसी मामूली आदमी की कम्पलेन्ट नही थी बल्कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फौरमर चीफ जस्टिस श्री ए०डी० कौशल ने यह कम्पलेन्ट कर रखी थी। अगर आप बरी हो गये है तो अच्दी बात है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोद, मै आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार म्युनिसिपल कमेटीज के इलैक ान जल्दी से जल्दी कराये, जो कुरप्त एडमिनिस्ट्रेटर्ज इन्होने वहां बैठा रखे है उनकों वहां से हटाए और सारी म्युनिसिपल कमेटीज को बराबर रूपया दे ताकि म्युनिसिपल कमेटीज की कन्डी ांज इम्प्रूव हो सके। (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: No direct intervention please (Interruptions) order please, order.

श्री बलदेव तायल (हांसी): उपाध्यक्ष महोदय, मै सरकार के अनुपूरक अनुमानों को अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं मै, यह जो म्युनिसिपल कमेटीज की सरकार ने ग्रांट दी है मै इस फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत अर्से के बाद सरकार ने भाहरों की तरफ ध्यान देना भुरू किया है। यह बात दीगर है कि सरकार के पास इतनापैसा नही है कि वह सारी म्युनिसिपल कमेटीज को इक्ट्ठा अनुदार दे सके परन्तु जितना दिया गया है उसका मै स्वागत करता हूं। यहां यह कहना भी अनुचित नही होगा कि आज हरियाणा के नगरों की द ा बहुत दयनीय है। आप हांसी भाहर को ही ले लीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह काफी पुरारा भाहर है।

श्री बलदेव तायल: हां, पुराना भी है, दुर्गनधपूर्ण भी है, गन्दा भी है, आप रोज वहां जाते भी है लेकिन अफसोस यह है कि आप उधर ध्यान नही देते। यह मै आप को बता रहा हूं, आपका ध्यान इस ओर आकर्शित करा हूं क्योंकि आपने मुझे टोका है।

चौधरी संत कंवर: उपाध्यक्ष महोदय, आप कुर्सी पर बैठे हुए है। आपके सामने इस तरह से अगर मान्य सदस्य बात करेंगे जिस तरह कि चौपाल में बात करते है तो अच्छी बात नही है।

श्री बलदेव तायलः उपाध्यक्ष महोदय, मै समझता हूं कि चौधरी संत कंवर जी जो कुछ कह रहे है उसकों ध्यान में रखते हुए वे पहले सदन के अन्दर अपना रवैया तो देख लो। दूसरे सदस्यों को क्रिटिसाइज करने से पहले उन्हें अपना रवैया देखना चाहिए। जब भी कोई मैम्बर बोलने के लिए खड़ा हाता है तो वे लाजमी तौर पर इन्टरफीयरैन्स करते है। मैने भाुरू में ही आपकों सम्बोधित किया था लेकिन बीच में चूंकि मंत्री महोदय ने कहा कि हांसी पुराना भाहर है, इसलिए मैने भी उनके सम्मान में कुछ कह दिया लेकिन कोई भी भाब्द ऐसी नही कहा जो इस सदन की भाान के खिलाफ हो। (विघ्न) तो उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मै सरकार का ध्यान हांसी नगर की ओर आकर्शित कराना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार के वक्त से लेकर आज तक उस नगर की ओर आकर्शित कराना चाहता हूँ। कांग्रेस सरकार के वक्त से लेकर आज तक उस नगर की द ाा दिनों दिन गिरती गई है लेकिन किसी भी सरकार ने वहां की नगरपालिका को एक पैसे का अनुदान नही दिया। कभी थोड़ा बहुत दिया भी तो वह सरकारी खर्चे में लिखा गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक ओर बात की ओरभी मै सरकार की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। उस नगर के अन्दर इतनी जितारत थी इतना व्यापार था जिसका कोई हिसाब नही। यही नही वहां खेाती भी बहुत होती थी लेकिन फ्लडज के कारण वह सारी उजड़ चुकी है। आए साल वह नगर चारों तरफ से पानी से घिर जाता है और सड़के आदि टूट जाती है। आज जो म्युनिसिपल कमेटी पैसा इकट्ठा करती हैवह कुछ तो

सड़कों की रिपेयर पर खर्च हो जाता है और कुछ वहां के कर्मचारियों की तनख्वाह में चला जाता है। इन भाब्दों के साथ मै आपका धन्यवाद करता हूं कि इसने इस ओर ध्यान दिया।

चौधरी उदय सिंह दलाल (बादली): उपाध्यक्ष महोदय, मै इस बजट का समर्थन करता हूं लेकिन आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान झज्जर भाहर की तरफ दिलाना चाहता हू। झज्जर एक ऐसा भाहर है जिसकी सड़कों तक गाड़ी नही जाती। झज्जर मे ंएक सरकुलर रोड है उसकी इतनी बुरी हालत है जिसके बारें में कुछ कहा नही जा सकता। अगर वहां की कमेटी की हालत को देखा ाजये तो वह और भी भार्मनाक है। इस कमेटी से बुरी हाल किसी और कमेटी की दुनिया मे ंनही हो सकती। झज्जर का बहुत ही पुराना कस्बा है। यहां के नवाब ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसको फांसी दी गई थी। जहां तक रोहतक म्युनिसिपल कमेटी की बात है वह तो बहुत ही अमीर कमेटी है, उसके पास बहुत पैसा है, वह अपना काम करसकती है। इसलिए इन्साफ के तकाजे को पूरा करने के लिए जरूरी है। कि झज्जर कमेटी कोभी पैया दिया जोय। मै तो यह कहूंगा कि बेरी, झज्जर, कलानौर की जो कमेटिया है उनकी द ाा बहुत खराब है, वहां पर किसी चीज का कोई प्रबन्ध नही हैं वहां के लिए पैसा अव य दिया जाना चाहिए। उनको पैसा थोड़ा बहुत कम दि दया जाये और जहां जरूरत है उनकों पैसा दिया जाये। इन लफ्जों के साथ मै अपनी

जगह लेता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया।

राव बीरेन्द्र सिह (अटेली): डिप्टी स्पीकर साहब, मै डिमान्ड नम्बर 11 के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। वैसे तो मेरे काफी साथियों ने बहुत कुछ कह दिया है। मै आपका ध्यान डिमान्ड नम्बर चार और आठ की ओर भी आकर्शित करना चाहता हूं। फल्ड रिलीफ के लिए एक करोड़, दो करोड़ रूपया सरकार खर्च कर देती है। उसमें से ज्यादातर रूपया वक्ती इमदाद पर खर्च करने के बाद बरबाद हो जाता हैं इसमें कोई भाक नही है। पिछली बार भी जब भारू में फल्ड आये तो चौधरी हरद्वारी लाल जी फल्ड रिलीफ कमेटी के चेयरमैन बनाये गये। लाखों रूपया उस कमेटी पर खर्च हुआ होगा लेकिन आज तक यह मालूम नही हो सकता कि उस कमेटी ने क्या सिफार ात की? जब कोई इस तरह की कमेटी बनायी जाये, जब वह कमेअी पूरा काम कर ले तेा उसकी रिपोर्ट हाउस में लाई जाये और पता लग सके कि उसने क्या सिफार ाात की है ताकि उन पर अमल हो सके। जब ऐसी कमेटी की सिफार ाात पर गौर नही किया जायेगा तो आइन्दा फल्ड की कैसे रोकथाम की जा सकती है अगर नामचारे के लिए कमेटी बना कर उसकी रिपोर्ट हाउस में लाई जाये और पता लग सके कि उसने क्या सिफार ाात की है ताकि उन पर अमल हो सके। जब ऐसी कमेटी की सिफार ाात पर गौर नही किया जायेगा तो आइन्दा फल्ड को कैसे रोकथाम की जा सकती है। अगर

नामचारे के लिए कमेटी बना कर उसी रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट ही खत्म हो जाती है तो इन फल्उज का बन्दोबस्त नही हो सकता। इस तरह से कमेटी गना करत`ा सरकार का रूपया बारबाद करने वाली बात हैं डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपकके जरिए सरकार से दरखास्त करता हूं कि कई महीने तक उस कमेटी ने काम किया हे, उसने क्या–क्या सिफारा ाात की हे, यह रिपोर्ट हाउस के सामने रखी जाये और सरकार यह बताये कि उस पर क्यों नही अमल किया? यह जो सरकार ने एक करोड़, सात लाख ारूपया मांगा है सह कोई बहुत बड़ी रकम नही है और आप यह भी जातने है कि फल्ड का सारी स्टेट में भी नुक्सान नही होता हैं मुझें इस बात का भी अफसोस है कि यह सरकार इस तारीके से चल रही है कि पोलिटिकली हिसाब से मदद दी जाी है। इलको को देख कर, लोगों को देख कर, एम०एल०ए० को देख कर इमदाद की जाती है। मेरे हल्के में आज भी ऐसे गांव है जेसे मालड़ा, लावान वगैरह वहां पर अब भी पानी भरा हुआ है। उन गांवों में फसल नही बोई गई है वहां पर लगातार पानी चल रहा हैं किसी नदी का पानी वहां आ रहा हैं जब उनसे कहते है तो यही कहा जाता है कि हमारे बस की बात नही है। वह जोहड़ नही है, नदी का पानी आ रहा है। इसी तरीके से लोगों को इमदाद बांटने में भी कमी की जारह है। तीन–तीन सौ रूपये मकान बनाने के लिए दिये जा रहे है इतने थोड़े पैसे से क्या बन सकता है।।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): क्या आपने भी अपने टाईम पर इमदाद दी थी?

राव बीरेन्द्र सिंहः मैने अपने टाईम पर तो बहुत दी थी। आपके कहने पर तो मै करोड़ा रूपया दिया करता था। जब मै रेविन्यू मिनिस्टर था तो तीन तीन करोड़ रूपया दिया करता था।

दूसरी बात यह है कि डिमान्ड नम्बर 8 के लिए साढ़े दस लाख रूपया डिक्रिटल अमाउन्ट रखा गया है। ऊपर की कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके आधार पर किसानों को यह पैसा दिया जा रहा है। ओरियन्टल स्पन पाईप कम्पनी के लिए रनहेडा गांव की जमीन इक्वायर की गई लेकिन उनको जमीन का पूरा पैसा नही दिया गया तो उन्होने हाईकोर्ट में रिट दायर की तब जाकर उनको ज्यादा पैसा दिया गया। अगर पहले ही पूरा पैसा दिया जाता तो उनकों कोर्ट में जाने की क्या आव यकता थी?

श्री मूल चन्द जैनः यह तो आपकी पार्टी वाले ने किया था। हम तो उसकी सजा भुगत रहे है।

राव बीरेन्द्र सिहः जैन साहब, मै अगर कोई सुझाव देता हूं तेा आपको बुरा लगता हूं।

श्री दीप चन्द भाटियाः आपने बहुत अच्छी इनफर्मे ान दी है। जो किसी को भी मालूम नही थी। जिस तरीके से किसानों को जमीन का मुआवजा दिया गया हे, यह किसानों के साथ सख्त धक्का किया गया। अगर सरकार भुरू से ही उन किसानों को

मुआवजा ठीक दिलवा देती तो उनकों हाईकोर्ट में जाने की कया जरूरत थी? गवर्नमैंट का खर्च हुआ और गरीब किसानों का भी हुआ। दोनों को नुक्सान हुआ। बड़ी बडत्री कम्पनियों को लातादाद जमीन दी जा रही है। छोटे छोटे किसानों के साथ धक्का किया जा रहा हैं इन्डस्ट्री वालों को थोड़ी थोड़ी जमीन दी जाये। मुझे इसमें एतराज नही है कि इन्डस्टीलाइजे ान न हो, इन्डस्ट्री लगनी चाहिए लेकिन एक एक कम्पनी को तीन–तीन सौ और चार चार सौ एकड़ जमीन देना उचित नही हें इससे ज्यादा बे–इन्साफी की बात नही हो सकती। मै आपको सहगल पेपर मिल की मिसाल देना चाहता हूं। वह पेपर मिल पेपर तैयार करती है या नही, लेकिन उसको साढे तीन सौ एकड़ जमीन दे दी गई और अभी वह सौ एकड़ जमीन और मांग रहा है। रिवाड़ी से धारूहेड़ा और वहां से आगे चल कर मानेसर तक की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इस सौ एकड़ की मांग को सरकार जल्दी ही पूरा करने जा रही है।

चौधरी सत कंवरः कांग्रेस सरकार ने दी थी।

राव बीरेन्द्र सिंहः यह तो आपी सरकार ने दी है और आपकी सरकार और भी देना चाहती है। सरकार इन्डस्ट्री के लिए जमीन दे लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब तो खुद किसान है, उनकों किसानों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। जिस तरीके से इन्डस्ट्रीयलिस्टस को जमीन अलाट की जा रही है, यह ठीक नही है। उनकों इस प्रकार से जमीने अलाट करने से तो वे अपनी

एम्पयार बना लेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब को यह चीज नही होनी देनी चाहिए। लाल किले की भी कुल 105एकड़ जमीन है लेकिन एक एक कारखाने को चार सौ एकड़ जमीन दी जा री है।, यह गलत बात है। इससे ज्याद बे–इंसाफी हरियाणा की जनता के साथ नही हो सकती। मै तो यह अर्ज करूंगा कि जो बड़े कारखाने है उनसे जमीने ने कर छोटे कारखानों को दी जाये। आपने बीस हजार रूपये एकड़ जमीन ले कर उनकों दी है लेकन उनके भाव आज के दिन पचास हजार रूपये एकड़ तक हो चुके है और दो–डेढ़ साल के बाद एक–डेढ लाख एकड़ के भाव से वह बिकेगी। इस तरह से सरकार को भी नुक्सान हो रहा है ओर उन गरीब किसानों को भी हो रहा है। इन सारी चीजों की आप देखभाल कीजिए। इस बारें में एक कमेटी बैठाकर जांच की जाये कि किस इन्डस्ट्री के पास कितनी जमीन है और उसको कितनी जमीन की जरूरत है। जिसकी जितनी जरूरत है उसकों देखते हुए जमीन दी जाये। आइन्छा जो भी जमीन एक्वायरकी जाये उसकी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए एक्वायर की जये।

स्वामी अग्निवे ा (पुंडरी): उपाध्यक्ष महोदय, मै अनुपूकर मांग 1, 11, 16 और 17 के बारें में अपने विचार हाउस के सम्मुख रखना चाहता हूं। डिमान्ड 17 के अलावा मै डिमान्ड 25 परभी अपने विचार रखना चाहूंगा जैसा कि आपको ज्ञात है कि बाढ़ के कारण मकानों को जेा क्षति पहुंची है वह वर्णन नही की जा सकती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मकान पूरी तरह से नश्ट हो चुके है।

सरकार की ओर से उनके लिए तीन–तीन सौ रूपये अधिकतम रखे गये है और कुछ लोगों को तो वे भी नही मिले। यह जो लिमिट रखी गई है यह बहुत थोड़ी है। लोगों के कितने ही बड़े–'बड़े मकान नश्ट हो गये है। अगर कोई छोटा मकान भी बनाना हो तो उसे लिए भी 300 रूपये कोई मायने नही रखते। मै समझता हूं कि मानवता, इन्सानियत यह सभी सिद्धान्तों के विपरीत है। एक तरफ तो सरकार पिजौर गार्डन के विकास के लिए दास लाख रूपये खर्च करने जा रही है, एक तरफ तो हम केवल तीन भाहरों के लिए 30 लाख रूपये खर्च करने जा रहे है, उन भाहरों में जहां पर बिजली है, पानी है, जहां पर फल ा की टट्टियां है, दुनिया भर की जहां पर सुविधाए जितनी हो सकती वे है। रोहतक एक भाहर है। मै यह नही कहता कि आप यहां पर बिल्कुल ही खर्च न करो। मै यह कहना चाहता हूं कि इस पैसे को इस वक्त यहां पर खर्च करने की जरूरत नही है। हमारी जनता पार्टी के सामने खास कर कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए। एक तरफ हमारे गांव है, और उन गांवों में भी झोपड़ियों में रहने वाले लोग चाहे वह हरिजन भाई है या बैकवर्ड क्लासिज के भाई है या दूसरे गरीब भाई है जो बाढत्र के अन्दर बह गये। हम ऐसे बेचारें लोगों को तो केवल 300 रूपये दे रहे है जिससे केवल अपने मकान में भाहतीर भी नही लगासकते, दो–चार बोरी सीमेंटन नही ले सकते, हजार दो हजार इंटो नही ले सकते और दूसरी तरफ भाहर में रहने वाले लोगो के मकानों को सजाने के के लिए, वहां पर पर्का बनाने के लिए, वहां पर फव्वारे लगाने के लिसे , हम 30 लाख रूपये खर्च करने जा

रहे है यह हमारे नेता की नीतियों के बिल्कुल उल्ट है। अभी परसो–चौथ अद्वितीय किसान रैली हुई। उनकों सम्बोधित करते हुए हमारे नेता चरण सिंह जी, जिसकों हमारे मुख्य मंत्री जी भी अपना नेता मानते है, ने यह कहा कि आज तक सारे का सारा विकास का कार्यक्रम भाहरों में हुआ है। मै यह महसूस करता हूं कि हामरे मुख्य मंत्री जी भी चौधरी चरण सिंह जी को हमारे से ज्यादा अपना नेता मानते है, इसलिये कम से कम वे हरयिाणा में तो इस प्राकर की कोई बात नही होनी देंगे।

चौधरी देवी लालः फव्वारे के लिये तो नही है। हरिजनों की बस्तियों में स्लम क्लीयरैन्स तथा सड़क बनाने के लिये है।

स्वागी अग्निवे Iः तो मै यह कह रहा थाकि भाहरों के लिये तो फिर भी बहुत सी सुविधाएं हैं मै यह कहना चाहता हूं कि जो लोग बाढ़ से पीड़ित है, उनको तो आप सिर्फ 300 रूपये दे रहे है और भाहरों के लिये आप 30 लाख रूपये खर्च करने की करते हो। उने लिस ऋण की बाबत मे। एक बात करना चाहूंगा। जो बाढ़ पीड़ित लोग हे, उनके बैकों से ऋण दिलाने की बात आप कर रहे हैं आज जबकि कड़ाके की सदी का मौसम है, हम लोग अपने मकानों के दरवाजे और खिड़कियां सब बन्द करके सोते है और फिर भी हम यह महसूस करते है कि बहुत सर्दी है, हम उन बेचारों के लिय जो खुले आसमान के नीचे रात काटते है, उने लिये हम अीाी तक ऋण की व्यवस्था नही कर सके।

राजस्व मंत्री (ठाकुर बरी सिंह): मै इनकी सूचना के लिये एक बात बताना चाहता हूं.....(ाोर)

श्री उपाध्यक्षः आप जब जवाब देगे, तब बता देना। अभी इनको बोल लेने दीजिए।

स्वामी अग्निवे ाः मै अभी–अभी उन गांवों में होकर आया हूं जहां पर उस समय बाढ़ आयी थी। जो इलाके उस समय बाढ़ग्रस्त हो गये थे, मै वहां पर होगर आया हूं। मेरे साथ पत्रकार बन्धु भी थे (व्यवधान व भाोर) आप उनसे दरियाफत भी कर सकते है। मैने वहां से लौट कर, वहां पर सब कुछ देखने केबाद अपना वक्तव्य भी दिया और वह अखबारों में प्रकाि ात भी हुआ था। हमारे ट्रिब्यून अखबार ने उन बाढग्रस्त इलाकों मे जिस तरह से लोग आसमान के नीचे बैठे हुए है, उसकी तस्वीर भी छपी हुई है और उस तस्वीर से उनकी हालत स्पश्ट हो जाती है। मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई प्रैस्टिज की बात नही हैं इसके लिये चाहे आपकों कही से भी कटौती करनी पड़े, भाहरों का विकास दो दिन बाद में आप कर सकते है, पिजौर गार्डर में दो दिन बाद फल चखने के लिये जा सकते है लेकिन सबसे पहले बात जो होनी चाहिए वह गांव के विकास की होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः अब आप वाइन्ड अप कीजिए।

स्वामी अग्निवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, मैने अध्यक्ष महोदय से भी कह दिया था कि मुझे टाईम परा मिलना चाहिए बे ाक

आपकों हाउस का टाईम बढ़ाना पड़े। मै कोई गलत बात नही कर रहा हूं। मै डिमान्ड्ज की बाबत क रहा हूं, इसलिए आप मुझ अभी बोलने दीजिए। मै यह कह रहा था कि इन बाढ़ पीड़ितों को टौप प्रायरिटी देनी चाहिए। मैने वहां पर खुद जाकर देखा है। बैकों से इन्हे जो तीन सौ रूपये दिया गया है, उसके साळा ही साथ बिना ब्याज के ऋण दिलाया जाये। 5 हजार या 7 हजार रूपया इनके लिये ऋण का प्रबन्ध आप अगर कर देंगे तेा यह 5–10 साल में सरल कि तों में चुकता भी कर देंगे। इस ऋण की व्यवस्था हम अभी तक नही कर पाये है। इसलिये मै इस सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि इस ओर सरकार का ध्यान अव य दिलाया जाये। इसके अलावा मै यह भी चाहूंगा कि मकान को पक्का बनाने के लिये जो–जो चीजे चाहिए जैस ेइंटे, है, वे उनकों सस्ते रेट पर लियी जाये, कन्ट्रोल रेट पर उनको ंसीमेन्ड और लोहा दिलाये तभी उनकी हालत कुछ सुधर पायेगी वरना उनके साथ मजाक हो जायेगा। आपको पता है कि गांव में कच्चे मकान जब कभी बाढ़ आती है तो गिर जाते हैं फिर हम उनकी मदद करते हैं कच्चे मकान किन लोगों के है। वे सिर्फ उन गरीब लोगों के है जिन्हें हम हरिजन या बैकवर्ड क्लासिज के लोग कहते है। जिस किसी भी गांव में आप जायेगे आपकों एक तिहाई मकान इन हरीजन या बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के कच्चे मिलेंगे। हमें एक क्रै ा प्रोग्राम बनाकर जो एक तिहाई मकानों के लगभग कच्चे है, उनकों पक्का करने के लिये अपनी सारी ताकत लगा देनी चाहिए जिससे कि हर साल जो हम एक डेढ़ करोड़ रूपया इस मद पर खर्च

करते है, वह हमें खर्च न करना पड़े। कम से कम हरियाणा जैसे समृद्ध प्रांत के अन्दर तो यह काम करे सब को दिखाना चाहिए। मै यह कहना चाहता हूं कि जो इस समय 30 लाख रूपया तीन भाहरों के विकास क लिये देने जा रहे है, आप इस समय इस पैसे को रोक लें बाद में जब पैसा कुछ और आ जाये तब आप उनकों इतना पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने इसके अन्दर एक बात देखी होगी जो हम गलत करने जा रहे है। मारूति लिमिटिड कम्पनी जिसके कर्ता–धर्ता कौन थे, यह हमारे राव साहब बैठे है, उनको भी पता है। (ाोर व व्यवधान.....संजय गांधी।

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, 20 सूत्री प्रोग्राम को गीता उपदे ा बताने वाले आज मारूति की बात करते है।.....

स्वामी अग्निवे ाः हमने नही कहा था। जिन्होने वह कहा था, वह आपके साथ बैठे हुए है।

राव बीरेन्द्र सिहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जो आदमी यहां पर हाउस में न हो और अपने आपकों यहां पर डिफैन्ड न कर सकता हो, क्या उनका जिक्र जबरदस्ती किया जा सकता हैं अगर आप इनकों इस तरह से बोलने की इजाजत देगे तो फिर जब हम बोलेंगे तो फिर हमें मत रोकना।

ठाकुर बीर सिंहः राव साहब मारूति की बात पर आप खड़े हो गए। जब आप फैक्ट्री की बात कर रहे थे तो क्या वह आदमी यहां पर मौजूद था?

स्वामी अग्निवे ाः मारूति लिमिटिड कम्पनी जिसके कर्ता–धर्ता संजय गांधी थे, उनकों जमीन वहां पर किसने दिलायी थी? हमारे हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने। क्यों दिलायी? यह सब को पता है कि उनके खिलाफ भ्रश्टाचार के आरोपों की जांच दबाने के लिये क्येां वह प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बेटे थे और वे उनको ंरि वत देकर अपनी तरफ करना चाहते थे।

Rao Birender Singh: Mr. Deputy Speaker, Sir, you know very well that to level allegations against those persons, who are not present and cannot defend themselves in the House is not allowed. I want to know whether this type of debate is allowed?

श्री उपाध्यक्षः अलाउड तो नही है। स्वामी जी, आप डिमान्ड पर ही बोलिये।

स्वामी अग्निवे ाः डिप्टी स्पीकर साहब, जो जमीन सरकार ने मारूति के लिये ली थी, उस पर अब ओर ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है, मैं तो उस पर अपने सुझाव रख रहा हूं। मैं कोई अनपार्लियामेन्टरी बात नहीं कहूंगा। मैं यह कह रहा था कि आज हमारी सरकार को मजबूर होकर किन्ही परिस्थितियों

में उस जमीन के लिए बीस लाख रूपया मुआवजें के रूप में देने पड़ रहे हैं (व्यवधान)। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि वह जमीन जो संजय गांधी ने अपनी फैक्टरी के लिए ली थी और जो फैक्टरी कभी लगी ही नहीं और बअ उस जमीन के लिए इस सरकार को मुआवजा देना पड़ रहा है। बजाए उस जमीन का मुआवजा देने के सरकार उस जमीन को उन किसानों को ही वापिस क्यों नहीं कर देती जिनसे यह जमीन इंदिरा गांधी ने मिट्टी के मोल ली थी। यह जमीन उन किसानों को ही लौटा देनी चाहिए क्योंकि वहां पर तो एक सूढ़ भी तैयार नहीं हो रही है। हम उनको मुआवजा क्यों दें। मैं चाहता हूं कि यह बीस लाख रूपया उन गरीब किसानों की भलाई पर खर्च किया जाना चाहिए बजाए इसके कि उनको मुआवजे के रूप में यह रूपया दिया जाए और उनकी मदद की जाए, उनको तो वह जमीन वापिस लौटा देनी चाहिए और जमीन वापिस देकर उनकी मदद करनी चाहिए। अगर यह मुआवजा देना ही है तो यह रूपया बंसी लाल से वसूल किया जाए और उनसे वसूल करके दिया जाए। सरकार के खजाने में से यह रूपया नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री भाम ोर सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको रूल 100 पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ है:—

(2) A member while speaking shall not

(iii) utter treasonable, seditious, defamatory of offensive words;

(iv) refer to a matter of faction which a judicial decision is pending;

स्वामी अग्निवे ा: यह औफैन्सिव नहीं है।

Sh. Shamsher Singh: These are offensive and a judicial decision is pending in the matter .....

स्वामी अग्निवे ा: यह औफैन्सिव कहां है ? यह तो फैक्ट की बात है।

श्री भाम ोर सिंह: यह ऐक्सपंज होने चाहिए। कमि ान बैठे हुए हैं, कोर्टस में केस पेन्डिग है।

स्वामी अग्निवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में एक मेला लगा ओर उस मेले का नाम था, लघु उद्योग मेला। उस मेले में बहुत चमक, दमक और रौनक थी। सारे दे ा के स्टाल वहां लगे थे। हरियाणा का भी लगा था। मैं भी वहां गया था। मैं कोई सामान तो खरीदने नहीं गया ाि, मैं तो केवल यह देखने के लिए गया था ि इस लघु उद्योग मेलै से हमारे दे ा के जो लघु आदमी हैं, जो किसान हैं जो छोटे दस्तकार हैं उनको भी कोई फायदा हो रहा है या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मुझे उस प्रद ार्नी में एक भी गांव का आदमी नजर नहीं आया। दिल्ली के

लोग या आसपास के भाहरों के लोग अच्छे सूट बूट पहने हुए अपने मेमों के साथ घूम रहे थे ओर चाट पकौड़ी खा रहे थे।

श्री उपाध्यक्षः आपका टाईम खत्म हो चुका है। अब आप खत्म करें। (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ाः इस उद्योग मेले पर हमारी सरकार ने 9 लाख 99 हजार 500 रूपया खर्च किया है। यानी लगभग दस लाख रूपया बन जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस दस लाख की हमारी उपलब्धि क्या है ? इस पैसे से छोटे किसान की भलाई के लिए कुछ करते तो अच्छा रहता। मैं हर सदन के अधिवे ान में यह प्र न उठा रहा हूं कि कपड़ा, जूते जैसी चीजें हैं उन पर बड़े उद्योंगों द्वारा तैयार किए जाने पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए और ये चीजें गांव में ही तैयार की जानी चाहिए। लेकिन आज तक मुझे हरियाणा की उद्योग नीति, इंडस्ट्रियल पालिसी में यह दिखाई नहीं पड़ रहा है जहां हम साफ कह सकें कि हरियाणा में मिल का बना हुआ कपड़ा नहीं बिकेगा। जो भी कपड़ा हमारे यहां बिकेगा वह गांव के आदमी से बना होगा। हरियसाणा में जो भी जूता बिकेगा वह गांव के आदमी से बना हुआ बिकेगा। बाटा का बना हुआ नहीं बिकेगा। यह कौन सी नीति हैं जिस पर हम चल रहे हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार ने गन्ने की कीमत साढ़े बारह रूपया प्रति क्विंटल देने का ऐलान किया है डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता होगा कि हमारे प्रान्त के साथ यू.पी. लगता है। वहां की सरकार ने साढ़े तेरह रूपया गन्ने का

भाव दिया है और हम साढ़े बारह रूपया प्रति क्विंटल दे रहे हैं (व्यवधान)। अतर प्रदे ा की सरकार क्या कीमत दे रही है चलो मैं इस बात मे नहीं जाता। सरकार ने जो साढ़े बारह रूपया क्विटल भाव तय किया है वह केवल डेढ़ करोड़ टन गन्ने का यिसा है जो कि मिलों को जाएगा और दोनों के फायद के लिए सरकार की तरफ से अढ़ाई रूपया क्विंटल सबसिडी दी गई है (व्यवधान) हम जो किसान की भलाई की बात करते है वह भलाई वास्तव में करनी चाहिए। इस नीति से डेढ़ करोड़ टन वालों को फायदा पहुंच जाएगा क्योंकि वह बौंडिड गन्ना है लेकिन बाकी का जो सात करोड़ टन गन्ना बचता है और यह गनना गरीब किसानों का है और वह बौन्डिड गन्ना नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं होगा। उनका गन्ना बिकेगा तीन, चार और पांच रूपए क्विंटल। पिछले साल भी उन गरीब किसानों की यही हालत हुई थी और मैं समझता हूं कि इस साल भी यही हाल होगी। मैं कहना चाहता हूं कि उनके गुड़ का क्या होगा। मैं चाहता हूं कि इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए जिससे कि गरीब किसान का भला हो सकें।

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी आपका टाईम खत्म हो चुका है।

स्वामी अग्निवे ाः बस मैं आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं। सरकार ने जो बिजली का फ्लैट रेट कर दिया है यह बहुत अच्छा किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में भी उसी भाखड़ा से बिजली आती है और वहां पर 13 रूपए प्रति हार्स

पावर का रेट है लेकिन हरियाणा में 18 रूपए प्रति हार्स पावर रेट है। अगर हमें किसान की भलाई करनी है तो हमें भी वही रेट लेना चाहिए जो पंजाब में लिया जा रहा है। वैसे तो पंजाब से कम रेट लेना चाहिए लेकिन अगर कम भी न करें तो कम से कम वही रेट लेना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने जो सं ाोधन इस सदन में रखे हैं, मुझे आ ाा है सरकार उन पर अव य विचार करेगी।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमान्ड नम्बर 11 अर्बन डिवेलपमैंट के बारे में आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, जब भी कभी हाउस में भेदीााव की कोई बात आई तो आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने और दूसरे मंत्रियों ने यह वि वास दियाला कि हम किसी एम.एल.ए. के साथ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ और किसी भी कांस्टीटुऐंसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। कोई भी कांस्टीटुऐंसी चाहे वह रूलिंग पार्टी के एम.एल.ए. की है या अपोजी ान पार्टी के एम.एल.ए. की है कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा और वि वास भी था लेकिन इसमें जिस प्रकार से भेदभाव करके केवल तीन भाहरों को दस दस लाख रूपया दिया गया है। हमें आ ाा थी कि हमारे जींद भाहर की बहबूदी के लिए भी कुछ पैसा दिया जाएगा लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें तो इस बात से भी सन्तोश होता कि चलो अगर सरकार मदद भी नहीं देती तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए

कि यह कांस्टीटुऐंसी अपोजी ान मैम्बर की है इसको कोई मदद न दी जाए और उसी जगह पर रखा जाए जिस जगह पर हम हैं लेकिन वह भी नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी यह प्रार्थना है कि हमारे भाहर का पैसा किसी दूसरी जगह पर खर्च न किया जाए, इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान एक और तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे जीन्द में एक पुरानी हस्पताल की बिल्डिंग थी, वह 1974 में गिरा दी गई, वह भाहर के बिल्कुल साथ थी, भाहर के बिल्कुल बीच में ..... (ाोर एवं व्यवधान)

कई आवाजें: डिप्टी स्पीकर साहब, जब ऐसी कोई डिमांड यहां पर पे ा नहीं की गई है तो फिर ये किस पर बोल रहे हैं। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, हैल्थ की तो कोई डिमांड ही नहीं है जिस पर आनरेबल मैम्बर बोल रहे हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता: मैं कहना चाहता था कि अगर वह जमीन बेची जाए तो लगभग 50 लाख के करीब बैठती है। अगर सरकार उस जमीन के छोटे छोटे प्लाट काटकर लोगों में बांट देती है तो उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सरकार की फाइनेनि ायल हालत भी सुधरेगी और उस पैस से उसी इलाके की डिवेल्पमैन्ट का काम भी हो सकेगा, पर ऐसा करने की बजाये यह पता लगा है कि सरकार उस जमीन को 20 लाख रूपये में बेचने की प्रोपोजल बना रही है और डिप्टी

कमि नर साहब से उस आदमी का केस भी रिकमेन्ड होकर आया है। उसी प्रकार 4785 स्केयर यार्ड जमीन उसी आदमी को 65 रूपये के हिसाब से दी गई थी, जबकि यह जमीन 200 रूपये गज की थी जब हनमे आजेक्ट किया तब जाकर यह मामल ठप्प हुआ।

इसी प्रकार डिप्टी स्पीकर साहब, म्युनिसिपल कमेटी की लैन्ड 21 रूपये महीने पर उसी आदमी को किराये पर दे दी गई जोकि आज एक हजार महीने किराये पर की जमीन है, इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई कि हम ऐसा नहीं होन देंगे बल्कि इस बारे में हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने ऐलान भी किया है कि हम किसी गल्त हाथ में जमीन को नहीं जाने देंगे फिर भी ऐसा हुआ। अगर सरकार के ऐसे कामों के विरूद्ध हम आवाज उठाते है तो हमारी आवाज को खत्म करने के लिए हमारे ऊपर गल्त दफा लगा करके केस बनाये जाते हैं बावजूद इसके कि हमारी आवाज को सुना जाए (ाोर) हमने कई बार मुख्य मंत्री महोदय और अन्य मंत्रियों को भी इस बात के लिए लिखा कि आप हमारे साथ न्याय करवाए। पैसा देने की बजाये हमारे जिला के साथ भेदभाव यिका जा रहा है, बजाये डिवेल्पमैन्ट करने के हमारी जमीनें हड़प की जा रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपल एक्ट के मुताबिक हमारे भाहर में हाउस टैक्स नहीं लगना चाहिए। जिनके मकानों के आगे म्यनिसिंपल कमेटी की सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, और नालियां नहीं हैं उन पर हाउस टैक्स लगना गैर वाजिब है।

हालांकि पिछली सरकार ने हाउस टैक्स बिल्कुल समाप्त कर दिया था फिर भी 31–3–1978 को म्युनिसिपल कमेटी एक लिस्ट फाइनल करती है कि हम दोबारा हाउस टैक्स लगाना चाहते हैं। म्युनिसिपल ऐक्ट के तहत यह है कि अगर 31–3–1978 को लिस्ट फाइनल हो, इसके बाद पब्लिके ान हो, फिर गजट नोटिफिके ान हो तब जाकर उसके बाद 1–10–1978 से हाउस टैक्स वसूल कर लिया। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे जिला के साथ यह ज्यादती है हालांकि दूसरे जिलों की डिवैल्पमैंट के लिए काफी पैसा दिया गया है। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः मांगे राम जी, इस पर आप कल बोल लीजिये (ाोर) समय थोड़ा है।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका): डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर जो 8 करोड़ 27 लाख की सप्लीमैन्टरी डिमांडज पे ा हुई है उन सब पर मैं एक–एक, दो–दो मिनट बोलना चाहता हूं। मुझे बड़ी हैरानी है कि मेरे कुद दोस्त बगैर पढ़े ही मांगों पर बोलते हुए सरकार की नुक्ताचीनी कर देते है, खैर मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा। आखिर 8 करोड़ 27 लाख की मांगों में चीज क्या है ? इसमें साढ़े सात करोड़ रूपया तो फ्लड रिलीफ के लिये ही रखा गया है , वह लोन की भाक्ल में था। 40 लाख रूपये की रा ि ा वह है जोकि लोगों को मुआवजे के रूप में दी गई है। जोकि पिछली सरकार ने लोगों की जमीनें ले ली थी और उनको उनकी जमीनों का मुआवजा कम दिया गया था, परन्तु हाई कोर्ट

ने लोगों के मुआवजे की रकम को बढ़ा दिया है। मुझे हैरानी है कि स्वामी जी ने भी हौर्टिकलचर का भाब्द देखकर यूंही बोलना भाुरू कर दिया, उन्होंने यह नहीं सोचा कि जनता पार्टी कोई वहां पर बागबानी नहीं कर रही, पिछली सरकार ने ही 1974–75 में पिन्जौर गार्डन के लिए जमीन ली थी जिसके लिये लोगों को कम मुआवजा दिया गया और उस पर बाद में हाई कोर्ट ने मुआवजे की रकम बढ़ा दी तो इसके लिये मरैी सरकार क्या करे। स्वामी जी, वह चार्जड अमांऊट है, उस पर तो वोटिंग भी नहीं हो सकती। वह तो पिछली सरकार की काली करतूतें थी जिसका फैसला इस सरकार को करना पड़ रहा है। इसलिये कई मैम्बर जैसे चौधरी भाम ेर सिंह व राव बीरेन्द्र सिंह बोल रहे थे, नुक्ताचीनी कर रहे थे, मुझे उनको सुनकर ताज्जुब होता है। इस हाउस में मारूति के बारे में भी जिकर आया और पिछली सरकार ने लोगों को उनकी जमीनों का मुआवजा कम दिया। जिसके लिये हमें हाई कोर्ट के आर्डरों से लोगों को और ज्यादा पैसा देना पड़ा।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले अगस्त सै ान में सप्लीमेन्टरी डिमांडज आई थी और अब दूसरी सप्लीमैन्टरी डिमांडज आई है। यह जो दूसरी सप्लीमैन्टरी डिमांडज आई हैं यह किस मकसद के लिए आ रही है। बरसात के मौसम में यमुना नदी के चढ़ जाने से जो फ्लड आये हैं उसमें हमारी सरकार ने जो सराहनीय काम किया है, वह बहुत अच्छा है।

जनता सरकार की कई मामलों मैं तो हम नुक्ताचीनी कर सकते हैं लेकिन फ्लड रिलीफ के कार्य में जनता पार्टी ने पिछली दफा व इस दफा जो सराहनीय काम किये है, उससे अच्छे काम आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किये (तालियां)। पिछली एक बात को ही लेकर स्वामी जी, जिनका मैं बहुत आदर मान करता हूं, कह रहे थे कि जिन लोगों के मकान गिर गये हैं, उनको सरकार की तरफ से 300 रूपये की सहायता दी गई है, वह बार बार इसी बात को लेकर सरकार की क्रिटीसाईज कर रहे थे। मैं समझता हूं कि भाायद हमारी सरकार की ओर से यह जो 300–300 रूपये की रिलीफ लोगों को दी गई, इसका मकसद नहीं बतलाया गया है। मैं स्वामी जी को यह बता देना चाहता हूं कि वह जो 300 रूपये का रिलीफ सरकार की ओर से दिया गया है वह मकान बनाने के लिए नहीं दिया वह तो घरेलू सामान तबाह हो जाने के कारण जिससे कि लोग अपना घरेलू सामान वगैरह बना ले, उसके लिए एक तरह का रिलीफ है। (ाोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से यह 300 रूपये की रा ि ा लोगों को घरेलू सामान के लिये दी गई है। साफ लिखा हुआ है कि मकान गिर जाने के कारण लौगों को यह रिलीफ दी जा रही है।

स्वामी अग्निवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है। जैन साहब यहां पर मेरे को मिस कोट कर रहे हैं। इन

मांगों में स्पश्ट रूप से लिखा हुआ है जिसको पढ़कर ही मैंने सुनाया है कि जिन लोगों के मकान गिर गये हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो गये हैं उनको सरकार की तरफ से 300–300 रूपये रिलीफ के तौर पर दिए गये हैं (ाोर)।

श्री मूल चन्द जैनः तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको कह रहा था कि 300 रूपये की ग्रान्ट उनको मिली है जिनके मकान नश्ट हो गये है लेकिन इसके साथ साथ उनका घरेलू सामान भी नश्ट हुआ है, इसलिये यह 300 रूपया तो उस कमी को पूरा करने के लिये दिया गया है। (ाोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब दूसरी बात रही है कि उन लोगो को पक्के मकान देने के लिये सरकार को कोई सकीम बनानी चाहिये। इसके लिये मै। स्वामी जी से सहमत हूं कि अभी तक उनके मकान को दोबारा बनाने के लिये सरकार ने एक स्कीम बनाई है कि बैंको के माध्यम से उन लोगो को कर्जे दिलवाए जाये। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के आदे ाानुसार चीफ सैक्रेटरी साहब ने बैंको के बड़े बड़े अफसरों की एक मीटिंग भी की है। स्टेट लैवल पर जो बैंको के नुमायंदे आते है वे बड़ा सहयोग का यकीन दिला जाते है कि वे लोगो को कर्जे देंगे लेकिन जब टाईम आता है तो बहुता ज्यादा परे ाान करते है। पंजाब नै ानल बैंक और स्टेट बैंक आफ इंडिया की ब्रांचिस करनाल और रोहतक मे है। कर्जा लेने के लिये जब इन बैंको मे काम करना पड़ता है तो बैंकों के नुमायंदे बहुत ज्यादा मदाखलत करते है। सरकारी मुलाजिमों ने यह ि ाकायत

की है कि साहब, फ्लड के दिनो मे जब सब जगह पानी ही पानी खड़ा नजर आजा था। लोगो को सिरकियां और रा ान पहुंचानें के लिये जितनी मेहनत हमे करनी पड़ी थी उससे कहीं ज्यादा मेहनत हमें इन बैंको से कर्जा दिलाने मे लग रही है। सरकार करोड़ों रूपया खर्च कर रही है लेकिन नतीजा कुछ भी नही निकलता। मैं करनाल मे रहता हूं। और करनाल के कर्मचारियो की तरफ से जरूर हैड आफिस मे ऐसी ि ाकायत आई होगी। मै आपके द्वारा डिप्टी स्पीकर साहब, सदन मे आवाज उठानाचाहता हूं कि बैंक कर्जा देने मे सहयोग नही दे रहे। करनाल की दोनो तहसीलो मे 5–6 लाख रूपये से ज्यादा कर्जा तकसीम नही हुआ होगा। मैं एक बात सदन मे जरूर कहना चहाता हूं, मैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का चेयरमैन हूं। मुझे हरियाणा फाइनें ाल कारपोरे ान का 6 करोड़ रूपया हे जो हरियाणा के बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास बकाया है। कोई 4 वर्श से है, कोई 5 वर्श से है और काई 6 वर्श से बकायाहैं यह रकम उनसे वसूल की जानी चाहिए और कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे फ्लड मे बरबाद हुए मकान बन सके। उनके मकान कच्चे नही पक्के बने, पक्के मकान बन सकते है कोई मु ि कल नही । केरल सरकार ने पिछले दिनो देहातो मे एक लाख मकान एक साल मे बनाये है, मैंने इसके बारे मे गवर्नमैंट को लिखा भी है, कई बार लिखा है और इस काम से केरल सरकार की सारी हिन्दुस्तान मे नेकनामी हुई है।

श्री उपाध्यक्षः आपका टाईम हो गया है।

श्री मूल चंद जैनः बस एक मिनट। जहां सैलाब आए है वहां गरीब लोगो के मकान बना दे, यह गरीबो के लिये बहुत बड़ा काम होगा। जिस तरह से गांवो मे छोटी इंडस्ट्रीज स्थापित करने का प्रोग्राम है उसी तरह से गरीबो के मकान बनाने का प्रोग्राम बना ले।

श्री उपाध्यक्षः आपका समय हो गया है।

श्री मूल चंद जैनः अभी खत्म करता हूं। मेरे इलाके मे रानामाजरा, जलालपुर, पत्थरगढ़, बेसीगढ़ी, नवादा, नगल दरिया जमुना के ऊपर है। कोई भी सड़क इन गांवो तक नही जाती। अगर सैलाब जा जाये तो उन गांवो तक कोई ट्रक नही जा सकता, कोई सरकारी ऐजेंसी उनको रिलीफ नही पहूंचा सकती और न ही उनको सैलाब से बाहर निकाल सकती है। उनकी तीन चार हजार की आबादी है। मैंने बार बार सरकार से इस बात का तकाजा किया था कि रानामाजरा, जलालपुर, पत्थरगढ़, बेसीगढ़ी, नवादा, नगल को सड़कों से मिलाया जाये ताकि अगर जमुना का पानी गांवो मे चढ़ जाये तो सरकार उनका प्रबंध कर सके। अगर जमुना ने घेर लिया तो उन लोगो को निकालना बड़ा मुि ाकल है और यह सरकार के लिये बड़ी बदनामी की चीज है।

चौधरी खुर ीद अहमद (ताउडू): जनाब डिप्टी स्पीकरइ साहब, मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान मांग नं. 11 की

तरफ दिलाना चाहता हूं जिससे सरकार ने तीन चार मण्डियों को तकरीबन 30 लाख रूपया के करीब रकम दी है। डिप्टी स्पीकर साहब, जो बड़ी बड़ी कमेटियां है इनके अपने अपने रिसोर्सिज हो सकते है, लेकिन स्टेट मे बहुत सी छोटी बड़ी कमेटीयां है उनकी हालत ज्यादा खराब हैं तीन म्यूनिसिपल कमेटियों को, सरकारने जो दस दस लाख रूपया दिया है, इन तीनो कमेटियो पर भाायद 10–10 लाख रूपये का इम्पैक्ट दिखाई नही देता। इसके बजाये छोटी छोटी कमेटियों को एक एक दो दो लाख रूपया दे देते तो 20–30 छोटी कमेटियां इस रूपये मे कवर हो सकती थी। कई छोटी छोटी कमेटियां है जिन के पास रिसोर्सिज नही हे जो बादली, फिरोजपुर झिरका, ताऊडू, नूह, पुंडरी। इनके अलावा और भी कई हे जिन के पास फाइनैं ाल रिसोर्सिज नही है.....

एक सदस्यः इसमे कालका भी भाामिल कर लो..... (हंसी)

चौधरी खुर ाीद अहमदः कानका म्युनिसिपल कमेटी की भी ऐसी ही हालत है, वह भी भाामिल कर ली जाये (हंसी) सप्लीमेंटरी डिमांडज के जरिये नही, अगले बजट मे इन कमेटियो को भाामिल किया जा सकता है, उस समय थोड़ी थोड़ी ग्रांट इन कमेटियों को दे दी जाये और ऐसा करने से तमाम कमेटियों को थोड़ा भोयर ग्रांट का मिल सकता है। एक सुझाव तो मेरा यह है। दूसरा सुझाव भाूगर मिल्ज के बारे मे है। भाूगर केल की प्राईस के बारे मे गर्वनमैंट ने फैसला किया है कि किसानों को अच्छी कीमत

देने के लिये भूगर मिलो को घाटा भूगतना पड़ेगा। इन भूगर मिलो की मदद के लिये सरकार ने लोन देने के लिये कुछ रकम रखी है, लेकिन पिछले साल कुछ किसानों की तरफ से ि ाकायत आई थी कि जिन किसानो का बोंडिड गन्ना था, उनसे मिलों ने गन्ना डायरैक्ट नही लिया बल्कि बिचौलो के द्वारा लिया। बिचौले इसमे भाामिल हो गये और किसानो से सस्ते भाव पर गन्ना लेकर पूरे रेट पर मिलो को सप्लाई किया। किसान से चार पांच रूपये क्विंटल लिया और भूगर मिल को साढ़े 13 रूपये क्विंटल दिया। मैं सरकार की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस साल सरकार ऐसा इंतजाम करे कि किसी किसान को अपना गन्ना बिचौलों के जरिये न बेचना पड़े। इसकी छानबीन होनी चाहिये कि कौन लोग है जो बिचौलो का काम करते है और किसान के हक पर छापा मार कर मुनाफा ले जाते है। हर किसान को उसकी फसल का पूरा मुआवजा मिले, उसको असल कीमल अदा की जाये। हर किसान को उसकी फसल का पूरा मुआवजा मिले, उसको असल कीमत अदा की जाये। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो दो तीन प्वायंट मैंने कहे है, बजट बनाते वक्त इन का ध्यान रखा जाये और छोटी छोटी कमेटियों का बजट मैं पैसा प्रोवाइड किया जाये।

स्वामी आदित्यवे ा (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग सं. 25 के संबध मे अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं जिस के माध्यम से 2 करोड़ रूपया 'हैफड' को दिया जायेगा, गांवो

कोआप्रेटिव सोसायटी से अगर किसान को कर्जा दिया जाये तो 11 परसेंट इंट्रैस्ट लिया जाता है लेकिन एक कम्पनी 'हैफड' को सवा पांच परसैंट के रेट पर दिया जा रहा है। यह भेदभाव नही होना चाहिए। हमारा नारा तो यह है कि गांवो मे बसने वाले लोगो को सस्ते रेट पर कर्जा दिया जायेगा लेकिन वास्तव मे ऐसा नही है। मेरे हल्के हथीन मे सरकार ने घोशणा की कि जिनके मकान गिर गये है उनको तीन तीन सौ रूपया दिया जायेगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि खाईका गांव मे 182 लोगों को रूपया दिया गया और वह भी 50–50 रूपये के हिसाब से दिये गये और मैं समझता हूं कि 50 रूपये मे एक मकान की पुच्छड़ भी नही बन सकती। (इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य चौधरी खुर ाीद अहमद पदासीन हुए) इसके बाद मै। सरकार का ध्यान मांग सं. 17 की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसमे श्री कि ान चंद नामक ट्रक क्लीनर की मृत्यु हो गई थी उसका क्लेम 4000 रूपया दिया गया इसकी मौत 1975 मे हुई और 1978 मे वह मुकद्दमें मे विजयी होता है। इतना खर्च करनो के बाद सरकार उसको 4 हजार रूपया दे रही है। मेरी समझ मे नही आता कि एक तरफ हम यह नारा देते है कि गरीबो की मदद करो और दूसरी तरफ किसी गरीब क्लीनर के जीवन की कीमत 4 हजार रूपये आंकते है और वह भी चार साल मुकद्दमा चलने के बाद ? कोर्ट के दरवाजे खटकाने के बाद भी न्याय नही मिलता। फिर आप देखे कि सकूल की बिल्डिंग को बनाने के लिये, तमाम हरियाणा के स्कूलो की मुरम्मत के लिये बड़ी मु कल से सिर्फ

1972819 रूपया खर्चा गया। किसी हल्के को 32 हजार रूपया दिया गया, किसी को 42 हजार रूपया दिया गया लेकिन बादली हल्के के लिये 522380 रूपये दिये गये। इस प्रकार की डिसपैरिटी बरती जा रही है। आखिर कब तक यह बात चलेगी ? सारे हरियाणा मे मेवाल का क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है लेकिन उस क्षेत्र को बड़ा इग्नोर किया जा रहा है। (विघ्न)

चौधरी उदय सिंह दलालः मुझे कृपया बता दें कि बादली हल्के के कौन से स्कूलों के लिये इतना रूपया दिया गया है क्योंकि मैं वहां का एम.एल.ए. हूं।

Mr. Chairman: No Interruptions please.

स्वामी आदित्यवे Iः सभापति महोदय, अभी मैंने एक सवाल पूछा था। वह अनस्टार्ड क्वै चन था। उसका मुझे उतर दिया गया है कि बादली हल्के के लिए 522380 रूपये दिए गए हैं। (विघ्न)

चौधरी उदय सिंह दलालः यह आप कहीं सूबा दिल्ली की बात तो नहीं कर रह हैं ? (विघ्न)

स्वामी आदित्यवे Iः जी नहीं, मैं बादली की बात कर रहा हूं और हरियाणा असैम्बली में बात कर रहा हूं। यहां दिल्ली नहीं है। (विघ्न)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब वर्शाकालीन अधिवे ान हुआ था तब मैंने यह आवाज उठाई थी कि बहीन, औरंगाबाद, खटेला और खाईका के स्कूलों की मुरम्मत के लिए पैसा दिया जाए लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया गया। वहां कई स्कूल गिरे हुए हैं। लेकिन उन स्कूलों के लिए आज तक एक फूटी कौडी भी नहीं दी गई। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़रहा है कि पछिली सरकार के काले कारनामों के लिए तो इस बजट में 29 लाख रूपये की चार मांगे रखी जा रही हैं और ये हमें पास भी करनी पड़ेगी चाहे वे कितने ही काले कारनामें क्यों न हों लेकिन इस 7–8 करोड़ रूपये के बजट में गांव के लोगों के लिये इतनी सुविधाएं नहीं दी जारही है जितनी कही जा रही है। (ाोर)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री सभापतिः चौधरी जगजीत सिंह पोहलू।

चौधरी उदय सिंह दलालः चेयरमैन साहब, इनका ब्यान हाउस को गुमराह करने वाला है। इन्होंने यह गलत ब्यानी की है कि बादली हल्के को इतना पैसा दिया गया। मैं इस बात को चैलेन्ज करता हूं। (ाोर)

श्री सभापतिः दलाल साहब, आप त ारीफ रखिए।

स्वामी आदित्यवे ाः सभापति महोदय, मुझे गवर्नमैंट की तरफ से जवाब मिला है कि 522380 रूपये दिए गए हैं। (विघ्न)

चौधरी उदय सिंह दलालः वहां फ्लड में 50 करोड़ रूपये का नुक्सान हो गया है। उसका तो ये जिक्र नहीं करते लेकिन इस तरह की गलत बात कर रहे है। (विघ्न)

Mr. Chairman: No direct talks between the members please. (Interruptions) Please take your seats. Mr. Pohloo you please start.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): चेयरमैन साहब समय देने के लिए आपका बहुत बहुत भ्युक्रिया। मैं आपका ध्यान डिमांड नं. 4, 8, 11, 16, 17 और 25 की ओर दिलाना चाहता हूं। चेरमैन साहब, एक दो साल से ढिंढौरा पीटा जा रहा है कि आज किसान का राज हरियाणा में है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस गरीब किसान के कंधे पर हल था, जिस गरीब किसान के नाम पर वोट लिए गए थे उसके पांव में आज जूता नहीं है, धोती गोडे से ऊपर है, कमीज फटी हुई है और साफा गोलमोल है। जिस दिन पहला बजट पास हुआ था, पहला सप्लीमेंटरी बजट पास हुआ था उस दिन भी मैंने कहा था और आज भी जब तकरीबन आठ करोंड़ रूपये का बजट पास हो रहा है मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब आप किसान के बेटे हो इसलिये सही मायने में किसान के लिए काम कीजिए। आज ढिंढोरा तो किसान का पीटा जा रहा है, नाम तो किसान का लिया जा रहा है लेकिन काम सरमायेदार का किया जा रहा है। इसलिये चेयरमैन साहब मैं चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब आप मजबूत और दिलेर आदमी हो सारी उमर सियासत में

रहे हो (विघ्न) चेयरमैन साहब, डिमांड नं. 11 में 30 लाख रूपया भाहरों को दिया जा रहा है, 10 लाख रूपया कारखाने वालों का मेला लगाने के लिए दिल्ली में बरबाद किया जा रहा है। चेयरमैन साहब इतनाप जुल्म मेरी समझ में नहीं आता। (विघ्न) चेयरमैन साहब, मोम का कोटा किसी गरीब किसान के बच्चे को, किसी हरिजन के बच्चे को नहीं दिया गया है और न ही यह किसी बैकवर्ड इलाके को, मेवात जैसे इलाके को दिया गया है। इसका सारे का सारा कोटा जनसंघ के बड़े बड़े कारखानेदारों को दिया जा रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो तीस लाख रूपया भाहरों में बरबाद करने जा रहे हैं यह देहात में दिया जाना चाहिए, यह उन गांवों को दिया जाना चाहिये जिन गांवों को सड़कें नहीं मिल रही है। (विघ्न) चेयरमैन साहब, मैं अपने सी.एम. साहब से यह कहना चाहता हूं कि जनसंघ से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं हैं क्योंकि वे दिन दूर नहीं हैं जब चौधरी चरणसिंह जी भी इधर आ जायैंगे और हम सारा मिल मिला कर चला लेंगे। (हंसी)

चेयरमैन साहब, इंडस्ट्रीज की डिमांड के ऊपर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चीजें कारखानों में बनती हैं वे महंगी बनती है लेकिन उसके मुकाबले में गन्ने का भाव 12 रूपये क्विंटल रखा गया है। यह बड़ा थोड़ा है। आज सूखी लकड़ी भी 30 रूपये क्विंटल है। सन् 1967 में जब किसान के बेटे राव बीरेन्द्र सिंह, का राज आया था तो गन्ने का भाव 16 रूपये क्विंटल कर दिया

गया था और वह 22 रूपये क्विंटल तक बिका था लेकिन पिछले साल भी और इस साल ीाी तीन रूपये क्विंटल के भाव में गन्ना रूलता फिरता है। अमेरिका में किसान का अनाज चाहे कितनार हो, गेहूं कितना हो, सारे का सारा सरकार खरीदती है और फालतू अनाज को आग लगा कर समुद्र में डाल देती है लेकिन किसान को नुकसान नहीं होने देती। इसलिये जितना पैसा कारखानेदारों पर खर्च किया जाता है यह खर्च नहीं होना चाहिए। पिछले सै ान में एक गलत बिल पास हो गया क्योंकि चौधरी साहब की नालेज में वह नहीं था। उसके तहत एक लाख रूपया किसी भी कारखानेदार को अपना सेल्ज टैक्स अदा करने के लिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट से लेकर दिया जा सकता है और वापिस लेने का कोई ढंग नि चत नहीं किया गया। इसके मुकाबले में किसान जो थोड़ा सा लोन लेता है उसको लैंड रैवन्यू के तौर पर वापस लिया जाता है। इस बार फ्लड से अफैक्टिड लोग भी अपना कर्जा वापस दे रहे हैं उनको कोई बचाने वाला नहीं है। चौधरी बीर सिंह जी ने ऐलान तो कर दियाथा कि जिस इलाके में फ्लड आए हैं वहां लोगों ने जो कर्जा देना है, तकावी देनी है उसकी वसूली नहीं की जायेगी लेकिन उसके बावजूद भी तीनों फसलों का मामला इकट्ठा किया जा रहा है। इन भाब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सप्लीमैंटरी बजट को इस समय पास न किया जाए, बाद में मिल मिला कर पास कर लेगें।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री सभापतिः श्री मूल चन्द मंगला। लेकिन आप तीन मिनट से फालतू नहीं लेंगे। भांकर लाल जी अभी आप बैठिए। इनके बाद आपको समय मिलेगा।

श्री मूल चन्द मंगला (पलवल): आदरणीय सभापति जी, जो डिमांडज हाउस के सामने पे ा की गई हैं, इनमें से एक डिमांड के जरिये सहकारी समितियों के लिए भी पैसा मांगा जा रहा है। मैं इससे बड़ा खु ा हूं औरइसाक स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात मैं आपके द्वारा सरकार के नोटिस में ला देना चाहता हूं। आज अनेकों सहकारी समितियों में बड़ी खराबी मची हुई है, उनके अन्दर बड़ी भारी हेराफेरी हो रही है। मिसाल के तौर पर फरीदाबार के अन्दर एक सहकारी समिति है। एक मिस्टर गोयल उसके इन्चार्ज हैं। मैं जानता हूं कि उस सहकारी समिति में 10 लाख रूपये का घाटा है और उस घाटे के लिए वे जिम्मेवार है। जो चैक वे इ ा करते हैं वह बैंक में डिसओनर हो जाता है। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि वे बैंक में तब पैसा जमा कराते हैं जब वे कंसंर्ड आदमी से यह सौदा कर लेते हैं कि एक परसैंट कमी ान उसे दी जाएगी। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की इंक्वायरी कराई जाये। इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करना चाहा हूं कि म्यूनिसिपैलटीज को पैसा देने में बड़ा भेदभाव बरता गया है। मैं आपके जरिये हाउस में प्रार्थना करूंगा कि पलवल म्यूनिसिपल कमेटी की हालत बहुत खराबहै। पिछली 24 तारीख को अखबारों में निकला था कि

पलवल की क्या परिस्थिति है ? दिल्ली के अखबारों में वहां का हाल आया था और मंत्री महोदय ने भी वहां का हाल पढ़ा होगा। वहां की सड़कों की हालत भी बड़ी खस्ता है, नालियां भाहर में टूटी पड़ी है, सिवरेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। पलवल की आबादी साठ हजार के करीब हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए एक पैसा भी न देना कोई अच्छी बात नहीं है। वहां की कमेटी की बहुत ही बुरी हालत है। वहां से कोई बीस हजार के करीब लोग रोजाना फरीदाबाद और बल्लभगढ़ नौकरी करने के लिए साइकिलों पर जाते हैं। उनको वहां पर मु कल से 150 और 250 रूपये मिलते है। इसलिये जो यह अनुदान दिया गया है यह उन कमेटीज को देना चाहिये था जहां की हालत खराब है। मैं समझता हूं कि हमारी पलवल की कमेटी को कम से कम तीन चार लाख रूपया दिया जाना चाहिए। मैं आ ा करता हूं कि हमारे स्वायत भाासन मंत्री और दूसरे मंत्री भी इस बात का वि ोश ध्यान रखेंगे।

पलवल हायर सैकंडरी स्कूल के अन्दर केवल पांच कमरे हैं लेकिन वहां पर 22 सैक ान्ज हैं। अब आप बतायें कि 22 क्लासिज पांच कमरों में किस प्रकार से बैठ सकती है। इसलिये मैं ि ाक्षा मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस स्कूल के पास डेढ़ लाख रूपया तो मौजूद है और सरकार की ओर से एक लाख रूपया और दे दिया जाये तो स्कूल की बिल्डिंग बन सकती है।

श्री सभापतिः ऐजूके ान के बारे में कोई डिमान्ड नहीं है।

श्री मूल चन्द मंगलाः चेयरमैन साहब डिमान्ड में तो हनीं है परन्तु वहां जो हालत है वह तो हाउस के सामने बतानी जरूरी है। हमारे यहां होस्पिटल की भी बहुत ही बुरी हालत है। वहां पर 60 हजार की आबादी है और एक डाक्टर है। कम से कम दो लाख के करीब देहात की आबादी भी है वहां भी आसपास कोई हस्पताल नहीं है। वहां पर एक सफाखाना बन रहा है वह भी केवल 30 बैड्ज का बन रहा है।

श्री सभापतिः आप डिमान्डज के बारे में ही बोलें।

श्री मूल चन्द मंगलाः डिमान्ड पर ही बोलूंगा लेकिन वहां की कुछ दिक्कतें हैं उनको भी आपके नोटिस में लाना जरूरी है। पलवल में दो सौ बसें रोजाना गुजरती हैं लेकिन वहां पर कोर्ठ ऐसा बस स्टैन्ड नहीं है कि यात्री रात को ठहर सकें। सर्दी के समय में ठंडी हवा में यात्री किस प्रकार से रह सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम वहां सैंड्ज तो बना दीजिए ताकि यात्रियों को दिक्कत न हो। वहां पर सड़कों की भी ऐसी ही हालत है। बिल्कुल टूटी हुई है कोई मुरम्मत आदि नहीं हो रही है। इसलिए मेरी आपके जरिए सरकार से रिक्वैस्ट है कि पलवल के एरिया की ओर वि ोश ध्यान दे।

कामरेड भांकर लाल (सिरसा): चेयरमैन साहब, सिरसा म्युनिस्पिल कमेटी को दस लाख रूपया दिया जा रहा है। मेरा हल्का सिरसा है। सिरसा बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। वहां पर दस लाख रूपय बहुत ही थोड़ा हैं सिरसा के अन्दर इतनी गन्दगी है जो ब्यान नहीं की जा सकती है। भाहर में न कोई नालियों का प्रबन्ध है, न ही वहां पर सीवरेज सिस्टम ठीक है। वहां की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। इसलिये यह जो रूपया दिया जा रहा है यह बहुत ही कम है। (गिलियां)

मेरे इलाके में अभी तक कोई भी नई सड़क नहीं बनी है। स्कूलों की तो वहां पर यह हालत है कि अब भी बच्चे दरखतों के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं। मेरे हल्के में सड़कों पर भी पैसा लगाना बहुत जरूरी है और सिरसा कमेटी को भी और ज्यादा रूपया दिया जाये।

चेयरमैन साहब आज सारे हरियाणा में बहुत बुरा वातावरण बना हुआ है। हमारे जो क्लास थ्री और क्लास फोर के कर्मचारी हैं उनकी तन्खाह में कोई बढ़ौतरी नहीं की जा रही है, उनका आज की मंहगाई में गुजारा करना बड़ा कठिन हो रहा है।

श्री सभापतिः भांकर लाल जी आप डिमान्डज पर ही बोलें।

कामरेड भांकर लालः चेयरमैन साहब यह मेरी डिमान्ड है कि क्लास थ्री और क्लास फोर के कर्मचारियों की तन्खाह बढ़ाई जानी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि कल यहां चण्डीगढ में टीचर्ज की तरफ से प्रद र्न किया गया। उनकी डिमान्डज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

श्री सभापतिः इस बात का डिमान्ड से कोई ताल्लुक नहीं है।

कामरेड भांकर लालः वे टीचर्ज रात को बिना रिजाई के रहे, उनका कोई प्रबन्ध नहीं कियसा गया।

श्री सभापतिः भांकर लाल जी, अब आप बैठिए। इन बातों का डिमान्डज से कोई सम्बन्ध नहीं है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा (मेहम): चेयरमैन साहब किसी भाायर ने कहा है:—

इन चमन वालों का क्या है, जिस तरह चाहें बसर कर लें।

मुसीबत उनको है जिनके कफस में पर निकलते हैं।

कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन जिस तरह से चौधरी देवी लाल जी ने फ्लड के टाईम पर लोगों की

इमदाद की है उस तरह से आज तक किसी की सरकार ने नहीं की। यह बड़ा ही सराहनीय कदम था। सरकार की ओर से जो तीन तीन सौ रूपये दिये गये थे, ये घर के काम को चलाने के लिए दिए गए थे, मकान बनाने के लिए नहीं। सरकार ने तीन तीन सौ रूपये एक एक परिवार को देकर करीब 75 लाख रूपये दिये हैं। जिन लोगों को इमदाद मिली है अगर वे भी नुक्ताचीनी करते हैं तो कोई बात नहीं। Authority is always criticised, no doubt. (Interruptions by Sh. Jagjit Singh Pohloo).

Mr. Chairman: Mr. Pohloo, do not disturb. No one has monopolistic rights for praising the Government.

चौधरी हरस्वरूप बूराः जो लोग नुक्ताचीनी करते हैं वे उन लोगों के पास जायें और उनसे पूछें कि जो जनता सरकार ने आप लोगों की मदद की है आज से पहले तीस साल में किसी और सरकार ने भी इतनी मदद की थी ? जनता सरकार ने फ्लड के टाईम पर इतनी मदद की है कि भाायद किसी ने नहीं की चाहे वह अनाज के रूप में दी, चाहे पका खाने के रूप में दी, चाहे दालों के रूप दी। तीन सौ रूपये मकान पक्का बनाने के लिए नहीं दिये हैं। जब आका ा में बिजली कड़क रही थी, बादल गड़गड़ा रहे थे, उस वक्त यह इमदाद दी गई थी, वह इमदाद चाहे सरकार ने किसी भी रूप में दी लेकिन दी जरूर थी। गवर्नमैंट की नुक्ताचीनी होनी चाहिए लेकिन जो काम पब्लिक के लिए किया है उसकी तो सराहना की जानी चाहिए। अच्छे काम की सरहाना करना हमारा फर्ज बनता है।

चेयरमैन साहब, मैं डिमान्ड नं. 11 के बारे में कहना चाहता हूं। तीन म्युनिस्पिल कमेटियों को दस दस लाख रूपया ग्रान्ट दी गई है। रोहतक भाहर को भी दस लाख रूपये की ग्रान्ट दी गई है। रोहतक भाहर का हरियाणा में पहले से ही बड़ा नाम रहा है। ज्वायंट पंजाब के अन्दर भी यह भाहर बड़ा प्रसिद्ध रहा है। फ्लड के कारण रोहतक भाहर की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। भाहर की हालत को सुधारने के लिए दस लाख रूपये की इमदाद कोई ज्यादा नहीं है। मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं।

श्रीमति सुशमा स्वराज (अम्बाला कैन्ट): सभापति महोदय, इस समय सदन में हरियाणा सरकार के अनुपूरक अनुमानों की दूसरी कि त पर चर्चा चल रही है। मैं इसमें से केवल मांग संख्या 4, 11 और 16 के उपर ही अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। सबसे पहले मैं मांग संख्या 4 को ले रही हूं जिसके अन्तर्गत एक करोड़ 7 लाख 12 हजार रूपये की मांग अनुमोदन के लिए रखी गयी है। मैं इस मांग का केवल अनुमोदन नही कर रही बल्कि इसके लिए अपनी सरकार को अअधाई भी देना चाहती हूं कि उसने बड़ा सहर्श और सराहना का काम किया है कि बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 1 करोड़ 7 लाख 12 हजार रूपये का प्रावधान किया और बाढ़ से पीडित लोगों को कुछ सहायता देने का निर्णय लिया (चौधरी जगजीत सिंह पोहलू की ओर से विघ्न) पोहलू साहब, मैं सरकार की अगर सराहना में कुछ बोलती हूं तो

आपको बुरा क्यों लगता है। हर बार विरोध की बात क्यों सुनना चाहते हो। (श्री जगजीत सिंह पोहलू की तरस से विघ्न)

Mr. Chairman: Pohloo Sahib, please do not disturb.

श्रीमति सुशमा स्वराजः सभापति महोदय, इस मद की तफसील में लिखा हुआ है कि अगस्त सितम्बर, 1978 मे जो वर्शा आयी उससे 77000 स अधिक मकान नश्ट हो गये और 300 रूपये प्रति मकान की दर से अनुदान देने की वजह से 75 लाख रूपये इसमें खर्च हुआ है। सभापति महोदय, मैं इस नीति की तो सराहना करती हूं। यहां पर इस बात की नुक्ताचीनी नहीं करना चाहूंगी कि 300 रूपये कम हैं या ज्यादा ह। एक पीड़ित आदमी को, बाढ़ से ग्रस्त आदमी को जिसका सब कुछ तबाह हो गया हो, अगर उसे फौरी तौर पर तीन सौ रूपये की भी मदद मिल जाये तो उससे भी उसे काफी सहारा महसूस होता है। लेकिन एक बात जो तथ्य है और जिसे मैं तथ्य के रूप में आपके सामने रखना चाहती हूं वह यह कि तीन सौ रूपया प्रति मकान की दर से जो सहायता देने का निर्णय लिया गया हालांकि उसका आधार यह था कि जिनके मकान पूर्णतया नश्ट हो गये हैं या जिनकै पास रहने योग्य कोई मकान नहीं रहा, उसे दिये जायेंगे। तो भी तथ्य यही है कि मेरा अपना हल्का, मेरा अपना निर्वाचन क्षेत्र अम्बाला छावनी भी इस बार बाढ़ की लपेट में आ गया था। मुझे यह कहते हुए बड़ास अफसोस हो रहा है इस सदन में और मैं राजस्व मंत्री के सामने यह गुजारि ा करना चाहूंगी कि आज इस बाढ़ को आये हुए 4 महीने

से ज्यादा हो गये हैं लेकिन अम्बाला सदर के एक भी आदमी को यह तीन सौ रूपये नहीं मिले इसलिये नहीं मिला कि डिप्टी कमि नर के पास वहां पर पैसा नहीं पहुंचाया गया, बल्कि इसलिये नहीं मिला कि वहां के म्युनिस्पैलिटी के लोग कुछ टैक्नीकैलिटीज में पड़े हुए हैं। कभी वह टाईटल का जिक्र करते हैं, कभी वह ओनरि ाप का झगड़ा उठाते हैं, कभी वह एन्क्रोचिज की बात करते हैं और कभी वह इतनी बड़ी टैक्नीकल बात कहते हैं कि तुम्हारे मकान की तुम्हारे नाम म्यूटे ान नहीं हुई, यानी इन्तकाल नहीं हुआ। मैं आज सरकार के सामने गुजारि ा करना चाहूंगी कि जब सरकार राहत कार्य का काम करती है तो इन छोटी छोटी टैक्नीकैलिटीज में नहीं पड़ना चाहिये। अगर म्युटे ान नहीं हुई और वह लोग हाउस टैक्स वहां पर दे रहे हैं, उन मकानों के ओनर्ज के नाते तो इन टैक्नीकैलिटीज में न पड़कर उनको 300 रूपये दिय जाने चाहिए जो कि आज तक उन्हें नहीं मिले। मैं यह गुजारि ा करूंगी कि जल्दी से जल्दी इस पैसे को वहां पर बटवाने का प्रयत्न किया जाये। इसके साथ ही एक और बात कहूंगी। तमाम हरियाणा में जहां जहां पर बाढ़ आयीं, अकेला मेरा हल्का ऐसा है, अम्बाला सदर का हल्का ऐसा है जहां पर कि टैनैन्ट्स ही ज्यादा बसते हैं, यानी किरायेदार बसते हैं। यह जो 300 रूपये देने की नीति है, वह सारे गांव पर तो इसलिये लागू हो जाती है क्योंकि वहां पर तो रिहाय ाी प्लाट्स के ओनर्ज लोग खुद है, इसलिये वे इस कैटेगरी में आ जाते हैं और उनको पैसा मिल जाता है लेकिन मेरा हल्का ऐसा है जहां पर लोग किरायेदार

हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, उनके मकान पूर्णतया नश्अ हो गए हैं, बिल्कुल कोलैप्स हो गये हैं और आज हालत यह है कि मकान मालिक उनको मकान बनाकर नहीं देता क्योंकि वह इस तबाही को ब्लैसिंग इन डिसगाईडज मान रहे हैं ? वह यह समझता है कि वह किरायेदार जो एक मुद्दत से निकलता नहीं था .....

श्री सभापतिः सुशमा जी, अब आप वाईन्ड अप कीजिये। गिलोटीन का टाईम हो रहा है। ..... (ाोर व व्यवधान)

श्रीमति सुशमा स्वराजः सभापति महोदय, मुझे आप इस चीज पर बोल लेने दीजिये। सवाल बड़ा अहम हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट के अन्दर तीनों चीजें कह दूंगी। मैं कोई फिजूल की बात या अननैसैसरी बात नहीं कह रही हूं। एक बड़ा अहम मसला है। जिसे मैं यहां पर उठा रही हूं लेकिन अगर गिलोटीन आप को 5 मिनट बाद भी लगाना पड़े तो भी मैं यह गुजारि ा करूंगी कि आप लगा लें।

श्री सभापतिः जल्दी वाईन्ड अप कीजिए।

श्रीमति सुशमा स्वराजः तो मैं आपसे यह कह रही थी कि वहां पर टैनैन्ट्स यानी किरायेदार रहते हैं और कमान मालिकों के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका आन पड़ा है। बाढ़ के नाते से क्योंकि, उनके मकान गिर गये हैं और वे उन्हें मकान बनाकर देना नहीं चाहते। किरायेदार इतने गरीब हैं कि वह मकान बना नहीं

सकते। इसलिये मै। मुख्य मंत्री महोदय से भी मिली थी और उन्हें यह कहा था कि यह केवल मेरे यहां का मसला है और केवल थोड़े से लोग ऐसे है। आप अपनी पालसी में रिलैक्से ान कर दीजिये। थोड़ा नीति में ढील डाल दीजिए ताकि उन लोगों को अगर आप तीन सौ रूपये दे देंगे तो वह अपने आप उन झोपड़ियों को खड़ा कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि राजस्व मंत्री जी के पास जब यह मुद्दा आया यानी जब यह फाईल गयी तो पता नहीं किस वजह से उन्होंने इस फाईल पर इन्कार कर दिया और यह कह दिया कि यह पैसा नहीं दिया जायेगा। आज मुख्य मंत्री महोदय सदन में बैठे हैं। मैं उनके पास सदन में यह इल्तजा करती हूं अपने हल्के की तरफ से, उनका नुमायन्दा होने के नाते यह इल्तजा करती हूं कि केवल 250 आदमी ऐसे हैं, अगर हम इन 250 घरों को 3–3 सौ रूपये दे देंगे तो कुल मिलाकर 7 लाख रूपया बनता है। 75 लाख रूपया आपने बांटा है, 75 लाख रूपया अभी आपके पास मौजूद हैं और हम उस 75 लाख रूपये में से भी नहीं मांगते। मेरे डिप्टी कमि नर के पास पैसा पड़ा है। हम पैसा नहीं मांगते बल्कि मात्र आप इतना पालिसी डिसीजन कर दीजिए ताकि उन लोगों को पैसा मिल जाये तो केवल 7 लाख रूपये का मसला है। लेकिन मेरे यहां पर 250 घरों में अगर आप एक घर में से 5 आदमी भी लगायें तो भी हजारों आदमियों का वहां पर फायदा होगा। सरकार जब कोई कल्याण का कमा करती है तो यह नहीं देखती कि

मकान गिरने वाला जो है, उसमें मकान मालिक रहता था या किरायेदार रहता था।

एक और बात जिसके बारे में मैं मुख्य मंत्री महोदय से आपकी मार्फत कहना चाहती हूं, वह यह है कि मेरे यहां मकानों की समस्या को हल करने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने एप्लीकै ान्ज मांगी थी। वहां पर 13000 एप्लीके ान्ज आयीं थी। उन्होंने यह ऐलान किया था कि हम यहां पर मकान बनाकर देंगे 16 लाख रूपये जमा है। लेकिन आज डेढ़ साल हो गया। मेरे यहां नगरपालिका उनको जमीन नहीं दे रही है हाउसिंग बोर्ड को मकान बनाने के लिए। अबजब कि बाढ़ में मकान गिर गये तो उन्होंने एक वि ोश तौर पर इल्तजा करी कि आप इस बाढ़ को देखते हुए यहां पर इस काम को जल्दी कर दीजिए लेकिन मुझे मुख्य मंत्री महोदय को यह बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा हैं कि आज से लगभग 20 दिन पहले वहां पर स्थानीय भाासन मंत्री, लोकल अफेयर्ज मिनिस्टर चौधरी राम लाल वधवा वहां पर गये। तो जब हाउसिंग बोर्ड के सब्सक्राईबर्ज इनको मिले और इनसे यह कहा कि हमारे यहां हाउसिंग बोर्ड को मकान बनाने के लिए जमीन क्यों नहीं दी तो इनहेांने वहां पर ऐलान किया कि हमारी सरकार ने यह निर्ण लिया है कि हाउसिंग बोर्ड को मकान बनाने के लिए किसी भी नगरपालिका की जमीन नहीं दी जाएगी। सभापति महोदय, बड़ा अहम मसला है। अगर नगरपालिकाएं अपनी जमीन हाउसिंग बोर्ड को मकान बनाने के लिए नहीं देंगी तो क्या

हाउसिंग बोर्ड के मिनिस्टर हाउसिंग बोर्ड को अबोलि ा करने का निर्णय लेते हैं ? वहां हाउसिंग बोर्ड मकान बनायेगा ? केवल मात्र जगह नगरपालिकाओं के पास होती हैं। अगर नगरपालिका नहीं देगी तो हाउसिंग बोर्ड जो दिनों दिन एप्लीके ान्ज मांग रहा है, कहां मकान बनायेगा। आज से एक महीने पहले अभी गुड़गांव से एप्लीके ान्ज आयी है। इसलिये में स्थानीय भाासन मंत्री जी से अपने भाशण के बाद यह पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई हरियाणा सरकारने ऐसा कोई निर्णय लिया है या उन्होंने अपने व्यक्तिगत ख्यालात का इजहार वहां पर किया था। मैं यह भी उनसे गुजारि ा करूंगी कि वे अपनी संकीर्ण दृश्टिकोण को छोड़ें, छोटे–मोटे राजनीति के अदायरे मे ंन पड़े मकान चाहे अम्बाला छावनी में बनें, चाहे करनाल में बने, इसका फायदा हरियाणा में रहने वाले लोगों को होने वाला हैं। उसका क्रैडिट सुशमा स्वराज को नहीं, उसका क्रैडिट अमबाला छावनी के एम.एल.ए. को नहीं, हरियाणा सरकार को मिलने वाला है। इसलिये वह इस संकीर्णता से उपर उठकर यह ऐलान करें कि नगरपालिका जमीन देगी हाउसिंग बोर्ड को और जिन लोगों के 16 लाख रूपये जमा हैं, उनको हम मकान बनाकर देंगे। इससे अम्बाला छावनी के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। धन्यवाद।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): चेयरमैन साहब, बहुत सा टाईम तो मेरे महकमें पर ही सदस्यों ने लिया है इसलिये एक बात मैं आपको मार्फत यहां पर कहना

चाहता हूं कि बहुत से सदस्यों ने यह कहा है कि नगरों के अन्दर हालत बहुत खराब है, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। लेकिन मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि यह 30 साल की कांग्रेस सरकार की देन हमारे गले में पड़ी है। उन्होंने 30 साल तक यहां पर कोई काम नहीं किया। अगर कोई काम किया है तो गिराने का .....

श्री भाम ोर सिंहः यह बहाना लगाकर आप कब तक अपनी खाल को बचाते रहोगे।

चौधरी राम लाल वधवाः अभी से चहकना क्यों भाुरू कर दिया। अब जरा सुन तो लीजिये। इन्होंने अगर कोई काम किया है एमरजैन्सी के अन्दर तो वह गिराने का काम किया है बनाने का काम इन्होंने कोई नहीं किया है। इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के नाम पर 27–27 लाख्चा रूपये एक कांग्रेस का चेयरमैन खा गया। यह कह रहे थे कि करनाल इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को 25 लाख्चा रूपया दिया गया। एक पैसा भी सरकार ने नहीं दिया। कांग्रेस का एक चेयरमैन जो पहले मिनिस्टर भी रहा है, 27 लाख रूपया इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट कोल्ड स्टोरेज के नाम से खा गया और वह केस आप विजिलेंस के पास है। उसका पर्चा दर्ज हो चुका है। उसका अन्जाम सामने आने वाला है (व्यवधान) हौंसला करिए, सब्र से सुनिए। आपने तो कहा था कि आपके ऊपर केस है:–

श्री भाम ोर सिंहः आन ए प्वाएंट आफ आर्डर। मैं रूल 100 आपकी जानकारी के लिए रैफर कर रहा हूं। इसमें लिखा है:—

"(2) A member while speaking shall not –

* * ** ***** ** ** * * *** ** * * * * *

(iii) utter treasonable, seditious, defamatary or offensive words;

(iv) refer to a matter of fact on which a judicial decision is pending;

* * ** ***** ** ** * * *** ** * * * * *

चौधरी राम लाल वधवाः जब आप मेरा नाम ले रहे थे तो रूल नहीं पढ़ा था। अब मेरी बारी आई है तो आप रूल पढ़ रहे हैं (व्यवधान)।

श्री सभापतिः आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, Mr. Shamsher Singh. This is no point of order. No offensive word has been used.

चौधरी राम लाल वधवाः चेयरमैन साहब, इससे पहले कि मैं तीस लाख की डिमान्ड के बारे में जवाब दूं, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि लोकल बौडीज डिपार्टमैंअ की हालत को सुधारने के लिए क्या स्टैप्स उठाए गए हैं। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा नोटिफाइड एरिया कमेटीज को ज्यादा जरजीह दी जानी चाहिए और मैं बताना चाहता हूं कि अगला जो बजट सै ान

आएगा उसमें मैं एक म्युनिसिपल एक्ट ला रहा हूं जिसमें नोटिफाइड एरिया कमेटीज को म्युनिसिपल कमेटीज का दर्जा देने की सोच रहा हूं। यहां पर पर कहा गया कि हम म्युनिसिपल कमेटीज के इलैक ान नहीं कराते। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 1961 में म्युनिसिपल कमेटीज के इलैक ान करवाए गए थे उसके बादे कोई इलैक ान नहीं कराए गए। 1973 में कांग्रेस सरकार ने एक अमैन्डमैंट हाउस से पास करवाई कि म्युनिविपल कमेटीज में तीन साल एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे और तीन साल इलेक्टिड मैम्बर रहेंगे। फिर एक साल और बढ़ा दिया। फिर इलैक ान 1976 में ड्यू थे लेकिन उन्होंने एक साल और बढ़ा दियां यह ऐडमिनिस्ट्रेटर लादने वाली बात जनता सरकार ने नहीं की। यह चीज बंसी लाल की सरकार लाद कर गई थी (व्यवधान)।

Mr. Chairman: No interruptions please.

चौधरी राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, मैं बताना चाहता हूं कि सराकर ने घोशणा की है कि माच्र मैं चुनाव करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी सरकार ने हाउस टैक्स हटा दिया था लेकिन जनता सरकार ने हाउस टैक्स लगा दिया है। अगर इनको इतना ही ज्ञान है तो बड़े अफसोस की बात है। चेयरमैन साहब, 20–4–1977 को डूबते–डूबते पिछली सरकार ने वाह वाह लनै के लिए यह फैसला लिया कि हाउस टैक्स को खत्म करके प्रापर्टी टैक्स और हाउस टैक्स को एक कर दिया जाये। लेकिन यह एक आंखों में धूल

झोंकने वाली बात थी। उस सरकार ने दोनों टैक्सों को मिलाकर बीस परसैन्ट कर दिया। मतलब यह कि हाउस टैक्स को खत्म नहीं किया और उसके बाद जाते जाते यह फैसला कर दिया कि प्रापर्टी टैक्स हटा दिया जाए। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह फैसला पिछली सरकार का था कि म्युनिसिपल कमेटीज हाउस टैक्स वसूल करें। जनता सरकार ने इसको लागू किया है। जनता सरकार ने यह फैसला नहीं किया कि हाउस टैक्स लगा दिया जाए। हम तो सिर्फ वसूल कर रहे हैं जो पहले वाली सरकार ने लगाया था। इसके साथ ही साथ चेयरमैन साहब, मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि यह मानता हूं कि नगरों की हालत खराब है लेकिन यह भी सच है कि नगरों से देहात की हालत ज्यादा खराब है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि देहातों के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। यह भाहरों के मंत्री हैं। मुख्य मंत्री ने भाहर के आदमी को प्लानिंग बोर्ड का पहले चेयरमैन बनाया था। इस प्रकार की कुछ बातें कही गई थी। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि जनता सरकारने जो पहला प्लान बनाया उसमें यह फैसला किया है कि अस्सी परसेन्ट पैसा देहातों के ऊपर खर्च किया जाएगा .....

Ch. Birender Singh: The Minister for Parliamentary Affairs is making wrong statements. There is nothing in last budget which provides 80 percent for rural areas. He is making wrong statements.

Mr. Chairman: This is no point of order.

चौधरी राम लाल वधवाः इसमें रौंग क्या है ? यह बिल्कुल ठीक बात है। प्लान छापा गया है, यह स्कीम प्लानिंग कमि ान से मन्जूर हुई हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नगरों की खराब हालत हमें विरासत में मिली है ओर हम उसमें सुधार कर रहे हैं लेकिन देहातों पर हम ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं इसलिये भाहरों के लिए हमारे पास रूपया कम है लेकिन चेयरमैन साहब, भाहरों की हालत सुधारने के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने मेरी तजवीज को मान लिया है और वह यह है कि हम हरियाणा के अन्दर एक वाटर एंड सिवरेज बोर्ड बनाने जा रहे हैं और मुख्य मंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है और इस सिलसिले में अगल सै ान में एक बिल पे ा किया जाएगा। मैंने म्युनिसिपल कमेटीज को हिदायत जारी कर दी है कि वे बेस और मास्टर प्लान तैयार कर लें। हुडकों ओर वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर इन भाहरों की खराब हालत को सुधारने का विचार किया जा रहा है। मैं यह मानता हूं कि सारी कमेटीज की फाइनें ि ायल पोजी ान खराब है क्योंकि अब तक लोकल बौंडीज के महकमें को यतीम समझा जाता रहा हैं मैं अब हर नगर का टूर कर रहा हूं और जो कमेटीज हैं उने एडमिनिस्ट्रेटर्ज की मीटिंग बुला रहा हूं। मौके पर जाकर नगरों की हालत देख रहा हूं। जहां जैसी जरूरत है उसके अनुसार स्कीम बनाकर ऐप्रूव करवा रहा हूं। पहले जो औक्ट्राय ि ाड्यूल बना हुआ है वह औक्ट्राय ि ाड्यूल सौ साल पुराना है और उसमें बहुत सी खामियां हैं। मैंने कहा है कि नये टैक्स लगाने की बजाए इस औक्ट्राय ि ाड्यूल की खामियों को दूर

किया जाए ताकि टैक्स इवेजन रोका जा सके और हम ज्यादा महसूल प्राप्त कर सकें। औक्ट्राय ि ाड्यूल को सिम्पिलीफाई करेंगी। इस वक्त तो ऐसा है कि एक ही लकड़ी है उस पर कहीं पांच, कहीं दस और कहीं पचास पैसा महसूल लगता है लेकिन हम एक ही महसूल लगाएंगे ओर इस तरह से ज्यादा महसूल आएगा।

तीस लाख रूपये देने की जो बात कही गर्ह है वह ऐसा है कि यह तीन कमेटीज का केस हैं तीन कमेटीज को यह पैसा दिया गया है। सिरसा में मुझे कामरेड भांकर लाल ने कहा कि आप सारे भाहर का दौरा करें। मैंने वहां की गली गली देखी। मैं डबवाली भी गया था और वहां हरिजन एरिया है। वहां से हरिजन एम.एल.ए. आते है। वहां के लिए दस लाख रूपया स्लम क्लीयरेंस के लिए मन्जूर किया गया है। रोहतक एक कोठरी की भाक्ल में है। जब वहां फ्लड आता है तो हालत बड़ी खराब हो जाती है। वहां के लिए भी दस लाख रूपया दिया है। मैंने बाकी कमेटीज के लिए भी मुख्य मंत्री महोदय को प्रार्थना भेजी है और हम आ ाा करते हैं कि दूसरी कमेटीज के लिए अगले बजट के अन्दर पैसा मिलेगा। श्रीमति सुशमा स्वराज ने भी एक बात कही। मुझे निहायत दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर रैस्ट हाउस में वहां मौजूद लोगों ने इनको कुछ कहा था तो इनको आकर मुझसे बात करनी चाहिए थी। हाउस में गलत बात कहना ठीक नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि हाउसगि बोर्ड के लिए जमीन नहीं है। मैंने कहा था कि अगर मेरे सामने केस आएगा तो मैं गौर करूंगा। मैंने

सिर्फ इतनी बात ही कही थी। उसके बाद जब लोंगों ने इनसे कुछ बात कही थी तो इनको मुझ से बात ही कही थी। उसके बाद जब लोगों ने इनसे कुछ बात कही थी तो इनको मुझसे बात करनी चाहिए थी। उस दिन के बाद, उन बातों को एक महीना हो गया, यह मेरे पास नहीं आई।

श्रीमति सुशमा स्वराजः सभापति महोदय, मैं चण्डीगढ आई थी, मंत्री महोदय को मिल कर गई थी। उनके नोटिस में यह बात हैं (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः चेयरमैन साहब, मेरे पास उनका कोई पत्र नहीं पहुंचा। मैंने 4 दिन पहले उन लोगों की डिमांडज पर अपने सेक्रेटरी साहब को बुलाकर कहा कि वह फाईल पुट अप करो लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सुशमा जी इस महकमें की वजीर रहीं हैं, अम्बाला में म्युनिसिपल कमेटी की जमीन का कोई फैसला नहीं किया गया, मिनिस्टर से किसी प्रकार का विम र्ा नहीं किया गया। विभाग को पता नहीं और वहां पर मकान बेचकर सारा पैसा हाउसिंग डिपार्टमैंट ने ले लिया है, अगर हाउसिंग बोर्ड की यह परफारमेन्स थी तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। (ाोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः चेयरमैन साहब, मिनिस्अर साहब ने यह क्लीयर नहीं किया कि जमीन हाउसिंग बोर्ड को देंगे या नहीं। गोल मोल बात कही गई है। (ाोर)

Mr. Chairman: Mr. Pohloo, please take your seat (Interruptions). When you pursue it, he would make it clear. (Interruptions). Mr. Pohloo, please take your seat. (Interruptions)

राजस्व मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): चेयरमैन साहब, यहां पर जिन मांगों पर बहस हो रही है, वह फ्लड के बारे में है, इनके बारे में माननीय सदस्यों ने अमूमन तारीफ ही की है कि फ्लड रिलीफ में जितना सराहनीय काम जतना सरकार ने किया है उतना भाायद 30 सालों में किसी और सरकार ने नहीं किया है। जैसे–जैसे, जहां जहां फ्लडज आये, सरकार की तरफ से यह आदे ा जारी कर दिये गये थे कि स्टेट का कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जो फ्लड की जद में आ गया हो और उसको इमदाद न पहुंचे और साथ यह भी कहा गया कि हर तरह की इमदाद पहुंचाई जाए और जो जो जरूरीयात की चीजें है, वह मुहैया की जाएं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे बड़े बड़े अफसरों ने रात दिन लोगों के लिए काम किया।

चौधरी रिजक राम: सिर्फ एक हफते के लिए।

ठाकुर बीर सिंह: मेरे दोस्त चौधरी रिजक राम जी कह रहे है कि सिर्फ एक हफते के लिए। चौधरी साहब उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां हरियाणा का फ्लड ही न आया, पानी उतर गया, अब पानी नहीं रहा। ऐसी बात नहीं, जहां पर पानी न हो तो वहां पर कि ती हम क्या चलाते लेकिन जिन इलाकों में पानी भरा

रहा वहां पर कि तयां भी चलती रहीं। फिर सरकार ने यह फैसला किया कि जिनके मकानात पूरी तरह से जाया हो गए हैं उन आदमियों को 300–300 रूपये की इमदाद के हिसाब से रकम दी जाए। चेयरमैन साहब, सरकार ने इस काम के लिए डेढ़ करोड़ रूपया मुकर्रर किया था जिसमें से 75 लाख रूपये बांट दिए गये हैं ओर बाकी का रूपया बांटा जा रहा है। इस मामले में कुछ सदस्यों से और स्वामी जी की तरफ से दो तीन सवाल उठाये गये कि 300 रूपये की रा ि ा से क्या कोई मकान बनाया जा सकता है ? यह ठीक है, इसका हमें भी पता है कि 300 रूपये में मकान बनाया नहीं जा सकता लेकिन यह पैसा तो इमीजीएटली रिलीफ के तौर पर दिया गया था ताकि वे लोग जिनका मकान सामान समेट नश्ट हो गया है वह घर के सामान के लिए कुछ न कुछ बन्दोबस्त कर सकें। इसलिये यह रकम रिलीफ की भाकल में दी गई है।

इसके साथ साथ स्वामी जी और श्री मूलचन्द जैन जी ने उन लोगों को, जिनके मकान गिर गये हैं, मकान बनाकर देने का जिकर भी किया कि सरकार की ओर से इस किस्म की कोई स्कीम नहीं रखी गई है कि उन लोगों को सरकार मकान बनाकर दे। मै आपके द्वारा सदन में यह बता देना चाहता हूं कि इस किस्म के ऐफर्टस भी सरकार ने 22 बैकों के द्वारा किये हैं और उन बैंकों के नुमाइन्दों को बुलाया गया और कहा गया कि जिन लोगों के मकान गिर गये हैं उनको लोन दिया जाए। और जिन एरियाज में फ्लडज आये हुए हैं उन एरियाज को हमने 22 बैंकों

में बांट दिया है कि वे बैंक उस एरिया के हिसाब से काम रें और कर्जा दें। तो चेयरमैन साहब, मैं इन आनरेबल मैम्बरों की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस नीति पर काम किया है और कर्जे भी दिये हैं और अभी यह काम चालू है। जैसे कि सुशमा जी ने कहा कि अम्बाला में किसी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया गया है, अम्बाला के साथ भेदभाव की नीति बरती गई है, यह उनकी बात गलत है। अम्बाला में 958 आदमियों को बैंकों की तरफ से तीन हजार और पांच हजार तक की रकम मकान बनाने के लिए दी गई हैं और जो उस रकम का रेट आफ इंट्रैस्ट हैं, जो हमारी हुडको देती है, वह साढ़े 9 परसेन्ट चार्ज करती है लेकिन हमारी सरकार ने साढ़े 9 परसैंट से घटाकर बैंकों के द्वारा 5 परसेन्ट लेने का फैसला किया है .....

श्री सभापतिः ठाकुर साहब, एक मिनट बाकी है जल्दी कीजिए।

ठाकुर बीर सिंहः चेयरमैन साहब, मैं जल्दी ही करता हूं। 10 करोड़ 75 हजार 700 रूपये की रा ि ा सोनीपत में बैंकों के जरिये से बांटी गई हैं। इसी तरह से कुरूक्षेत्र मे ं75 हजार रूपये की रा ि ा बांटी गई है। इस तरह से मकानात बनाने के लिए बैंकों के द्वारा लोन देने का काम अब भी जारी है। इसके साथ साथ मकानों की प्रोबलम जोकि हाउसिंग बोर्ड के साथ आती है, इस समस्या का भी हमने हाउसिंग बोर्ड से पूरी तरह से

जायजा लिया कि जतना सरकार अपनी टर्म में किस हद तक इन लोगों की जरूरीयात को पूरा कर पाये, इसके लिये भी हमने असैसमैंट करवाया है और इस असैसमैंट से पता लगाया है कि देहात में 72 हजार मकानात की जरूरत है और 68 हजार मकानात की हमारे भाहरों को जरूरत है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस काम के लिए हम हाउसिंग कालौनी बना रहे हैं और हमने रजिस्ट्रे ान भी ओपन की हुई है और जैसा कि रजिस्ट्रे ान से मालूम होता है कि हमारे भाइयों की डिमांड बहुत कम है। हम ऐसी एक स्कीम रूरल और अरबन एरियाज में भी भुरू कर रहे है। जनता पार्टी ने ऐसे कामों के लिए अपोजी ान या सताधारी एरिया का कोई ख्याल नहीं किया सभी को एक सा समझा है। अपोजी ान के भाइयों को मैं यह वि वास दिलाना चाहता हूं कि अगर वे अपने हल्का से 200 आदमियों की ऐप्लीके ांज मुझे भिजवा दें तो उस गांव में, मैं मकान बनवा कर दूंगा, मैं इस बात की गारन्टी देती हूं। यह उन पर डिप्ेन्ड करता है कि वे कितनी ऐप्लीके ांज दिलवाते है (तालियां) हमारे पास पैसे की भी कमी नहीं है, सरकार ऐसे कामों में पीछे नहीं रहेगी। रूरल और अरबन एरियाज की जरूरतें पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही बहन सुशमा जी ने कहा कि जो ग्रान्ट वगैरह बांटी गई है उसमें अम्बाला को इग्नोर किया गया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सारी स्टेट में जितनी तकावी दी गई है,उनमें अम्बाला नम्बर वन पर है। 14 लाख रूपये की रा ि ा अम्बाला

जिला के लिये मुकर्रर की गई है, जो कि हाईऐस्ट अमाउंट है। इसके इलावा फर्टीलाइजर में भी 34 लाख रूपया अम्बाला को ही दिया गया है जो कि सारी स्टेट में कही नहीं दिया गया और उस पैसे की डिस्ट्रीब्यू ान भी हो चुकी है। एक प्रोबलम यह भी बताई गई है कि किरायेदारों को भी यह अमाउंट दिया जाए लेकिन पालिसी के तहत ऐसा नहीं हो सकता (ाोर) अध्यक्ष महोदय, जितनी जिस जिले को जरूरत थी, उसे उतना ही पैसा दिया गया, यह भी मांग थी कि किरायेदारों को भी दिया जाए लेकिन किरायेदार हाउस ओनर में नहीं आते, वे टेनेन्ट्स हैं और यह रिलीफ उन मालिक मकानों को दी गई हैं जिनके मकान टोटली ढ़ह गये हैं, इसलिए वे उस स्कीम के तहत नहीं आते, अगर ऐसेलोगों की कोई डिमांड आएगी तो दूसरी लाईट में that can be examined. That is a another question. लेकिन ये उसके तहत कवर नहीं होते थे। अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई चौधरी मांगे राम जी ने एक सवाल उठाया कि जीन्द मे एक हस्पताल की जमीन पड़ी हुई थी और उस जमीन की कीमत 50 लाख के करीब बैठती है और वह सरकार किसी अपनी आदमी को 20 लाख रूपये में देना चाहती है। मैं यहा हाउस के सामने कहना चाहता हूं कि मैं वह 50 लाख रूपये की जीन मांगे राम जी को 40 लाख रूपये में देने के लिए तैयार हूं, वह कल ही मेरे से रजिस्ट्री करवा लें और 10 लाख रूपये का मुनाफा कमा लें।

वह जमीन अभी किसी को दी नहीं गई है बल्कि इसकी डिवैल्पमैंट करने के लिए फिनान्स मिनिस्ट्री से 1 लाख रूपये की ग्रान्ट के लिए मांग की गई है। उसको डिवैल्प करके, सड़कें बना कर औक ान करके दिया जाएगा और किसी के साथ रियायत नहीं बरती जायेगी।

श्री मांगे राम गुप्ताः मैंने तो कहा था कि 40 लाख रूपया रिकमैंड किया गया है। (व्यवधान)

ठाकुर बीर सिंहः नहीं, आप कह रहे थे कि 50 लाख रूपये की प्रोपर्टी 20 लाख में दी जा रही है। (व्यवधान) मैं आपको 50 लाख की बजाये 40 लाख रूपया ऑफर करता हूं, 10 लाख रूपया आप प्रौफिट ले लो, हमारी सारी बादरे ान खत्म हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः आप सौदेबाजी क्यों कर रहे है, 25 लाख रूपया तो मैं भी ऑफर करता हूं ..... (व्यवधान)

ठााकुर बीर सिंहः आप तो 50 लाख बता रहे थे, मैं आपको 40 लाख रूपया ऑफर करता हूं, 10 लाख रूपया आप प्रौफिट ले लो ..... (व्यवधान) फिनांस मिनिस्ट्री को इसकी फाईल गई हुई है, इसका डिसीजन होने के बाद इसकी पब्लिकली ओक ान की जाएगी और मांगे राम जी औक ान में ले सकते हैं, किसी के साथ्ज्ञ कोई फेवरेटीज्म, कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा।

इसके बाद, मैं सुशमा जी के एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि 16 लाख रूपया हाउसिंग बोर्ड ने अम्बाला से लिया। यह रूपया उस वक्त लिया था जब सुश्मा जी खुद मिनिस्टर थी। इन्हौंने तो रूपया ले लिया लेकिन न इन्होंने कालोनी के लिए जमीन ली और न कोई स्कीम बनाई। मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि गवर्नमैंट लैवल पर इसका डिसीजन हो चुका है। मैं इनको यह भी बता देता हूं कि इसमें लोकल बाडीज की, म्युनिस्पिल कमेटी की ही जमीन नहीं है बल्कि कंटोनमैंट की जमीन भी है। मोस्ट आफ दी एरिया कंटोनमैंट का है और इसकी परमि ान हमने डिफैंस मिनिस्टर से लेनी थी। इधर हमने मिनिस्टरी आफ डिफैंस को भी ऐप्रूवल के लिए लिखा हुआ है और उधर मिनिस्टर आफ लोकल बाडीज को भी केस मूव किया हुआ है। हमने अलाटीज को इन्फर्मे ान दे दी है कि ऐट दी अर्लिएस्ट अलाटमैंट करदी जाएगी।

Mr. Speaker: Now guillotine is applied and I will put the various demands to the vote of the House.

Question is:-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10712000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course off payment for the year ending 31st Marc, 1979 in respect of Demand No. 4-Revenue.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is:-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3000000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course off payment for the year ending 31st Marc, 1979 in respect of Demand No. 11-Urban Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is:-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 999500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course off payment for the year ending 31st Marc, 1979 in respect of Demand No. 16-Industries.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is:-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 64000000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course off payment for the year ending 31st Marc, 1979 in respect of Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

दि हरियाणा अर्बन (कन्ट्रोल आफ रेंट एंड इविक ान) सैकिन्ड अमैंडमैंट बिल, 1978

Mr. Speaker: The Minister for Local Government may kindly introduce the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Second Amendment Bill, 1978.

Local Government Minister (Ch. Ram Lal Wadhwa): Sir, I beg to introduce the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Second Amendment Bill, 1978.

Sir, I also beg to move:-

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): स्पीकर साहब, यह अमैंडमैंट उन फौजी जवानों के बारे में है जो आर्मी से रिटायर होकर, पैन ान लेकर आती हैं। स्पीकर साहब, आप हैरान होंगे कि पिछले वर्शाकालीन सत्र में, जब बिजली के बिल पर फाईनल रीडिंग हो रही थी, उस वक्त डा. मंगल सैन ने, एट दी इलैवन्थ आवर एक अमैंडमैंट रखी थी, और वह अमैंडमैंट यही थी जो आज हाउस के सामने है, इसका आज सुधार करने जा रहे है। उस वक्त अमैंडमैंट यही थी कि जो कमी ांड आफिसर .....

श्री अध्यक्ष: बिल की हिस्टीर में जाने की जरूरत हनीं, जो बिल हाउस के सामने है इस पर आप बोलें।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हिस्टरी इसलिये है कि मैं मिनिस्टर की इन कम्पीटैंसी की बात कर रहा हूं। जो

मिनिस्टर एट दी इलैवन्नी आवर अमैंडमैंट लेकर आते हैं, वे यह नहीं सोचते कि जो कैप्टन हैं, मेजर हैं, जनरल हैं, वे भी इस दे ा की सेवा करते हैं ?

चौधरी राम लाल वधवाः तो अब आप कौन सी ि ाकायत करने जा रहे हैं ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः ि ाकायत मिनिस्टर की इन कम्पीटैंसी की है और अब आखिर में उन्होंने सुधार कर लिया है, यह बहुत अच्छी बात है। (व्यवधान) इसमें उनकी इनकम्पीटैंसी के इलावा ..... भी थी। जनरल दरयाव सिंह के मकान में एक चहेते बैठे हुए थे, किरायेदार था। रात का वह आदमी रोहतक से आया और उनके कहने पर डाक्अर साहब, यह अमैंडमैंट लेकर आये हैं और अपने चहेते के लिए फौज के सारे आफिसर्ज के रास्ते में उस अमैंडमैंट के जरिए रूकावट पैदा की ..... (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, कोई भी बिल जिसको मिनिस्टर यहां मूव करता हूं, वह कैबिनट की ज्वायंट रिस्पांसिबिलिटी से करता है और यह कहना कि मिनिस्टर अपने तौर पर कोई अमैंडमैंट ले आये है, यह गलत है और इस बात की बिल के साथ कोई रैलेवैसी नहीं है। (व्यवधान)

Industries Minister (Dr. Mangal Sein): I challenge it. ये गलत बात कह रहे है। (व्यवधान)

Ch. Ram Lal Wadhwa: The word ..... is unparliamentary and should be expunged.

Mr. Speaker: Yes, It should be expunged.

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, उस समय जब मैं इस बिल पर बात कर रहा था तो मुख्य मंत्री जी ने इस बात को माना था कि यह अमैंडमैंट मेरे नोटिस के बगैर आई है। इस बात की पुश्टि आप पिछली कार्यवाही को निकाल कर सकते है। स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से फौज से रिटायर हुए नौजवानों और आफिसज4 के मकान खाली करवाने के लिए जो सरकार अमैंडमैंट लेकर आई है, इसका समर्थन करते हुए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि फोज की कठिन नौकरी की तरह हमारे दे ा में दो और संस्थाएं है, एक बी.एस.एफ. और दूसरी सी.आर.पी.। इन दोनों संस्थाओं के नौजवानों को भी यह सुविधा दे दी जाए तो मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात होगी। ये नौजवान फौज में काम करने वाले नौजवानों से किसी तरह भी कम नहीं है। यह मेरा सुझाव है, मुझे उम्मीद है सरकार इस पर गौर करेगी।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): स्पकीर साहब, हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रेंट एंड ऐविक ान) सैकेंड अमैंडमैंट बिल पर जो अमैंडमैंट सदन में आई हैं, इसकी स्पोर्ट करता हूं

क्योंकि इस अमैडमैंट से कमी ांड और नान कमी ांड आफिसर्ज का जो सवाल था वह ओमिट कर दिया गया है। स्पीकर साहब, आपके समय में आज तक कोई बिल हाउस में गलत नहीं पास हुआ है। इस बिल में थोड़ा सा लकूना था वह भी रिमूव कर दिया गया है। एक बिल ब्रिगेडियर रण सिंह के समय में गलत पास हुआ था जिसको सी.एम. साहब ने पे ा किया था। वह इंडस्ट्रीज बिल था जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट्स को एक एक लाख रूपया सेल्ज टैक्स देने के लिए अमैंडमैंट थी। मेरी आपसे गुजारि ा है कि इस बिल को भी अमैंड किया जाए। इस बिल को मैं स्पोर्ट करता हूं।

Mr. Speaker: Would the Hon. Minister like to reply to the debate or he does not consider it necessary?

डाक्टर मंगल सैनः कोई जरूरत नहीं।

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Local Government Minister (Ch. Ram Lal Wadhwa): Sir, I beg to move:-

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Second Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Second Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Second Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टी ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडे ान) बिल, 1978

Public Works Minister (Sh. Lachhman Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1978.

I also beg to move:-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर महोदय, यह जो बिल सदन के सामने मंत्री महोदय ने पे ा किया है इसके बारे में मैं एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। इस बिल की क्लाज 2 का आप मुलाहिजा फरमायें। इसमें यह प्रोवाईड किया जा रहा है कि बोर्ड की अवधि सात साल की है उसको 12 साल की कर दिया जाए। ताकि बोर्ड के मैम्बर अगर मर भी जाएं तो उनकी औलाद को इसमें रखा जाए और उनके हकूक की पूरी हिफाजत हो सके। आज तक हमने कोई ऐसा बिल नहीं देखा, कोई ऐक्ट नहीं देखा जिसमें किसी बोर्ड की अवधि 12 साल की हो। यह पहला बिल पे ा किया गया है जिसमें बोर्ड की अवधि 7 साल से बढ़ा कर 12 कर साल कर दी गई है। मुझे मालूम है कि किस आदमी के हमूक की हिफाजत के लिए यह किया जा रहा है। मुझे यह भी मालूम है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मंत्री जी को तो यह भी मालूम नहीं है। मैं मंत्री जी से अभी मिला था। मैंने इनसे कहा कि ऐसा न करें क्योंकि यह ठीक बात नहीं है। इन्होंने कहा कि मुझे यह मालूम भी नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। (विघ्न) अभी अभी मेरी बात हुई है। (विघ्न)

Irriagation and Power Minister (Sh. Verender Singh): He knows everything.....Interruptions.....

चौधरी रिजक राम: वे यदि सब कुछ जानते हैं तो वे बता दें या आप बता दें, मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। (विघ्न) तो स्पीकर महोदय, मुख्य मंत्री महोदय जीकी वजह से चुटाला गांव

तो म ाहूर हो गया हैं। (विघ्न) यह जरूरी सी बात हैं। आपको मालूम नहीं हैं, आप पता कर लेना। इस बोर्ड के चेयरमैन भी इस गांव के ही हैं। तो मैं यह बता आज तक सुनने में नही आई पड़ी हैं कि इस बहाने को लेकर कि चूकिं 17 हजार ऐप्लीके ान्ज या 7 हजार दरख्वास्तें बाकी पड़ी हैं इसलिये बोर्ड की मियाद 12 साल कर दि जाए। यह असैम्बली पांच साल के लिए बनी हैं। पांच साल में यदि काम खत्म न हों, कुछ काम करने को रह जाए तो बिल पास करवा लेना कि असैम्बली की मियाद दस साल या बारह साल होनी चाहिए। (विघ्न) मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का अनडैमोक्रेटिक बिल आज तक इस हाउस के सामने नहीं आया था कि इस तरह बोर्ड कि मियाद बढ़ाई जाए और एक बार के लिए नहीं बल्कि आगे आने वाले बोर्ड के लिए भी। यही नहीं, सरकार की अहलियत और देंखे। 1975 में इस बोर्ड की अवधि खत्म हुई लेकिन 1975 से 78 तक यह बोर्ड काम करता रहा और इनका पता नहीं लगा कि अवधि खम्त हो गई हैं। आज ये बिल लेकर आए हैं कि इस बोर्ड की अवधि बढ़ाई जाए औन न सिर्फ इस बोर्ड की बल्कि आने वाले जितने भी बोर्डज होंगे उनकी अवधि सात साल की बजाए, 12 साल कर दी जाएगी। इससे ज्यादा कोई अनडैमोक्रेटिक बिल नहीं हो सकता, इससे ज्यादा प्रजातन्त्र की जो रिवायत हैं उनके खिलाफ कोई बिल हो नहीं सकता, जिसके तहत एक बोर्ड में अपने चुने हुए आदमियों को 12 साल तक बैठाया जाए। आप यह क्यों सोचते हैं कि आपने हमे ाा राज करना हैं? कल कोई और गवर्नमैंट आएगी और वह इसमें

तोड़ मरोड़ करेगी। आप ऐसा क्यों करते हैं? कल कोई और गवर्नमैंट आएगी और वह इसमें तोड़ मरोड़। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप बिल लांए कि गलती से 1975 से 78 तक जो बोर्ड की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकी उसको रैगुलेराइज किया जाए क्योंकि गलती अच्छी से अच्छी सरकार से भी हो सकती हैं, इस सरकार से तो हम रोज ही उम्मीद करते हैं कि यह ऐसी गलतियां करेगी। (विघ्न) मंत्री महोदय जब बोलें तो वे इस बात का जवाब दें। (विघ्न) पुलिस, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी के अख्तियार में हैं। जो भी यहां बोलता हैं उसकी तरफ से आंख निकालते हैं। मेरी तरफ भी आंख निकालते हैं (विघ्न) लेकिन खैर हमने इनकी में जाना तो हैं ही यह हमें पता हैं। (विघ्न एंव भाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): * * *

* **चौधरी रिजक रामः** * * *

* **चौधरी देवी लालः** * * *

* **चौधरी रिजक रामः** * * *

* **चौधरी देवी लालः** * * *

* **चौधरी रिजक रामः** * * *

* **चौधरी उदय सिंह दलालः** * * *

* **चौधरी रिजक रामः**

श्री अध्यक्षः चौधरी रिजक राम जी आप बैठ जाइए।

चौधरी उदय सिंह दलालः *

श्री मूल चन्द जैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर मेरा निवेदन हैं कि यह बड़ी परसनल अनसिवलाइज्ड कन्ट्रोवर्सी यहां पर आई हैं। मेरी रिक्वैस्ट हैं कि यह हाउस की प्रोसिडिंग्ज में से एक्सपंज करा दिया जाए।

श्री देवेन्द्र भार्माः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब मैं सभी मैम्बर्ज से छोटा हूं। मेरा निवेदन हैं कि जब एक मैम्बर बोल रहा हो अगर दूसरा मैम्बर उसमें इन्टरफियर करें तो आपकी बिना इजाजत के इन्टरफियर नहीं करना चाहिए।

श्री भाम ोर सिंहः * * *

Mr. Speaker: All the exchanges which will not be pertaining to the Bill will be expunged from the proceedings.

वैयक्तिक स्पश्टीकरण

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, इसमें एकसपंज करने की कोई बात नहीं हैं।

मुख्य मंत्री जी ने इल्जाम लगाया हैं। मैं उन पर प्रत्यारोप लगायें बगैर एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि अगर

मुख्य मंत्री महोदय जी सरकार के किसी रिकार्ड से साबित कर दें (विघ्न)

Mr. Speaker: I would request you stick to the relevant provisions of the Bill.

Ch. Rizaq Ram: I am not making any allegation. I am simply giving my personal explanation मेरी अर्ज यह हैं कि अगर कोई किसी रिकार्ड में यह साबित कर दें तो मै ंसियासी जिन्दगी से नही नहीं बल्कि संसार से कूच कर जाऊंगा। (तालियां) अगर चीफ मिनिस्टर साहब की बातें झूठ साबित हो ं तो इनको हाउस में माफी मांगनी चाहिए।

चौधरी देवी लालः * * *

चौधरी बलवन्त राय तायलः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब जिस तरह की पोजी ान हाउस में चल रही हैं वह भाोभाजनक नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब ने और मैम्बर ने अपनी–अपनी ऐक्सप्लेने ान दी हैं। इस बात का फैसला प्रिविलेज कमेटी के सिवाए और कहीं नहीं हो सकता। यह मामला प्रिविलिज कमेटी को जाना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने जो गैर–जिम्मेदारी की बात की हैं उसको भी पता लग जाएगा। मैम्बर साहब ने कुछ बातें कहीं हैं, उनके बारें में भी पता लग जायेगा। प्रिविलिज कमेटी में जाये बिना इसाका कोई फैसला नहीं हो सकता। अगर यह फैसला हाउस में होना हैं तो इसके बारें में सख्त कदम उठाना चाहिए।

चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले इल्जाम लगाया हैं? इनको अपना इल्जाम विदड्रा करना चाहिए।

Revenue Minister (Thakur Bir Singh): There is nothing to be referred to the Privileges Committee.

Mr. Speaker: I don not think that this is a matter fit to be referred to the privileges Committee. I would now request all the Hon. Members to sick to the relevant portion of the Bill.

चौधरी रिजक रामः * * *

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब आपका परसनल एक्सप्लेने ान आ चुका हैं। आप बिल पर बोंले।

चौधीर रिजक रामः ** *

Mr. Speaker: I have given my ruling on the subject. I would not like to refer it to the Privileges Committee.

चौधरी जगजीत सिंहः स्पीकर साहब हाउस चाहता हैं कि रूलिंग रिवाइज हो।

दि पंजाब आयुर्वैदिक एंड यूनानी प्रैक्टी ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडे ान) बिल, 1978 (पुनरारम्भ)

चौधरी रिजक रामः वह तो आपकी मर्जी हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि जो ये बिल लाये हैं, यह बिल्कुल जमहूरियत के खिलाफ हैं, प्रजातन्त्र के असूलों के खिलाफ हैं। यह सरकार और मुख्य मंत्री जी सोच सकते हैं कि किसी बोर्ड की अवधि 12 साल कैसे की जा सकती हैं इसलिए मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बिल को वापिस लें वापिस लें या इसमें ऐसा सं ाोधन करें कि जो आज तक बेकायदगी हुई हैं, वह तो दूर हो और यह जो अवधि बढ़ाई गई हैं यह 12 साल से कम हो जाए। मैं तो यह समझता हूं कि किसी खास भाख्स को रियायत देने के लिए यह बिल लाया गया हैं। स्पीकर साहब, मैं किस–किस चीज के बारें में यहा हाउस में कहूं कि मुख्य मंत्री महोदय जी ने अपने कितने ही दूसरे रि तेदारों और दूसरे ताल्लुकदारों जो चुटाले के आदमी हैं, नौकरियों पर लगाने के लिए सारे कायदे कानून तोड़ दिए हैं चाहे वह पब्लिक सर्विस कमी ान हैं, चाहे एस0 एस0 एस0 बोर्ड हैं और चाहे कोई कारपोरे ान हैं। सब जगह पर अपने दोस्तों और रि तेदार को लगा रहे हैं। मुख्य मंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए जो प्रजातन्त्र के विरूद्ध काम हो।

Mr. Speaker: Please stick to the relevant portions of the Bill.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा): स्पीकर साहब मैं इस निजी कन्ट्रोवर्सी को छोड़ कर, जो अमैंडिंग बिल पे ा किया गया हैं उसके ऊपर एक दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूं। इस बिल

के बारें में मेरे लायक दोस्त चौधरी रिजक राम जी को कुछ गलतफहमी मालूम देती हैं। वह गलतफहमी क्या हैं, वह मैं अर्ज करना चाहता हूं। यह भी हो सकता हैं कि उनको गलतीफहमी न हो और मुझे हो लेकिन जो मैं समझा हूं वह यह हैं कि जो ओरीजनल बिल बोर्ड का बना हैं उसमें आयुर्वैदिक और यूनानी डाक्टर्ज को रजिस्टर्ड करना हैं।

श्री अध्यक्षः आप मिनिस्टर साहब को बोल लेने दीजिए कि क्या गलतफहमी हैं? आप उसके बाद बोल लेना। मैं मिनिस्टर साहब को रिक्वैस्ट करूंगा कि वे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमैंट दें।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, यह अच्छा होगा कि मेरे बोलने के प चात ही मिनिस्टर साहब बोलें क्योंकि मुझे गलतफहमी होगी तो वह भी दूर हो जाएगी और जो मैम्बर साहब पहले बोल चुके हैं उनको गलतफहमी होगी तो वह भी दूर हो जाएगी। मैंने जो समझा कि इस बेसिक कानून के बाद एक बोर्ड बनना हैं। इस बोर्ड को बनाने का तरीका भी इसी बिल में रखा हुआ हैं। पूरा कानून तो अब मेरे पास नहीं हैं, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं वह यह हैं कि जितने आयुर्वैदिक डाक्टर्ज और यूनानी डाक्टर्ज रेजिस्टर्ड होंगे उनको अधिकार होगा कि चुनाव द्वारा उस बोर्ड को बनाए। स्पीकर साहब, उन्होंनें एक धारा 3 का हवाला दिया हैं कि जब तक उस तरीके से बोर्ड नहीं बना, तब तक उसका क्या काम ? खैर अर्जिया आती हैं, उन अर्जियों को देखना पड़ता हैं, उनकी जांच पड़ताल होती हैं। उन अर्जियों की जांच

पड़ताल करने के लिए जो ओरीजनल कानून था, उस कानून ने सरकार को यह अख्तियार दिया था कि वह उसी तरह का एक बोर्ड बनाये खुद जिसमें यानी जो नैमीनेटिड बोर्ड था, उसकी मियाद 7 वर्श की थी ताकि वह बोर्ड उन अर्जियों की जांच पड़ताल करने का काम पूरा कर सकें। वह जांच पड़ताल का काम पूरा नहीं कर सका। सरकार यह विधेयक अब ला रही हैं कि जिसके तहत जो अर्जिया अभी पड़ी हैं, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए टाइम लगेगा वह बढ़ाया जाए। यह ठीक हैं कि कुछ लोग यूनानी के अन्दर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, वह सब के सब तो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। उस ओरीजनल कानून के तहत जो भी रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, वह सब के सब तो रजिस्टर्ड होगी, उनको वहां पर अर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जो असल में धारा हैं, उस धारा के अन्दर भी ठीक तरीके से बोर्ड नही बना सकें। जैसे हैं। मैं यह मानता हूं कि यह मेरी कमी रही हैं कि मैं इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ नही पाया हूं मगर जो कुछ मैं समझ पाया हूं वह यही है। आप इसको बढ़ा कर 7 साल की बजाए 8 साल कर लो। 10 साल कर लो लेकिन इतना ज्यादा न बढ़ाओ कि 12–12 साल तक नोमीनेटिड बोर्ड बना रहे। इतनी सी बात हैं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हैं कि बात का बतंगडद्य बन गया हैं।

Mr. Speaker: Now the Minister may kindly make a statement.

लोक कार्य मंत्री (सरदार लछमन सिंह): स्पीकर साहब, यह पंजाब यूनानी और आयुर्वैदिक एक्ट 1963 जो था यह जब हरियाणा बना तो यहां पर इससे काम चलता रहा। 1968 में एक आर्डीनेन्स सरकार ने कर दिया। उसके बाद फिर एक और अमैंडमैंट कर दी कि 7 साल के लिये इस बोर्ड की और बढ़ा दिया गया। लेकिन उस एक्ट के अन्दर जो अमैंडमैंट की गयी थी वह रिट्रौस्पैक्टिव इफैक्ट से की गयी थी। डिपार्टमैंट ने यह समझा कि 1970 से 1977 तक इसकी टर्म बढ़ गयी हैं जबकि यह अमैंडमैंट रिट्रौस्पैक्टिव थी। इस तरह से यह बोर्ड दो साल तक इररगुलरली चलता रहा। 1977 में आकर गवर्नमैंट ने यह फैसला कर लिया कि इलैक ान करवा दियें जायें। डिपार्टमैंट ने यह कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंनें यह सुजै ान दी कि इसकी अवधि 15 साल तक बढ़ा दी जाये ताकि जो पैडिंग एप्लीके ान्ज पड़ी हुई हैं, उनको डिस्पोज आफ किया जा सके और जो इररैगुलैरिटी 1968 एप्लीके ान्ज हैं। इसलिये बोर्ड के अन्दर कोई फेवर बात नहीं हैं, इस अमैंडमैंट को पास करने से इसकी अवधि 1980 तक बढ़ पाएगी। This is av very ordinary matter, it should be passed.

Mr. Speaker: Question is

that the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendement and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is

that clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is

that clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is

that clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is

that clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is

that Enacting Formula be the Enacting Formula the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Public Works Minister (Sh. Lachhman Singh): Sir, I beg to move

That the Punjab Ayurvedic an Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

that the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मेरा एतराज क्लाज नम्बर 3 के बारें में था और सिर्फ इतना ही एतराज था कि यह जो अमैंडमैंट आप ला रहें हैं, इसमें नामजद बोर्ड की अवधि 7 साल से बढ़कर 12 साल आगे हमे ाा के लिये हो जायेगी। 1975 तक तो बोर्ड ठीक था कानून के जरिए काम करता रहा लेकिन बाद में यह बिना कानून से काम करता रहा। यह कानून उस इर–रैगुलैरिटी को ठीक करने के लिये लाया गया। इस इररैगुलैरिटी को तो ठीक किया जाना चाहिये था लेकिन आगे के

लिये इस बोर्ड की अवधि 12 साल रहेगी, यह कोई अकलमंदी की बात नहीं हैं लेकिन इसकी अवधि इतनी ज्यादा नहीं रहनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः आगे के लिये 12 साल कैसे रहेगी, 1980 में तो इस पीरियड खत्म हो जाता हैं। (व्यवधान एंव भाोर)

Ch. Khurshid Ahmed (Tauru): Sir, this provision will continue to be in the Act whereby the term of the Board will be 12 years. This is an offensive provision. It should be made clear how the term would be reduced. when the provision for 12year's term of the Board will be in the Act. If it is to be lowered another amending Bill will be brought. I feel that the term of the Board should not be for more than six years.

ठाकुर वीर सिंहः आइन्दा के लिये हम इसे 6 साल कर देंगे।

चौधरी रिजक रामः इसके लिये मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें बे ाक प्रोबाइजों एड कर दिया जायें।.....
.

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, इसमें एक टैक्नीकल डिफिकल्टी हैं। यह बिल क्लाज बाई क्लाज तो पास हो चुका हैं। अब तो यह स्टेज हैं कि बिल पास हो या सारा बिल रिजैक्ट हो। लेकिन जैसे कि मंत्री महोदय ने अ योरैन्स दे दी हैं कि आगे के लिये 6 साल से ज्यादा पीरियड नहीं होगा, मेरा विचार हैं कि इसे अब पास होने देना चाहिए।.....

श्री लछमन सिंहः अगले सै ान में बिल ले आयेंगे।

Mr. Speaker: This is an assurance given by the Hon. Minister and this should satisfy you (Interruptions)

Question is-

that the Punjab Ayruvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1978

(वापिस ले लिया गया)

Mr. Speaker: I have received an intimation from the Excise & Taxation Minister that he wishes to withdraw the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1978, which was intended to be introduced today.

Is it pleasure of the Assembly that leave be granted to withdraw the Bill?

Voices: Yes, Yes

Mr. Speaker: The Bill is withdrawn by leave of the House.

दि मैडीकल कालिज रोहतक बिल, 1978

Agriculture Minister(Brig. Ran Singh: Sir I beg to introdence the Medical College Rohtak Bill, 1978.

Sir I also beg to move-

That the Medical College Rohtak Bill be taken into consideration at once.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, मेरी सबमि ान हैं कि वह इसको एक्सप्लेन करें कि क्यों ऐसा काम किया जा रहा हैं।

Mr. Speaker: Would the Hon. Minister like to make an explanation hearing him. (Interruptions).

Birg. Ran Singh: I think it would be better ofr me to explain after hearing him. (Interruptions).

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Medical College Rohatak Bill be taken into consideration at once.

डा0 बूज मोहन गुप्ता (जगधारी): स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से अपनी इस जनता सरकार को इस बिल के लाने के लिये बधाई देना चाहता हूं। स्पीकर साहब, विभाजन के बाद हरियाणा के अन्दर यहीं एक मैडीकल कालेज आया था और उस वक्त पंजाब के अन्दर दो मैडीकल कालेज चले गए थे। उसके बाद पंजाब के अन्दर तीन मैडीकल और खोले गये। इस तरह से पंजाब

के अन्दर पांच मैडी कल कालेज हो गए लेकिन हरियाणा के अन्दर केवल एक ही कालेज रहा। पंजाब के पांचो मैडीकल कालेज यूनिवर्सिटीज के ऐफिलिएटिड हैं। अमृतसर का गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी से ऐफिलिएट हैं, लुधियाना के दोनो मैडीकल कालेज पंजाब यूनिवर्सिटी से ऐफिलिएट हैं और फरीदकोट का भी पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं लेकिन इन सब कालिजिज का मैंनेजमैंट् इंडिपैडैंट हैं । पटियाला और फरीदकोट और अमृतसर का कालिजिज का मैनेजमैंट, सरकार के अन्दर हैं और दयानन्द मेडिकल कालेज का मैंनेजमैंट एक ट्रस्ट के अन्डर हैं और इसी प्रकार क्रिस–चियन कालेज का मैंनेजमैंट भी एक ट्रस्ट के अन्डर हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि पिछली सरकार जाते हुए इस कालेज को भी जो कि इस सरकार के अन्डर था, यूनिवर्सिटी अन्डर चली गई। ऐसा करने का कारण सब को पता हैं कि पिछली सरकार ऐसा क्यों करना चाहती थी। अब यह बहुत ही अच्छी बात हुई हैं कि सरकार ने इस मैडीकल कालेज को अपने अन्डर ले लिया हैं और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मुझे बड़ी खु ाी हैं कि एक क्लाज के थ्रू सरकार ने मैडिकल कालेज में नम्बर आफ सीट्स और रिजर्वे ान आफ सीट्स की पावर अपने हाथ में ले ली हैं। मेरा सरकार से अनुरोध हैं कि एडमि ान का क्राइटेरिया जो अनाऊंस करना हैं वह जल्दी तय करें ताकि अगले सै ान से पहले जो दरख्वास्तें आएं उन पर हम कोई डिसीजन ले सकें। इसके साथ ही साथ मैं यह समझता हूं

कि सरकार ने जो यह काम किया हैं, यह एक बड़ा ही सराहीनया काम हैं और इसके लिए मैं सरकार की ऐप्रिसिए ान करता हूं।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मैं भी मंत्री महोदय को इस बिल के लाने और मैडीकल कालेज तथा यूनिवर्सिटी के दरमियान जो झगड़ा चल रहा था उसको निपटाने के लिये बधाई देना चाहता हूं। मैं एक बातें एक–दो बातें दो मिनट में कहकर खत्म करना चाहूंगा। पहली बात नहीं हैं खास तौर पर जबकि पालिटीि ायंज का मैजोरिटी में होना कोई ठीक बात नहीं हैं खास तौर पर जबकि पोलिटी ांयज को मैजोरिटी में रखना भाोभा नहीं देता। स्पीकर साहब, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आप देखें कि इसमें क्लाज तीन हैं जिसमें लिखा हुआ हैं.–

" 3.(1) The Medical College shall be managed through a Governing Body to be constituted by the Government.....

इस क्लाज के अनुसार गवर्नमैंट ने यह गवर्निग बाडी तो कांस्टीट्यूट कर दी और इसके बाद फिर क्लाज 4 हैं। क्लाज 4 में आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ हैं–

"Provided that regulations concerning of service of the employuess shall require previous approval of the Government' and

(1) to constitute sub-committees and to delegare any Power' of assign any function to any such sub-committee

or to any functionary of the Medical College of of the University:

Provided that if, in the opinion of the Chariman it is expedient to take a certain action, he shall take such action as the deems necessary and shall report the same for confiramtion at the next succeeding meeting of the Governing Body:

Provided further that if the action taken by the Cahirman is not approved by the Governing Body,he sall refer the matter to the Government whose decision thereon shall be final."

स्पीकर साहब, इस कमेटी के चेयरमैन मिनिस्टर साहब महोदय हैं और वही गवर्नमैंट हैं। अब चेयरमैन जो मिनिस्टर भी हैं उनको पावर हैं कि वह गवर्निग बौडी या कमेटी के बगैर भी खूद कोई फैसला ले सकते हैं और स्पीकर साहब, किसी समय वह लेना भी पड़ सकता हैं और अन्फरमे ान के लिये वह फैसला गवनिंग बौडी या कमेटी जो बनी हैं, के पास जाएगा और अगर उस फैसले को वह बोर्ड ऐप्रूव न करें तो वह गवनमैंट को रैफर कर दिया जायेगा। जब गवर्नमैंट को पावर्ज हैं तो फिर बोर्ड में ले जाने का मतलब समझ में नहीं आया। मिनिस्टर खुद बोर्ड के चेयरमैन हैं और वह खुद जो एक ान ठीक समझेगा मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि चेयरमैन अपना कोई फैसला ले और बोर्ड उसको ऐप्रूव न करे तो चेयरमैन बोर्ड को कह दे कि इस मामले को गवर्नमैंट को रैफर कर दो, जबकि मिनिस्टर ही गवर्नमैंट हैं

और अगर गवर्नमैंट को केस जाएगा तो वह अपने फैसले को वहा मन्जूर करवा लेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर दुबारा विचार करें। इतना कहकर मैं खत्म करता हूं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि जो रोहतक मैडीकल कालिज का बिल लाया गया हैं इसको सरकार अपने आप नहीं लाई हैं। इसको सरकार ऐजीटे ान के प्रे ार से लाई हैं। सरकार अपने आप नहीं लाई हैं। यह अच्छी बात नहीं। हमारे चौधरी हरद्वारी के कुछ नौजवानो को एडमि ान देकर कोई बता नही ंकी थी। वहां पर बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि जनसंघ ने खास तौर से यह ऐजीटे ान चलाया जिसकी वजह से मैडिकल कालेज का काम ठप्प हो गया। और मरीजों को बहुत नुकसान हुआ। उनको कोई दवाई नहीं मिल सकी । मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में भी मैडीकल कालेज यूनिवर्सिटीज से अटैच नहीं हैं यह गलत बात हैं। स्पीकर साहब, दूसरे सूबों में भी सारे के सारे मैडिकल कालेज यूनिवर्सिट से अटैच हैं, गवर्नमैंट के अन्डर नहीं हैं। स्पीकर साहब, उस ऐजीटे ान से आम जनता को और मरीजों को इतना नुक्सान हुआ कि हजारों मरीजों को बहुत बड़ी भारी परे ाान हुई और मरीजों को दवाई तक नहीं मिली । अगर इस बिल को सरकार अपने आप लाती तो दूसरी बता थी लेकिन यह तो दवाब से लाया गया हैं। स्पीकर साहब, वह ऐजीटे ान इस तरह से चलाया गया कि भाहरी और देहाती का

फर्क क्रिएट कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि इस ऐजीटे ान जो हाथ हैं उसमें सारे के सारे वैस्टिड इंट्रैस्ट जनसंघ का है और जनसंघ के प्रै ार के कारण ही यह किया गया हैं। इसलिये में इस बिल की मुखालिफत करता हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बिल पर दुबारा विचार करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की जाए और इस कालिज को यूनिवर्सिट के अन्डर चांसलर लगाया जाए और जो वाइस चांसलर इस वक्त वहां पर हैं, उसको हटा दिया जाए। आखिर में मेरी फिर सरकार से प्रार्थना हैं कि इस वक्त इस बिल पर विचार छोड़ दिया जाए और एक कमेटी मुकर्रर की जाए और अगले सै ान में इस पर दुबारा विचार किया जाए।

श्री मूलचन्द जैन (सम्भालका): स्पीकर साहब, इस बिल पर बोलने के लिये वक्त की पाबन्दी हो गई हैं। यह एक ऐसा बिल हैं जिसके बारे में सरकार की प्र ांसा भी करना चाहता हूं और नुक्ताचीनी भी करना चाहता हूं। नुक्ताचीनी तो इसलिये करना चाहता हूं ऐजीटे ान के सिलसिले में लोगों को जेल भी जाना पड़ा और उसके बाद सरकार एक आर्डिनेंस लाई और अब इस सम्बन्ध मे बिल लाया गया हैं। यह नुक्ताचीनी की बात हैं कि इतनी देर इस काम में लगाई गई हैं। जो लोग जेल में गए हैं उनमें हमारे प्रति सद्भावना नहीं रही क्योंकि आपको पता हैं। कि हम भी जेल में गये थे और जिन लोगों ने हमें जेल में भेजा था भाायद ही उनको कोई भूला हो कि उन्होंनें हमें जेल में डाला

था। इस बिल पर बोलते हुए मैं अपनी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अब हरियाणा में जनता सरकार हैं और जब जनता में कोई इस तरह की बातें आयें तो सरकार अव य लोगों की समस्या को समझें और उनकी आव यकताओं का आदर करें। यह नहो कि लोग अपनी मांगों को मंगवाने के लिये सत्याग्रह पर उत्तर आए और अपनी मांगो को मंगवाने के लिये उन्होंनें विधानसभा के बाहर मुजाहिरा किया। डिमोन्स्ट्रे ान भी की और उसके बाद हमारे एजुके ान मिनिस्टर साहब भी वहां पर गये थे, पता नहीं क्या हुई पर भाायद बात बनी नहीं और फिर उन लोंगो को जेल जाना पड़ा। पर यह भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी नामकूल मांग लेकर आये और हमारी सरकार उन मांगो को माने। मेरी सरकार से यह प्रार्थना हैं कि सरकार वक्त से पहले ही सोच समझ कर अव य ही लोगों की मांगो पर गौर करें ताकि ऐसी नौबत ही न आ पाये। अध्यक्ष महोदय, आपको व इन माननीय सदस्यों को पता हैं कि पिछले दिनों लोगो ने रोहतक में ऐसे हालात पैदा कर दिये थे और हमारी सरकार बड़ी होि ायारी से जिस तरीके से उस समस्या को आखिरी मंजिल पर सुलझाया, ने हालात को देखकर बड़ी दानि ामन्दी व खास तवज्जो देकर सुलझाया हैं अध्यक्ष महोदय, एक अखिरी बात कहकत अपना स्थान लूंगा कि पिछली काग्रेस सरकार जाती एक बार यह फैसला कर गई थी कि मैडी कालेज मे ंएडमि ान मैरिट पर हुआ करेगी और जाने से पहले एक नया असूल भी उन्होंनें बना दिया कि वहां पर सीटों की भर्ती के लिये कन्डीडेट्स की इंट्रव्यू भी हुआ करेंगी,

रिटन टैस्ट भी हुआ करेगा, इन कारणों से बहुत से लोगों की ि ाकायतें आई। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं कि अगर हमारी सरकार किसी खास भाइयों के लिये सीटस रिर्जव रखना चाहेती हैं तो रखे आर्मी वालों के लिये, स्पोंटस वालों के लिये सीटस रिजर्व रखना चाहती हैं तो रखे जिस तरीके से ला–कालेज में या इंजीनियरिंग कालेज में सीट्स रिर्जव होती हैं। उस तरीके से करे, हमे कोई एतराज नहीं पर जो लड़के अपने कालेजों में कच्छे नम्बर ईमानदार से हो लेकिन उन्हें दोबारा आकर यहां पर टैस्ट देना पड़े चाहे टैस्ट ईमानदारी से हो लेनि मुझे निकाला जा रहा हैं और जिसके 40 परसेन्ट नम्बर आये हैं उनको रखा जा रहा हैं, इस तरह से उन लड़को के दिमागों में यह रहता हैं कि हमारे साथ हेराफेरी हुई हैं।

लोक कार्य मंत्री श्री लछमन सिंहः बहुत सी यूनिवर्सिटीयों में ऐसा होता है।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मुझे ताज्जुब होता हैं कि मेरे एक मोहतरिम दोस्त मिनिस्टर हैं, वे कहते हैं कि बहुत से यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता हैं। उनकी यह बात गलत हैं, अगर यूनिवर्सिटीयों पर आप लोग इस तरह से भाक करेंगे तो यह उचित नहीं प्रतीत होता। बल्कि इसकी बजाये आप लोगों का फर्ज बनता हैं कि आप इस को ठीक करवायें बजाये इसके कि आप इस पर नुक्ताचीनी करें। टैस्ट में पता नहीं कौन पर्चा सैट करता हैं, देखने वालों का पता नहीं, कौन पर्चे देखता हैं, उसी वक्त जो

फैसला किया जाता हैं उन पर तो भाक होना कुदरती बात हैं, इसलिये मेरी सरकार पर होनी चाहिये। रिजर्वे ान जिनके लिए सरकार ने करनी हैं करे, मुझे इसके लिये कोई एतराज नहीं हैं लेनि रिटन टैस्ट उड़ा दें। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपना स्थान लेता हुआ आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

चौधरी हरस्वरूप बूरा (बूरा): स्पीकर साहब–

'नजाकत नाजनीनों के बनाये से नहीं बनती

खुदा जब हुस्न देता हैं तो नजाकत आ ही जाती हैं।'

पोहलू साहब ने कहा था कि ठीक ही बोलना– जैसा इन्होंने कहा कि यह बिल दबाव से आया हैं। भाोर

श्री अध्यक्षः बूरा साहब, आपका यह भोयर इनसे मुखातिब हैं?

चौधरी हरस्वरूप बूराः हां जी। स्पीकर साहब, कालेज में ऐजीटे ान चल रहा था, सभी लोगों की यह भावना थी कि इस वक्त इस ऐजीटे ान को देहाती भाहरी दोनों का मसला न बनने दिया जाए और उसको यहीं पर खत्म किया जाए अतः हमारी सरकार ने ठीक सही मौके पर आर्डिनेन्स लाकर बहुत अच्छा काम किया हैं और इस वक्त जो यह बिल सरकार यहां लाई हैं, इसके लिये मैं अपनी सरकार को और सम्बन्धित मंत्री महोदय को

मुबारिकबाद दिये बगैर नहीं रह सकता और इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं व अपना स्थान लेते हुये आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने अवसर दिया।

कृशि मंत्री (बिग्रेडियर रण सिंह): स्पीकर साहब, मेरे कई साथियों ने इस बिल के ऊपर बोलते हुए अपने कुछ सुझाव भी दिये और चौधरी रिजक राम जी ने अपने भाशण में बोलते हुये गवर्निग बौडी के बारे में बात कही तो मैं इन सब का ब्रीफली जवाब दूगां। सब से पहले मैं यह बताना चाहता हूं अपने चौधरी पोहलू जी को कि आजकल हालात बहुत अच्छे हैं और उन्होंनें जो बातें यहां पर कहीं हैं, अगर वे न कि जाएं तो अच्छा हैं। दूसरा चौधरी रिजक राम जी ने अपने सुझाव दिये हैं, उनमें काफी वेट हैं, वजन हैं लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि वहां परी किसी प्रकार का कोई पोलिटीकल इंटरफियरनेंस नहीं हैं, पोलिटिि ायंज की मैजोरिटी वहां पर नहीं हैं। इसके अलावा सरकार इस बात का ख्याल ध्यान रखा हैं कि इस गवर्निग बौडी को बनाते वक्त इसमें बड़े तजुर्बेकार और अच्छे स्टेट्स के इन्सान लिये गये हैं लेकिन फिर भी उन्होंनें एक और बात कही कि कई दफा क्या होता हैं कि कई अमरजेन्ट मामले भाुरू हो जाते हैं और गवनिंग बौडी को बुलाने में एक दफा वहां के वी0 सी0 ने डिसीजन ले लिया लेकिन वी0 सी0 आमतौर पर एग्जैकटिव कौंसिल में ही फैसला लेता हैं लेकिन जब अमरजेन्ट मौका आता हैं तो उस हालात में मसाला आता हैं और अगर कोई गबन हो

जाए फिर उसके बाद कोर्ट में जाते हैं पर हमारे अन्दाजा नहीं लगा सकते, उनका प्रोवीजन होना बहुत जरूरी हैं। मेरा ख्याल हैं कि ऐसा मौका फिर नहीं आयेगा। स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने एक सुझाव दिया उस पर विचार करके बैल इन टाईम सीट्स के बारे में बतायेंगे। अगला सुझाव श्री मुलचन्द जैन का भी आया उसके बारे में गौर करेंगे और गौर करने के बाद कार्यवाही की जाएगी। इन अलफाज के साथ मैं आपके जरिये हाउस से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Questio is-

That the Medical College Rohtak Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is-

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is-

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker: Question is-

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Mr. Speaker: Question is-

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 9

Mr. Speaker: Question is-

That clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 10

Mr. Speaker: Question is-

That clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 11

Mr. Speaker: Question is-

That clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 12

Mr. Speaker: Question is-

That clause 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 13

Mr. Speaker: Question is-

That clause 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

that Enaacting be the Enacting Formula of the Bill.

the motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Agriculture Minister (Brig. Ran Singh): Sir, I beg to move That the Medical College Rohtak Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved

that the Medical College Rohtak Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Medical College Rohtak Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

18.14 बजे

(the Sabha them* adjourned till 9.30 a.m. on Thursday the 28th December, 1978).